खण्ड-301, अंक-8
मंगलवार, 3 माघ, शक संवत् 1894
(23 जनवरी, 1973 ई0)

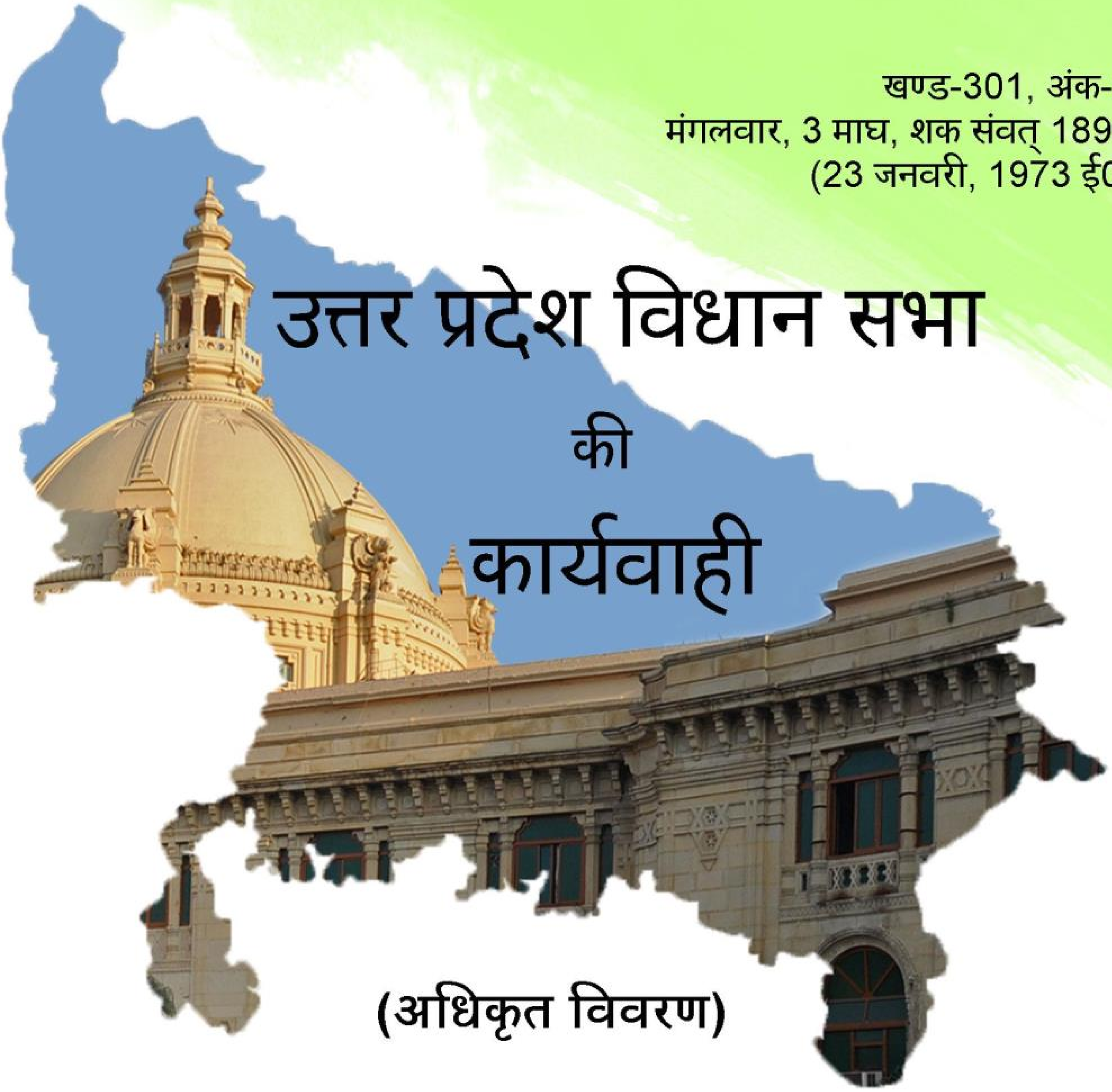

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 301 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 23 जनवरी, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--371

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईशवर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर,
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री

चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवर, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैन सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री

भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीर ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री
राम करन सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री
रामचरण सिंह, श्री
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री

रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार द्विपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शांती चरण पिंडारा, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांति प्रसन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेर सिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्री राम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोषकुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सिया राम, श्री

सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबदार सिंह, श्री
सूयनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः—सामुदायिक विकास मन्त्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मन्त्री, श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 23 जनवरी, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सिनेमा घरों के राष्ट्रीयकरण हेतु समिति के गठन की मांग

**1.—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंजाब सरकार की तरह सिनेमाघरों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सुझाव आमन्त्रित करने के लिये किसी समिति का गठन करने जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी नहीं।

इस प्रश्न पर अभी तक विचार नहीं किया गया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार ने जो निर्णय लिया है वह इसलिये लिया है कि सिनेमाघरों के जो मालिक हैं वे पैसा कमाने के लालच से अश्लील चित्रों का प्रदर्शन करते हैं जिसका कि बुरा प्रभाव समाज और जनता पर पड़ता है इसलिये उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय। क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी यहां के सिनेमा गृहों के राष्ट्रीयकरण की बात सोच रही है ? यदि नहीं, तो और कौन सा तरीका यह सरकार सोच रही है ताकि जनता पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

हमने भी इस बात की जानकारी के लिये पंजाब सरकार को लिखा है कि वे क्या कर रहे हैं। उनका इस सम्बन्ध में उत्तर भी आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अभी उसमें कोई विशेष कार्यवाही नहीं हो रही है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपया सिनेमा मालिकों को जनता से प्राप्त होता है जब कि आज विकास कार्य के लिये प्रदेश को रुपये की जरूरत है, कोई सोर्स नहीं रह गया है लिहाजा क्या सरकार इस 20 करोड़ रुपये को उनका राष्ट्रीयकरण करके प्राप्त करने की कोशिश करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य का सुझाव है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुए, जैसा कि माननीय चौधरी साहब ने कहा है, जो शहरी सम्पत्ति वाला विधेयक आ रहा है उसमें इन सिनमागृहों तथा बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेज के सम्बन्ध में जिक्र किया जायेगा और जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है, जैसा पंजाब सरकार ने किया है उसी तरह से यहां के सिनेमागृहों के राष्ट्रीयकरण करने का विचार उत्तर प्रदेश की सरकार करना आवश्यक समझती है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि अभी इस पर विचार चल रहा है । विभिन्न सरकारों को इस बारे में पत्र लिखा गया है और पंजाब सरकार को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है जिसका कि उन्होंने जवाब दिया है कि उस पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई है। अन्य सरकारों से उत्तर आने पर हम विचार करेंगे ।

श्री त्रिलोक चन्द—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके कुछ उद्देश्य और कारण होंगे? क्या उस तरह के उद्देश्य और कारण उत्तर प्रदेश में नहीं है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

पंजाब गवर्नमेन्ट से जो पत्र आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि—

That the matter relating to the mationalisation of the cinema House in Punjab is still under Consideration.

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

इनका राष्ट्रीयकरण करना एक पालिसी मैटर है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई इम्पार्टेन्स नहीं है .... (व्यवधान) ।

जिला सहकारी बैंकों तथा सहकारी समितियों के संचालक मण्डल निर्वाचन

**2—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि शासन ने प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंकों तथा सहकारी समितियों के संचालक मंडल का निर्वाचन जो नवम्बर तथा दिसम्बर, 1972 तक होना था को एक वर्ष के स्थगन का आदेश प्रसारित किया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रक्खेंगे ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

जी नहीं। ऐसा शासन द्वारा कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, सहकारिता मंत्री जी सही नहीं कह रहे हैं। प्रदेश में 64 हजार से अधिक सहकारी समितियां हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हुए 8 महीने हो गये। मैं निबंधक का वह प्रपत्र पढ़ रहा हूं:—

"निबन्धक महोदय ने अपने परिपत्र संख्या सी–359/ विधि—238, दिनांक 3–11–72 द्वारा यह परामर्श दिया है कि सहकारी समितियां इस वर्ष अपनी वार्षिक सामान्य बैठक कर लें लेकिन उसमें चुनाव सम्पन्न न करावें।"

मैं वह सरक्युलर पढ़ रहा हूं जिसके द्वारा रजिस्ट्रार ने आदेश दिया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार ने 64 हजार से अधिक सहकारी समितियां जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनका चुनाव कराने के लिए आदेश दिया है ? यदि हां, तो वह किस आधार पर ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह कि एक वर्ष के लिये चुनाव स्थगित करने का आदेश दिया है या नहीं। माननीय सदस्य ने रजिस्टार का जो प्रपत्र पढ़ कर सुनाया उसमें एक वर्ष का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी बात यह कि शासन द्वारा कोई सीधा आदेश नहीं गया है, रजिस्टार का प्रपत्र गया है, उसमें चुनाव स्थगित करने का उल्लेख नहीं है बल्कि डिप्टी रजिस्ट्रार को यह परामर्श दिया गया है कि सहकारी समितियां यदि चुनाव न करावें तो अधिक उपयुक्त होगा।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि निबन्धक ने किस आधार पर आदेश दिया है कि वे चुनाव न करावें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, इस बात का परामर्श रजिस्ट्रार ने दिया है कि चुनाव की प्रक्रिया बदलने के ऊपर विचार चल रहा है, इस कारण यह उपयुक्त समझा गया कि यदि सभी समितियों में चुनाव हो जायेगा तो उसकी कोई उपयोगिता न होगी। तब ऐक्ट में परिवर्तन करके चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए और उसके आधार पर ही चुनाव हो तो अच्छा होगा।

श्री बंशीधर पांडेय—

यहां व्यवस्था का प्रश्न पैदा हो गया मान्यवर। रजिस्ट्रार ने ऐसा कोई आर्डर नहीं दिया है और न शासन ने ही ऐसा कोई आदेश दिया है और टर्म भी 3 वर्ष पूरा हो गया और चुनाव प्रक्रिया पर शासन विचार कर रहा है और उन्होंने अवधि भी नहीं बढ़ायी है तो सोसाइटीज के प्रेसिडेंट्स और वे सब लोग कैसे चल रहे हैं ? प्रक्रिया अगर अवधि बढ़ाने की है तो उसे न रजिस्ट्रार ने बढ़ाया है और न सरकार ने बढ़ाया है, इस बात को देखते हुए ऐसी परिस्थिति में जो कोआपरेटिव सोसाइटीज के पदाधिकारी हैं वे किस नियम के अन्तर्गत चल रहे हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि चुनाव स्थगित करने का आदेश नहीं दिया है बल्कि परामर्श दिया गया है कि जो सहकारी समितियां इस परामर्श के विपरीत चुनाव कराना चाहती हैं तो वह होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य पूछते हैं कि अगर आपने चुनाव स्थगित नहीं किया है तो उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वे कैसे काम कर रहे हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, अपना कार्यकाल बढ़ाने के लिये सहकारी समितियों ने निवेदन करके रजिस्ट्रार से अनुमति ले ली और उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ा लिया ।

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, ऐक्ट में लिखा हुआ है कि टर्म 3 साल का होगा और अगर अवधि बढ़ाने की बात होगी तो राज्य सरकार बढ़ा सकती है, इसके लिये रजिस्ट्रार को पावर नहीं है रजिस्ट्रार ने यह किया है राज्य सरकार ने तो बढ़ाया नहीं है ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

ऐक्ट में प्राविधान है कि जब तक नया चुनाव न हो जाय तब तक पुरानी कमेटी कार्य करती रहेगी।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि रजिस्ट्रार को कार्यकाल बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि किस अधिकार से यह सब हो रहा है ?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मंत्री जी किस नियम का हवाला दें रहे हैं उसको पढ़ कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो वही बात है। मैं यह पूछ रहा हूं कि जब तक चुनाव न हो जाय तब तक पहली कमेटी काम करती रहेगी क्या यह ऐक्ट में है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

वह पढ़कर सुना दीजिए ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

श्रीमन्, ऐक्ट की कापी मेरे पास नहीं है वरना पढ़कर सुना देता ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको स्थगित करता हूं। कल प्रश्नों के समय में या आज यदि आप ले आ सकें तो ले आयें ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, इसके साथ रजिस्ट्रार की चिट्ठी भी मंगा लें ।

श्री अध्यक्ष—

जो परामर्श दिया है वह भी मंगवा लीजिए और ऐक्ट भी मंगा लें ।

[प्रश्न स्थगित किया गया ।]

यात्री बस में बम विस्फोट से यात्रियों को हानि

**3—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल) तथा श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 दिसम्बर, 1972 को ऋषिकेश से गोपेश्वर की ओर जाती हुई किसी यात्री बस में एक बम विस्फोट हुआ और बस धमाके से उड़ गई ? यदि हां, तो कितने यात्रियों को चोटें आयीं और वह बम यात्री बस में किसने रखा ?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

सरकार को मिली सूचना के अनुसार दिनांक 27 दिसम्बर, 1972 को एक यात्री बस में जो कर्णप्रयाग से चमोली जा रही थी मार्ग में विस्फोट की घटना घटी। विस्फोट की आग से बस के अन्दर की छत, बिजली की फिटिंग तथा बैठने के स्थान को क्षति पहुंची। विस्फोट होने से पहले धुंआ एवं दुर्गन्ध उठने से सभी यात्री बस से बाहर निकल गये थे अतएव किसी को चोट नहीं पहुंची। विस्फोट की आंच से केवल बस चालक के शरीर में ददोरे पड़ गये और आग बुझाने का प्रयत्न करते समय उसके दाहिने हाथ की अंगुलियां जल गईं। विस्फोटक पदार्थ बस में किसने रखा इसकी जांच की जा रही है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

किस एजेंसी के द्वारा मंत्री जी जांच करा रहे हैं? क्या उनको इल्म है कि कर्णप्रयाग से दो वर्दीधारी आदमी बस में बैठे थे और चमोली का टिकट लिया था, लेकिन वे चमोली न उतर कर उस स्थान पर उतरे जहां बम विस्फोट हुआ और उनके चले जाने के बाद हुआ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो रही है और यह सही है कि हवलदार उस स्थान पर उतर गया जहां विस्फोट हुआ। थोड़ी देर बाद धुंआ दिखाई पड़ा और दुर्गन्ध उठी लेकिन वह उस समय तक जा चुका था।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, इसको देखते हुए कि चमोली बार्डर का जिला है और वहां बम विस्फोट की घटना हुई है तो क्या सरकार जानकारी कर रही है कि इसमें कहीं ऐसे तत्वों का तो हाथ नहीं है जो जनता को आतंकित करने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, पुलिस को सतर्क कर दिया गया है और सतर्कता से वह जांच कर रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार इस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था कर रही है या नहीं? यह सरकार के लिए आई ओपनर घटना होनी चाहिए, इस पर सरकार क्या कर रही है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया कि प्रशासन जागरूक है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह सीमान्त क्षेत्र है और वहां पर नेक्सेलाइट गतिविधियां बढ़ रही ह क्या वह वहां इस दृष्टिकोण से भी जांच करायेंगे कि उसके अन्दर साम्यवादियों और नेक्सेलाइट्स का तो कोई हाथ नहीं था और उस हवलदार को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जांच चल रही है और उस हवलदार की खोज बड़ी तेजी से की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यह कोई हंसी वाला मामला नहीं है, यह एक गम्भीर घटना है और जो उत्तर आया है वह सही नहीं है। यह घटना चमोली और कर्णप्रयाग के बीच की नहीं बल्कि यह बस ऋषिकेश से गोपेश्वर जा रही थी जिसम विस्फोट हुआ, इसे वह ठीक कर लें। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बम-विस्फोट हुआ है उस पर मिलिटरी का मार्किंग था या नहीं? ऐसा तो नहीं था कि वह कोई आर्मी का बम हो?

श्री कल्पनाथ सिंह---

इस प्रश्न की इजाजत आप न दें.....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

यह बहुत जरूरी प्रश्न है, बम फट रहे हैं यात्री गाड़ी में तो उस बम का कोई विश्लेषण हुआ या नहीं किन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

आप इसकी इजाजत न दें इससे मिलिटरी के जनरलों पर असर पड़ता है.....

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप इसकी इजाजत हरगिज न दें .....

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

इस तरह से हथियारों का स्मगलिंग हो, यह ठीक नहीं है .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

क्या वह मिलिटरी की बस थी ?

श्री बंशीधर पांडेय---

यह रूस मार्का कम्युनिस्ट कांग्रेस में इनफिलट्रेट कर गये हैं, यह कहीं मिलिटरी में भी गड़बड़ न करें.....

(व्यवधान)

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यह बस मिलिटरी की नहीं थी यह मेसर्स गढ़वाल मोटर ओनर्स लिमिटेड की थी ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

यह मिलिटरी के बारे में यहां है न कराइये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

इस विस्फोट पदार्थ की विशेषज्ञों द्वारा जांच करायी गई या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जांच करा रही है, इसके बारे में सूचना नहीं है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

मंत्री जी और मामलों में मैजिस्ट्रीयल जांच चला रहे होंगे लेकिन बम के विस्फोटक पदार्थ की कोई जांच अभी तक की गई और जांच वह किसके द्वारा करा रहे हैं और जो टुकड़े या स्पलिन्टर्स मिले हैं उन पर कोई मार्किंग पाई गई कि बम कहां का था और कहां से आया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

अभी तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, जांच चल रही है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह व्यक्ति जो रुद्रप्रयाग से बैठा और उतर गया उसके बारे में कोई जांच की गई कि वह कहां का था ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मैंने पहले ही निवेदन किया कि उस हवलदार को पकड़ने की पुलिस कोशिश में है, अगर पता लग गया होता तो वह पकड़ ही लिया जाता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस मामले की.....

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

वह खड़े भी नहीं हुए थे तो आपने उनको कैसे बुला लिया?

श्री अध्यक्ष--

यह उनका ही सवाल था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वह इस मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, जांच अभी पुलिस विभाग द्वारा चल रही है। इसकी जांच में मजिस्ट्रेट भी काम रहे हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा भी कराने की व्यवस्था कर दी जायेगी।

लखनऊ में स्प्रिट पीने से व्यक्तियों की मृत्यु

**4--श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री विश्वनाथ कपूर तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक 27/28 दिसम्बर, 1972 की रात में थाना कृष्णानगर, लखनऊ-5 के अन्तर्गत रंग बनाने वाली फैक्ट्री के चौकीदार द्वारा बेचे गये थिनर को पीकर तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई एवं एक अंधा हो गया तथा एक की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है? यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट थाने में किस तारीख को कराई और घटना का पूर्ण विवरण क्या है? इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

दिनांक 29-12-72 को श्री श्रीश कुमार, निवासी माडल हाउस, लखनऊ ने थाना कृष्णानगर पर लिखित सूचना दी कि बारादिरा लखनऊ के पास स्थित छक्कू बाग की रखवाली करने वाले व्यक्ति जागेश्वर की पिछली रात मृत्यु हो गई है। उसी सूचना में उन्होंने यह भी बतलाया कि ऐसा मालूम होता है कि उसकी मृत्यु शराब पीने से हुई है। यह सूचना रोजनामचा आम में दर्ज की गई।

उसी दिन कुछ समय पूर्व बारा विरवा निवासी श्री अजीज ने भी एक लिखित सूचना बाराविरवा स्थित एक पेन्ट कम्पनी के कर्मचारी विक्रम के विरुद्ध दी थी जिसमें शराब पीकर बेहोश हो जाना बताया गया था। यह सूचना भी रोजनामचा आम में दर्ज की गई थी।

इस मामले की जांच थाना कृष्ण नगर के एक सब इंसपेक्टर द्वारा की जा रही है। अब तक की जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि बाराविरवा थाना कृष्णानगर में स्थित पेन्ट कम्पनी का कर्मचारी विक्रम कम्पनी से स्प्रिट चोरी से निकालकर इस्तेमाल करता था और सम्भवतः घटना की रात उसने तथा जागेश्वर और अजीज ने स्प्रिट पी थी। जागेश्वर की उसी रात मृत्यु हो गई। अजीज की आंखों की रोशनी कम हो गई है। किसी अन्य व्यक्ति के स्प्रिट पीकर मरने की जानकारी पुलिस को नहीं है। जागेश्वर के शव के पोस्ट मार्टम से मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका है। बिसरा जांच हेतु रसायनिक परीक्षण को भेजा जायगा।

श्री राम बिलास पांडेय---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि श्री बिक्रम जो कम्पनी का कर्मचारी था चोरी करता था। जांच से पता चला कि टिन्चर-जिन्जर पीने से जागेश्वर मर गया और अजीज की आंखों की रोशनी कम हो गयी। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चोरी का सिलसिला कब से चल रहा था ?

श्री गोस्वामी राधा कृष्ण---

जब यह दुर्घटना हो गयी तो यह मालूम हुआ कि इस प्रकार से स्प्रिट निकाली जाती थी। कब से चोरी का सिलसिला चल रहा है यह सरकार को पता नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिसने यह स्प्रिट बेची उस बेचने वाले को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसकी जांच चल रही है। जब तक रिपोर्ट उपलब्ध न हो जाय यह नहीं कहा जा सकता है कि जो कहा जाता है वह निश्चित रूप से सत्य है या नहीं। जब आरोप सिद्ध हो जायगा तो गिरफ्तार हो जायगा।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जिन दुकानों से इस प्रकार से स्प्रिट नाजायज तरीके से बिक रही है, उन दुकानदारों के लाइसेन्स कैंसिल कर दिये जायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जहां पर इस तरह की शिकायतें पायी जायेंगी, उनकी जांच करायी जायेगी और उनकी दुकानों को निश्चित रूप से खत्म करने की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

श्रीमन्, आये दिन इस प्रकार की घटनायें होती रहती हैं कि टिंचर-जिंजर पीने से मृत्यु हो जाती है। अभी कुछ दिन हुए हल्द्वानी में, 11 आदमी मरे, कानपुर में और शाहजहांपुर में मरे तो क्या इसकी कोई व्यवस्था करेंगे जिससे सब चीजों की जांच हो और टिंचर-जिंजर को लाइसेंस बगैर प्राप्त किए हुए कोई न बेचे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए कोई स्प्रिट नहीं बेचता है। अगर कोई बेचता है और पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही होती है। यह जानकारी घटना के बाद ही होती है और जो भी दोषी पाया जाता है, उसको दंडित किया जाता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

श्रीमन्, हमारी भी प्रार्थना है। यह तो आप का अन्याय है कि आप हमको मौका नहीं देते हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मान्यवर, एक छोटे कहार भी स्प्रिट पीने से मर गया था। पुलिस ने लाश गायब कर दी। तो क्या माननीय मंत्री जी सी० आई० डी० या उच्च अधिकारियों से जांच करवायेंगे। इससे जनता में घोर असंतोष है ?

श्री अध्यक्ष---

आपको सूचना है इसकी ?

श्री विश्वनाथ कपूर—

मान्यवर, जो मेरे पास सूचना है उसको मैं पढ़े देता हूं। "दिनांक 27/28 दिसम्बर, 1972 जो रात्रि में बरगवां में जो कृष्णानगर थाना, लखनऊ के पास है, बारा बिरवा की एक रंग बनाने की फैक्ट्री से, फैक्ट्री के चौकीदार नें एक मादक द्रव्य जिसे थिनर कहते हैं, तथा जो रंग बनाने में प्रयोग किया जाता है, के दो ड्रम चोरी से बेंचा। जिसे उसी रात को कुछ व्यक्तियों ने नशे के लिये पिया। इस थिनर के पीने के कारण तीन व्यक्तियों की मृत्यु उसी रात में हो गई जिसमें से दो के नाम हैं जगेसर चौकीदार, बाराबिरवा तथा छोटे कहार बरगवां....."

मान्यवर, इन तथ्यों को देखते हुए क्या इसकी जांच सी० आई० डी० से कराने की कृपा करेंगे ? पुलिस इसको दबा रही है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है। इस गांव में तीन आदमियों की मृत्यु के समाचार हैं। जागेश्वर, छोटे और द्वारिका। जागेश्वर की मृत्यु इस प्रकार बताई जाती है। गांव में जांच हुई और बताया जाता है कि ये अपनी मृत्यु से मरे हैं। अपनी बीमारी से मरे हैं। माननीय सदस्य के पास यदि कोई सूचना है तो मुझे उसके आधार पर कोई आपत्ति नहीं है कि जांच न करवा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप सूचना दे दें ये जांच करवा लेंगे।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया कि विक्रम की दुकान से स्प्रिट ली तो क्या कारण है कि उस दुकानदार के खिलाफ जहां से स्प्रिट दी गई, जिसमें एक मरा और एक अंधा हो गया, उस व्यक्ति के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की गई। क्या इसमें भी पक्षपात बरता जा रहा है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं माननीय सदस्य को सूचित कर देना चाहता हूं कि इसमें पक्षपात का प्रश्न नहीं है। ये कर्मचारी पेंट के कारखाने में नौकर हैं। लोगों का कहना है कि स्प्रिट निकाल कर पियें हैं। पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट में भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस तरह से मृत्यु हुई। जो जांच में तथ्य मिलेंगे उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री विश्वनाथ कपूर—

माननीय मंत्री जी बता रहे हैं स्प्रिट के बेचने वाले को भी तो क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया, क्या कराण है ?

श्री अध्यक्ष—

सी० आई० डी० की इन्क्वायरी से स्पष्ट हो जायेगा।

श्री बलवीर सिंह—

मान्यवर, ये मान चुके हैं कि फलां ने स्प्रिट बेंची है तो क्या कारण है उसको गिरफ्तार न करने का ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि एक आदमी चोरी करके बेचता था।

श्री बलवीर सिंह—

उसको मान्यवर, गिरफ्तार करने में क्या आपत्ति है ? वह तो आप मान चुके हैं कि उसने बेंची है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप सब स्वयं कोर्ट बनकर जिरह करना शुरू कर देते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

सहकारी बीज भण्डार, शाहजहांपुर पर सवाई पर बांटने हेतु बीज

*1--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार को पता है कि सहकारी बीज भण्डार खेड़ा-बझेड़ा, शाहजहांपुर पर सवाई पर बांटने हेतु प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री जी को दिनांक 31 अक्तूबर, 1972; 13 नवम्बर, 1972 15 नवम्बर, 1972 तथा 24 नवम्बर, 1972 को पत्र व तार भेजकर गेहूं के बीज के प्रबन्ध हेतु मांग की फिर भी इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

सहकारी बीज भंडार खेड़ा बझेड़ा शाहजहांपुर पर सवाई पर गेहूं के बीज बांटने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के उपरोक्त तिथियों के तार एवं पत्रों में से केवल तार दिनांक 13-11-72 को पोस्ट कापी एवं पत्र प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त बीज भंडार पर सवाई पर बांटने हेतु बीज का प्रबन्ध कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अध्यक्ष जी, मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री हैं नहीं। मान्यवर, इनके विभाग में छः सात पत्र भेजे हैं उनके ऊपर नम्बर पड़े हुए हैं ? इनको कहां से इत्तिला आ गयी कि नहीं भेजा गया ? या तो यह गलत है या मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक पत्र प्राप्त हुआ। इनके अधिकारियों ने जो पत्र लिखे यह सात आठ हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

कार्यालय में भी एक सेल होना चाहिए जिससे कि यह गलत-सलत जवाब न दिया करें।

श्री अध्यक्ष---

यह कहते हैं कि हमारे पास जवाब आये। आपने यह कैसा जवाब दे दिया कि मुख्य मंत्री जी के पास सिर्फ एक ही पत्र आया ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

चिट्ठी तो कई लोगों को लिखी और उसकी कापी इनको भी भेजी है। जो मुख्य मंत्री जी को लिखा गया है उनको एक तार और उसकी पोस्ट कापी मिली है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

मुख्य मंत्री जी को चार तार भेजे हैं। मेरे पास यह पत्र हैं। कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, दिनांक लखनऊ नवम्बर 24, 1972।

श्री अध्यक्ष---

आप यह किसका पत्र पढ़ रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटीज का है।

श्री अध्यक्ष

आप प्रश्न पूछ लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इनके विभाग से 24 नवम्बर को दो पत्र आये। दोनों में विरोधाभास है। एक पत्र में यह लिखा है कि आपको खेड़ा बझेड़ा के लिये गेंहूं खरीदने की इजाजत दी जाती है। यह अंग्रेजी में है। मैं इसको पढ़े देता हूं:

Post copy is confirmation of he above telegram forwarded to the Asstt. Registrar, Coop. Societies Shahjahanpur with the remark that the required quantity of wheat seed for Sahkari Sangh khera Bajhera may be got purchased locally form the funds of the Seedstore form registered growers after necessary certification of the same form Agriculture Deptt.

24 तारीख का ही दूसरा पत्र है। इसमें लिखा है कि उपरोक्त सम्बन्ध में इंगित करना है कि बीज भंडारों की सामान्य मांग की पूर्ति करने के लिये जिला स्तर पर विभिन्न स्रोतों से बीज क्रय करने की पूर्ति करने के आदेश इस कार्यालय के परिपत्र सं० सी० 87/ बारह 12/बीज० सा०, दिनांक 17-4-72 द्वारा प्रसारित किये जा चुके थे और समय-समय पर बीज की पूर्ण व्यवस्था करने हेतु अधिक बल दिया जाता रहा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह था कि पत्र व तार भेजकर गेहूं के बीज के प्रबंध हेतु मांग की फिर भी इस अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? उत्तर में कहा गया है कि उपरोक्त बीज भंडार पर सवाई पर बांटने हेतु बीज का प्रबन्ध कर दिया गया है। अब आप क्या चाहते हैं वह प्रश्न करें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

22 अक्तूबर को खेड़ा बझेड़ा सहकारी संघ ने प्रस्ताव पास करके मांग की कि बीज का प्रबंध किया जाय। मंत्री जी यह बतलायें कि कब यह प्रस्ताव मिला और कब बीज का प्रबन्ध किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहकारी संघ खेड़ा बझेड़ा ने प्रस्ताव किया था कि रजिस्टर्ड ग्रोअर्स से खरीदने की इजाजत दी जाय और सवाई पर बांटने की इजाजत दी जाय। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि सवाई पर बांटा जायेगा तो घाटा होगा इसलिए नकद ही बांटे लेकिन इसमें कुछ हुआ नहीं। फिर एफ० सी० आई० को लिखा और वहां से बीज मिला और उसे भेज दिया गया।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

प्रश्न में है कि 31 अक्तूबर से आगे बीज की मांग की गयी। क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि चूंकि प्रश्नकर्ता ने चिट्ठी देर में लिखी इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय सदस्य ने जब लिखा था उसके पहले ही लिखा जा चुका था कि बीज की कमी है, व्यवस्था की जाय।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

अभी सहकारिता विभाग का एक पत्र अंग्रेजी में पढ़ा गया है। सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि सभी पत्र व्यवहार हिन्दी में हो तो यह अंग्रेजी में पत्र-व्यवहार क्यों किया गया ? क्या सरकार उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आपके यहां से अंग्रेजी में लिखा गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह हिन्दी में है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इस पत्र का नम्बर 272522:23 है और यह रजिस्ट्रार के यहां से अंग्रेजी में लिखा गया है । मैं आप के पास इसको भेज दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

आप हिदायत कर दें कि हिन्दी में पत्र भेजें ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

इनके विभाग से पत्र अंग्रेजी में गया है और इनको इसकी जानकारी नहीं है, जरा इस नजाकत को तो देखिए ।

नगरपालिका, हरिद्वार के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

*2—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतावेंगे कि हरिद्वार नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अक्तूबर, 1972 में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद अपदस्थ अध्यक्ष ने बोर्ड को सुपरसीड करने की सिफारिश की है जब कि 21 सदस्यों के बोर्ड में से 19 सदस्य यह नहीं चाहते कि बोर्ड सुपरसीड हो ? क्या सरकार सदस्यों की आम राय एवं भावनाओं का सम्मान करते हुए अपदस्थ अध्यक्ष की सिफारिशों को रद्द करने पर विचार करेगी ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्री काजी जलील अब्बासी)—

नगरपालिका हरिद्वार के अध्यक्ष के विरुद्ध..... ...।

(पूरा उत्तर पढ़ लेने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, माइक हटवा दीजिए या इनको हटवा दीजिए ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

कोई दूसरा पढ़ दे तो ठीक रहेगा ।

श्री काजी जलील अब्बासी—

श्रीमन्, मैं मिनिस्टर होने के पहले यहां तकरीर करता था और लोग सुनते थे, तो अब मिनिस्टर होने के बाद क्यों शोर करते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इन्हें पुनर्विचार करना चाहिए कि मिनिस्टर रहें या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आप माइक पर बोलिये ।

श्री काजी जलील अब्बासी—

नगरपालिका, हरिद्वार के अध्यक्ष के विरुद्ध.....

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

आप उनकी बात सुनकर हमको बतला दें । हम प्रश्न कर लेंगे ।

श्री काजी जलील अब्बासी—

एक बार फिर पढ़ दूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सारा सदन जानना चाहता है कि हरिद्वार जैसी पवित्र नगर पालिका को आप क्यों सुपरसीड करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

बेनी सिंह जी कृपा करके बतला दें । उत्तर समझ में नहीं आ रहा है ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

नगरपालिका, हरिद्वार के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 19-9-72 को पारित हो गया है । अपदस्थ अध्यक्ष ने यू० पी० म्युनिसिपल्टीज ऐक्ट, 1916 की धारा 47 (ए) के अन्तर्गत राज्य सरकार से बोर्ड को भंग करने की संस्तुति की है जिसपर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह अध्यक्ष जो अपदस्थ किये गये, किस पार्टी से सम्बन्धित थे और दूसरे जो सिफारिश उन्होंने की उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बेनीसिंह—

पार्टी तो शायद कांग्रेस थी ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

दो कांग्रेस हैं, तो कौन सी थी ?

श्री बेनी सिंह—

जो जो समझे, वही कांग्रेस है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पूरा जवाब नहीं आया है ।

श्री बेनी सिंह—

उस पर जिलाधीश और कमिश्नर से आख्या मांगी गई है, इसलिए देर हुई है ।

श्री चन्द्र भान शर्मा—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वह क्या कारण है कि जिनके कारण भंग करने की सिफारिश की गई है ?

श्री बेनी सिंह—

जो सिफारिश अध्यक्ष ने की है वह मानी जाय या नहीं, यह तो शासन पर निर्भर है, लेकिन जो शिकायतें की है, उन पर आख्या मांगी गई है । शिकायतों को मैं पढ़े देता हूं ।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

जवाब बहुत लम्बा हो जावेगा। क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष इन्डीकेट के थे और टूटकर दूसरे ग्रूप में चले गये, इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनतंत्र के अंदर क्या हारे हुए अध्यक्ष को यह लिखने का अधिकार है कि इस नगर पालिका को भंग किया जाय ? अगर है तो वह कहां तक सही है ?

श्री बेनीसिंह—

जनतंत्र में जो कैद है, उसको मानना, हमारा फर्ज है। 47 ए में इक्सेप्शन है, जिसमें यह अधिकार अध्यक्ष को दिया गया है कि वह या तो 3 दिन के अंदर स्तीफा दे दे या शासन को बोर्ड को सुपरसीड करने की सिफारिश करे और जब तक उस सिफारिश पर पूरी जांच-पड़ताल होकर निर्णय न हो जाय, तब तक दूसरे चेयरमैन के चुनाव की कार्यवाही नहीं होगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी क्या उस पत्र को पढ़ देंगे जो हरिद्वार नगरपालिका के 21 में से 17/18 सदस्यों ने भेजा है कि बोर्ड को सुपरसीड न किया जाय ?

श्री बेनी सिंह—

मान्यवर, वह पत्र इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह जो अधिकांश मेम्बरों ने लिखकर भेजा है कि बोर्ड कर को सुपरसीड न किया जाय, क्या यह सच है कि उसमें कांग्रेस (आर) और कांग्रेस (ओ) के भी सदस्य हैं ?

श्री बेनी सिंह—

बहुत से सदस्यों ने लिखकर भेजा है, उसमें सब पार्टी के लोग शामिल हैं। लेकिन उनके लिखने के बावजूद भी हमें इनक्वायरी करनी पड़ेगी और जांच-पड़ताल के बाद शासन को आख्या देनी पड़ेगी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अविश्वास के बाद भी इस मामले में देर की जा रही है ताकि अध्यक्ष उसमें बने रहें, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि आख्या जो मांगी जा रही है, वह शीघ्र आ जाय ?

श्री बेनी सिंह—

ऐसी हमारे दिमाग में कोई बात नहीं है कि इस मामले में देर की जाय। हम जाब्ते की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

शीघ्र कार्यवाही और रिपोर्ट आ जाय, इस बारे में कह सकते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मंत्री जी कल हरिद्वार से आये हैं, तो आख्या देने में देर क्या है ? जिन माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया है कि बोर्ड को भंग न किया जाय, तो क्या उनको सुनने का मौका देंगे ?

श्री बेनी सिंह—

जब कार्यवाही होगी, तो शो-काज-नोटिस जो जायेगी ही और उसका जवाब आयेगा ही।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

जिस अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आ चुका है तो जो भी गल्ती दफ्तर में हुई है, उस गल्ती के लिये अध्यक्ष के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री बेनीसिंह—

अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने लायक गुन्जाइस होगी, तो अवश्य की जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि इस बोर्ड के बहुसंख्यक सदस्यों ने चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर-दिया, तो चाहे अनियमितताओं की जांच भले होती रहे लेकिन अविलम्ब से फरवरी में दूसरे चेयर-मैन का चुनाव तुरन्त करा दिया जायेगा ?

श्री बेनी सिंह—

मुझे अफसोस है कि कल्पनाथ जी ने मेरी पहली बात नहीं सुनी। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि जब तक उसकी सिफारिशों पर निर्णय नहीं हो जाता है तब तक दूसरे चेयरमन का चुनाव नहीं किया जा सकता कानूनन।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा 47 के अन्दर आपको टेक्निकली यह अधिकार है कि आप बोर्ड को सुपरसीड कर सकते हैं। क्या सरकार इस नीति को स्वीकार करती है कि जनतन्त्र में जहां बहुमत का समर्थन हो और बहुतायत में सदस्यों की मांग हो, उसको स्वीकार किया जाये ?

श्री बेनी सिंह—

सरकार की नीति यह है कि बहुमत जो कहे उस पर गौर करे साधारणतया लेकिन अगर सरकार को यह वि.वास हो जाये कि बहुमत के होते हुए वहां नाजायज चीजें, नामुनासिब और गैर कानूनी बातें हो रही हैं तो वह बहुमत की परवाह नहीं करेगी और उस पर कार्यवाही करेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अपदस्थ चेयरमैन जिनके विरुद्ध चार्जेज और अनियमितताओं की और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, के कार्यकाल के हैं और या उनके पेश्तर के चेयरमैन के जमाने के हैं ?

श्री बेनी सिंह—

उसी की तो जांच हो रही है। उसी के साथ-साथ और बातों की भी जांच हो रही है।

कृषि उत्पादन मंडी समितियों के चुनाव

*3—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के चुनाव अक्तूबर, 1972 में होने वाले थे जिसकी सूचना सरकार एवं चुनाव अधिकारियों द्वारा प्रसारित की जा चुकी थी और व्यक्तियों ने जमानत, नामजदगी के पर्चे आदि भी दाखिल कर दिये थे और कुछ स्थानों पर केवल एक ही उम्मीदवार होने के कारण कुछ व्यक्ति निर्विरोध चुन भी लिये गये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन सी मण्डी समितियों में निर्विरोध चुनाव हुये ह तथा चुनाव के समय चुनाव रोकने का क्या कारण है ?

कृषि (श्री रामलखन)—

प्रदेश की समस्त कृषि उत्पादन मंडी समितियों के चुनाव अक्तूबर, 1972 में कराने के निर्देश जारी किये थे। तदनुसार चुनाव अधिकारियों ने निर्वाचन की सूचना प्रसारित की। अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर केवल 4 जिलों में उम्मीदवारों द्वारा नामजदगी के पर्चे आदि

दाखिल किये गये थे परन्तु नामांकन पत्रों की जांच के निर्धारित दिनांक के पूर्व ही प्रस्तावित चुनाव को निम्नलिखित कारणों से अस्थगित करना पड़ा और फलस्वरूप चुनाव सम्बन्धी कोई भी अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी :—

(1) पुराने विकास खण्डों के पुनर्जीवित होने के कारण।

(2) कुछ क्षेत्रों को जो किसी भी नियमित मन्डी क्षेत्र में नहीं थे सम्मिलित करना आवश्यक था।

(3) मन्डी अधिनियम में कुछ संशोधन करना।

श्री अध्यक्ष—

आपने अपने उत्तर में लिखा है स्थगित करना पड़ा। तो क्या अस्थगित करना पड़ा या स्थगित करना पड़ा ?

श्री राम लखन—

स्टे करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने उत्तर से "अ" काट दीजिए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव कराने के आदेश सभी जिलों में गये थे ? अगर हां तो क्या यह भी सही है कि केवल 4 ही जिलों में, जैसा कि मंत्री जी ने उत्तर दिया है, उन्होंने कार्यवाही की है ? बाकी जिलों में कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री राम लखन—

चुनाव कराने के आदेश तो सभी जिलों में गये थे लेकिन इस निदेश की सूचना चुनाव अधिकारी ने सिर्फ 15 जिलों में की थी :—

1—रायबरेली
2—सहारनपुर
3—झांसी
4—बिजनौर
5—मैनपुरी
6—मुजफ्फरनगर
7—जालौन
8—हमीरपुर
9—बहराइच
10—देहरादून
11—मुरादाबाद
12—सुल्तानपुर
13—गोरखपुर
14—आजमगढ़
15—मेरठ

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि ऐसी भी मंडी समितियों में सदस्य चुने गये हैं जिनमें एक ही सदस्य ने जमानत दाखिल की है और नामजदगी का परचा दाखिल किया ? वहां कोई विरोध था ही नहीं। ऐसी कौन-कौन सी मंडियां हैं जिनमें इस प्रकार की स्थिति आयी और उनके चुनाव स्थगित करने का क्या कारण था ? उनके निर्वाचन की विधिवत घोषणा क्यों नहीं की गयी ?

श्री रामलखन—

मान्यवर, नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के बाद स्क्रूटिनी के लिये और नाम वापस लेने के लिये तारीख निश्चित होती है। जब ये फार्मेलिटी पूरी हो जाय तब कोई फल घोषित होता। लेकिन इससे पूर्व ही निर्वाचन स्थगित हो गया इसलिये घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मंत्री जी बहुत गड़बड़-घोटाला कर रहे हैं सारे प्रदेश भर में। यह नहीं बता रहे हैं कि यहां एक ही नामजदगी का पर्चा दाखिल हुआ, तो स्क्रूटिनी और नाम विदड्राल का सवाल ही कहां पैदा हुआ ? क्या किसी ने विदड्राल की अप्लीकेशन दी थी ? अगर ऐसा है कि एक ही आदमी था तो ऐसे प्रदेश भर में कितने सदस्य थे जिनको इन्होंने रोक रखा है ?

(कृषि मंत्री के कुछ कहने पर)

मैं यह नहीं पूछ रहा हूं। फिर ये गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। फिर से सवाल सुनने की कृपा करें। क्या नामजदगी के पर्चे जिन लोगों ने अकेले दाखिल किये थे और अकेले दाखिल करने के नाते जहां अधिकारी ने वहीं मौखिक आधार पर कह दिया कि विधिवत् निर्वाचित घोषित किये गये और ऐसे लोगों को भी आप रोक रखे हैं तो ऐसे कितने लोग हैं और किन किन मंडियों से संबंधित हैं ?

श्री रामलखन—

ऐसी तीन मंडियां हैं—रामनगर, सिघवापार और मिसरालिया। यहां एक ही नामजदगी का पर्चा दाखिल हुआ। जिस दिन पर्चा दाखिल करने की तिथि थी उसी दिन 4 बजे वायरलेस से निर्वाचन स्थगित करने के आदेश भेज दिये गये और 4 बजे से पहले ही स्टे आर्डर चला गया कि चुनाव नहीं होगा तो रिजल्ट एनाउंस तो 4 बजे के बाद ही होता, उससे पहले तो नहीं हो सकता था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

बात ऐसी नहीं है कि वायरलेस पहुंच गया। अगर वायर लेस पहुंच गया होता और उसके मुताबिक कार्यवाही की गयी होती, वह बात नहीं है। इन्होंने जानबूझ कर चुनाव रोक लिये हैं . . . (व्यवधान)

(आवाजें—और लोगों को भी मौका दीजिये।)

श्री अध्यक्ष—

इनके उत्तर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 में आप . . . .

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, मैं नियम 49 का नोटिस देता हूं, इस पर बहस करवाइये, इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

हम भी प्रश्न करना चाहते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

बलवीर सिंह जी जब खड़े होते हैं तो इनको आप मौका ही नहीं देते हैं, कई बार मैंने देखा।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

इसपर नियम 49 कल रखिये।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि यह प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दे रहे हैं इसलिए मैंने उनसे कहा कि 49 में दीजिये, तो उन्होंने कहा कि दूंगा।

श्री त्रिलोकचन्द्र---

49 की बात यह है कि यह तो अगले सत्र में आयेगा, कल ही इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कल के लिये कर दीजिये, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष---

इस पर वक्तव्य हो जावेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

इस पर वक्तव्य दिलवा दीजिये।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है..... (व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ नगरपालिका में आवास गृह

*1---श्री दल सिंगार यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ नगरपालिका में जो आवासगृह सरकार की सहायता से निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये बनाया गया है वे कितने हैं ? और क्या यह बात सही है कि उपरोक्त आवास गृहों को विभागीय कर्मचारियों को न देकर बाहरी लोगों को दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री बेनी सिंह---

नगरपालिका, आजमगढ़ ने सरकारी सहायता से अपने निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये 15 आवास गृह बनाये हैं, जिनमें से केवल 3 आवास गृह बाहरी व्यक्तियों को दिये गये हैं। आवास गृह खाली रहने पर किसी विभागीय कर्मचारी का प्रार्थना पत्र आवास गृह लेने हेतु न होने के कारण और नगरपालिका को आर्थिक क्षति से बचाने हेतु उपरोक्त आवास गृह बाहरी व्यक्तियों को दिये गये हैं।

[23 जनवरी, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1---श्री रामगोपाल सन्ड---

[9वें बृहस्पतिवार में तारांकित प्र० सं० 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि महाविद्यालय डिग्री कालेज, इलाहाबाद को प्रधानाचार्य द्वारा बन्द किया जाना

*2---श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिनांक 25-8-72 से इलाहाबाद में नैनी स्थित कृषि महाविद्यालय डिग्री कालेज को उसके प्रधानाचार्य ने अनिश्चित काल के लिये बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो कालेज के बंद किय जाने के क्या कारण हैं और उक्त कालेज को पुनः खुलवाने का शासन की ओर से क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री रामलखन--

यह सही है कि प्रधानाचार्य, इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट ने महाविद्यालय के छात्रावास में अनुचित परिचय समारोह (रेगिंग) जो कि बहुत ही अशोभनीय था तथा छात्रों की तोड़-फोड़ नीति के कारण 25-8-72 से अनिश्चित काल के लिये इन्स्टीट्यूट बन्द कर दिया था। स्थिति सामान्य होने के फलस्वरूप 16 सितम्बर, 1972 से महाविद्यालय पुनः खोल दिया गया है।

श्री रामगोपाल संड--

क्या मंत्री जी को यह पता है कि वहां के विद्यार्थी संघ ने विधिवत् एक मांग-पत्र रखा था कि विद्यार्थियों के लिये एक कामन हाल हो, शौचालय बनाया जाय, लायब्रेरी में नयी पुस्तकें मंगायी जायं आदि-आदि और क्या यह पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या प्रधानाचार्य जी ने विद्यार्थियों की विधिवत् मागों को न स्वीकार करते हुये जबर्दस्ती होस्टल से छात्रों को १२ बजे रात निकाला ? यदि हां, तो शासन ने प्रधानाचार्य जी से इस विषय में क्या पूछा ?

श्री रामलखन--

ऐसी तो कोई सूचना नहीं है कि प्रधानाचार्य ने छात्रों को जबरदस्ती होस्टल से निकाला बल्कि छात्र हड़ताल पर थ इस वजह से विद्यालय को अनिश्चित काल के लिये प्रधानाचार्य ने बन्द कर दिया।

श्री रामगोपाल संड--

श्रीमन्, सुशील चटर्जी, जो कांग्रेस के एक बड़े सर्वमान्य नेता हैं श्री जी० सी० भट्टाचार्या जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं और मैं स्वयं, अनेक सार्वजनिक कार्यकर्ता वहां गये। लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी निकाला गया अभद्र व्यवहार कराया गया। वहां बहुत दूर-दूर से लड़के आते हैं, दो हजार छात्र ह। तो क्या इसकी भी जांच करायेंगे ?

श्री रामलखन--

अगर लिख कर माननीय सदस्य भेज देंगे तो जरुर जांच करायेंगे।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि छात्रों की मांगें क्या थीं और उनको पूरा कराने में अब तक शासन ने क्या व्यवस्था की ?

श्री अध्यक्ष

अब एक मिनट रह गया है, क्या उत्तर देंगे ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

खास-खास मांग बता दें।

श्री रामलखन--

विद्यार्थियों की मांग तो हड़ताल करने के बाद आयीं अपने को जस्टीफाई करने के लिये। वह मैं आपको बतला देता हूं। छात्रावास अधीक्षक त्याग-पत्र दें। नये छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति गैर सरकारी कार्यकर्ताओं में से हो। छात्रावास के अधीक्षक इस बात की गारंटी दें कि कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में उत्पीड़ित नहीं किया जायगा। सभी धार्मिक पर्वों को मनाने की आज्ञा दी जाय।

श्री राम गोपाल संड--

एक प्रश्न कर लूं नहीं तो समय नहीं रहेगा। वहां पर असंतोष इसलिये भी था कि वहां की प्रबन्ध समिति वहां के विद्यार्थियों को न गांधी जी का चित्र लगाने देते हैं, न जन्माष्टमी में कृष्णजी

का चित्र लगाने देते हैं। तो क्या सभी धर्मावलम्बियों को वहां पर उनके महापुरुषों की जयन्तियां नहीं मनाने देते हैं इसीलिये उनमें बहुत असंतोष है ?

श्री रामलखन—

इस पर न कभी प्रतिबन्ध रहा और न इस समय है। जो विद्यार्थी धार्मिक पर्व मनाना चाहते हैं उनको छूट है।

क्षेत्रीय विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, ब्लाक शीतलपुर एटा पर आरोप

*3—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के क्षेत्रीय विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत ब्लाक शीतलपुर के पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार अनियमिततायें और पैसा ठगने के शिकायती-पत्र माह जून सन् 1972 में संबंधित प्रधानों एवं अन्य व्यक्तियों से प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

शिकायती-पत्र क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त हुये। सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी। शिकायतों की गम्भीरता को देखते हुये उन सभी शिकायतों के ऊपर अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) द्वारा जांच की गयी। सभी शिकायत कर्ताओं को अपनी-अपनी शिकायतें सिद्ध करने का अवसर दिया गया। उन्हें निश्चित तिथि एवं समय पर जांच कार्यवाही में भाग लेने हेतु बुलाया गया। शिकायत कर्ताओं के नाम भेजे गये इस आशय के कई पत्र मूलरूप में बिना तामील वापस प्राप्त हुये। कुछ शिकायत कर्ताओं ने जांच में भाग लिया किन्तु उन्होंने शिकायती-पत्रों पर अपने हस्ताक्षरों को फर्जी बताया तथा शिकायतों के बारे में अपनी अज्ञानता प्रकट की। अन्य श्रोतों से भी शिकायतों के बारे में और छानबीन की गयी किन्तु कहीं से भी उनको पुष्टि नहीं हुई। इस प्रकार जांच कार्यवाही में खंड विकास अधिकारी के विरुद्ध उठी शिकायतें निराधार एवं असत्य पाई गयी।

कासगंज और सोरों एटा, जिला के ग्राम सभा के प्रधानों को चार्ज न मिलना

*4—श्री नेतराम सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के विकास क्षेत्र कासगंज और सोंरो में चतुर्थ सामान्य निर्वाचन के नवनिर्वाचित किस-किस ग्राम सभा के प्रधानों को 15 जुलाई, 72 तक चार्ज नहीं मिले ? चार्ज न मिलने के कारण क्या-क्या हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

एटा जिले के विकास क्षेत्र कासगंज के 24 ग्राम सभा—किनावा, हरसिंहपुर सिरौली, जखेरामहेशपुर, फरीदपुर, फीरोजपुर, सानी, रेखपुर, भरतपुर, रसलुआ, सुलहपुर, वजीरपुर, सवालपुर, मौसमपुर, तिलसई खुर्द, नदरई, टिन्डोली, माफी, भडपुरा भरसौली, छावनी, ततारपुर ज्याउद्दीनपुर, विरसुआ, नसरतपुर, तिलसई कलां, कानरखेड़ा, कुरासई, फतेहपुर खास, सतपुरा मांफी तथा सल्लेमपुरलाला तथा विकास क्षेत्र सोंरों के 13 गांव सभा न० उल्फत, विरौंची, हरनाथपुर उर्फ न० मोती, महेवा खुर्द, एमनपुर घटिया, लहरवरकुला, चड्डौस, मिर्जापुर गढ़िया, वघेलाशाहपुर, महमूदपुर, सलेमपुर बीवी, देवरोप्रहलादपुर तथा कुढ़ार के प्रधानों को 15-7-72 तक चार्ज नहीं मिले थे। चार्ज न मिलने का कारण यह रहा था कि कहीं-कहीं पर भूतपूर्व प्रधान बाहर गये हुये बताये गये, कहीं-कहीं पर नवनिर्वाचित प्रधान समय पर नहीं मिले और कहीं-कहीं पर भूतपूर्व प्रधानों ने चार्ज नहीं दिये।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कुमायूं वाटर रूल्स के कारण गांवों की पेयजल योजनाओं में रुकावट

*5—श्री शिवानंद नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुमायूं वाटर रुल्स के कारण कौन-कौन से गांवों की पेयजल की योजनायें जिला पौड़ी गढ़वाल में रुकी पड़ी हैं और इस कठिनाई को दूर करने के लिये कुमायूं वाटर रुल्स में संशोधन करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बेनी सिंह—

कुमायूं वाटर रुल्स के कारण जनपद पौड़ी गढ़वाल के निम्नलिखित गांवों की पेयजल योजनायें रुकी पड़ी हैं:—

पीनली गांव, सुराल गांव, सुरौड़ी गांव मथि गांव, थापला गांव, सिडिया खाल, भटवाड़ी खाल, अगरौली मल्ली, सिडिया धार, धंडाली खाल डोंडियाल की बीगा, लखेरी तथा सीडिया बाजार।

कुमायूं वाटर रुल्स का संशोधन सम्भव नहीं है। इन नियमों को निरस्त करना विधि द्वारा ही सम्भव होगा। पेयजल सम्पूर्ति को दूर करने के लिये विधेयक तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

पनेर गांव, जिला—अल्मोड़ा की पेयजल योजना का कार्यान्वयन

*6—श्री शिवानंद नौटियाल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1 अगस्त, 1972 के 11 वें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के ग्राम पनेर गांव आदि की पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ किये जाने के लिये धनराशि की स्वीकृति के संबंध में जो जिला परिषद अल्मोड़ा से अपेक्षित संकल्प प्राप्त करने की क्या कार्यवाही शासन की ओर से की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों, हां तो क्या?

श्री बेनी सिंह—

पनेरगांव पेय जल योजना को कार्यान्वयन करने के संबन्ध में जिला परिषद् अल्मोड़ा का प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा को 13 मार्च 1972 को तार 18-7-72 को अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया था। जिला परिषद अल्मोड़ा का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के द्वारा दिनांक 11-9-72 को योजना के लिये अनुदान देने की संस्तुति के साथ शासन को प्राप्त हुआ। वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात 23-10-72 को पनेर गांव जल सम्पूर्ति योजना के लिये 50,000 रुपया का अनुदान दिया जा चुका है।

पशु निरोध केन्द्र, विशुन पुरवा, नौतनवां (गोरखपुर) में पशुपाल दण्ड

*7—श्री उमानाथ सिंह, श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के पशु निरोध केन्द्र, विशुन पुरवा, नौतनवां के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 में पशुपालन द्वारा असत्य यात्रा भत्ता एवं असत्यरूप में पशुओं में टीका लगाने तथा वैक्सीन नष्ट किये जाने में भयंकर आरोपों की जांच उप निदेशक, पशुपालन, गोरखपुर मण्डल द्वारा कराई गई थी? यदि हां तो इस संबंध म जांच के उपरान्त अपराधी पाये जाने वाले कर्मचारी के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामलखन—

जी हां। दोषी पशुपाल की एक वर्ष को वेतन-वृद्धि रोक दी गई है और चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि तथा एक कठोर चेतावनी भविष्य में सचेत रहने के लिये दे दी गई है। पशुपाल

ने जो रु० 36 का यात्रा भत्ता चार्ज किया था उसकी वसूली के आदेश दे दिये गये हैं। इनको विश्नपुर्वा नौतनवा से स्थानान्तरित भी किया जा चुका है।

बरसाना ग्राम (मथुरा) की सम्पूर्ति योजना

*8—श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण' (जिला मथुरा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा जनपद के बरसाना ग्राम समूह पेयजल योजना की स्थिति क्या है और यह योजना अभी तक क्यों कार्यान्वित नहीं की गई है? राज्य सरकार द्वारा क्या इस योजना पर शत प्रतिशत अनुदान दिया जायगा?

श्री बेनी सिंह—

जनपद मथुरा की बरसाना ग्राम जल संपूर्ति योजना की परियोजना तैयार हो गई है और प्राविधिक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता को प्रस्तुत की गई है। प्राविधिक स्वीकृति तथा जिला परिषद् मथुरा से प्रस्ताव प्राप्त होने पर धन अव मुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा। वर्तमान अर्थ व्यवस्था के अनुसार इस योजना के लिये जिला परिषद् को 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत ऋण दिया जा सकेगा।

*9—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त—

[19 वें बुद्धवार में तारांकित प्रश्न सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधीन नई नियुक्तियां

*10—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार ने अल्प निर्माण कार्यों की गति को तेज करने और ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से गत जुलाई, 1972 में सृजितग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधीन कुछ महत्वपूर्ण पदों का सृजन करके नयी नियुक्तियां की हैं? यदि हां, तो कितनी और किस आधार परऔर क्या लोक सेवा आयोग से इन नियुक्तियों में स्वीकृति या परामर्श लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। मुख्य अभियन्ताओं, 20 अधिशासी अभियन्ताओं, 108 सहायक अभियन्ताओं तथा 351 अधिदर्शकों की नियुक्तियों के संबंध में आदेश प्रसारित किये गये हैं। ये नियुक्तियां तदर्थ रुप में की गई हैं। लोक सेवा आयोग से स्वीकृति या परामर्श नहीं प्राप्त किया गया है क्योंकि जनहित में उपर्युक्त पदों पर तुरन्त नियुक्ति करना अनिवार्य था।

विकास खंड, डुमरियागंज, बस्ती के बी० डी० ओ० को अवकाश

*11—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री रामनिहोर राय (जिला मिर्जापुर), श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, (जिला रामपुर), तथा श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि बस्ती जिले के विकास खंड डुमरियागंज के बी० डी० ओ० 22 मई से 11 जुलाई, 1972 तक अवकाश पर थे? यदि हां, तो इसी काल में सम्पन्न होने वाले पचायत चुनावों में उनकी उपस्थिति के महत्व को नजर अन्दाज करके उनको किन कारणों से अवकाश दे दिया गया और क्या यह सच है कि उक्त बी० डी० ओ० ने निर्वाचन अधिकारी के महत्व कार्य की उपेक्षा करते हुये, अवकाश स्वीकृत होने के पूर्व ही मुख्यालय से प्रस्थान कर दिया था? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कायवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास खण्ड डुमरियागंज, जिला बस्ती के तत्कालीन बी०डी०ओ० 22 मई से 11 जुलाई, 1972 तक नहीं बल्कि दिनांक 24 मई, 1972 से 3 जून, 1972 तक आकस्मिक अवकाश लेकर अपनी बहन की शादी के संबंध में घर गये थे किन्तु उनकी माता के स्वर्गवास हो जाने के फलस्वरूप उन्होंने यह अवकाश दिनांक 1 जुलाई, 1972 तक बढ़ा लिया था, जो जिलाधीश, बस्ती द्वारा स्वीकृत किया गया था ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बी०डी०ओ० ने अवकाश स्वीकृत हो जाने के उपरान्त ही मुख्यालय से प्रस्थान किया था । चूंकि चुनाव में सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किया जा चुका था, अतः इस संबंध में अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*12—श्री सूबेदार प्रसाद, श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री रामनिहोर राय, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि डुमरियागंज (बस्ती) के वर्तमान बी० डी० ओ० ने ब्लाक मुख्यालय में स्थित शीशम के पेड़ों को कटवा लिया है जिसकी रिपोर्ट डुमरियागंज थाने में तथा जिला नियोजन कार्यालय में हुई है ? यदि हां, तो इसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सत्य नहीं है कि डुमरियागंज क वतमान खंड विकास अधिकारी ने मुख्यालय में स्थित शीशम के पेड़ों को कटवा दिया है और न ही इसकी रिपोर्ट डुमरियागंज थाना अथवा जिला नियोजन कार्यालय में की गयी थी । अतः इस संबंध में किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अकबरपुर (कानपुर) के ग्राम सेवकों को निर्वाचनार्थ धन

*13—श्री रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी० डी० ओ०, अकबरपुर, जिला कानपुर ने पंचायत निर्वाचन 1972 में पंचायत सेवकों को बूथ बनाने का नियमित धन दे दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं । अभी तक पंचायत सेवकों से व्यय के प्रमाणक प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सहकारिता विभाग में गबन

*14—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि प्रदेश के सहकारिता विभाग में 80 करोड़ के गबन सहकारिता विभाग के विशेष पुलिस दस्ता के सामने आये हैं उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं :—

(अ) कि 240 सहकारी बन्धुओं ने 80 लाख रुपया फर्जी 400 सहकारी संस्थायें बनाकर वसूल किये ?

(ब) कि 8 करोड़ रुपया ए० डी०ओ० सुपरवाइजर, एकाउन्टेन्ट, सरपंचों आदि ने उन लोगों के नाम से निकाला जिनके वजूद दुनिया में नहीं है ?

(स) कि एक मथुरा के सुपरवाइजर ने खाद के नाम स 7 लाख रुपया बैंक से निकाल लिया ?

(ग) कि फर्रुखाबाद के छिबरामऊ के सरपंच ने 70,000 रुपया बैंक से निकाल कर खा गये ?

(घ) कि शाहजहांपुर के ए० आर० ने डी० सी० डी० एफ० में गबन की दो रिपोर्ट थाना सदर बाजार में जून, 1971 में लिखाई ? यदि हां, तो आज तक उपरोक्त मामलों में क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जी नहीं ।

14 (अ) तथा (ब)--ऐसी कोई सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

14 (स)--दिनांक 20-3-72 को ए० डी० सी० ओ० मथुरा ने सदर कोतवाली, मथुरा में क्षत्रीय सहकारी समिति, घनगांव के आंकित के विरुद्ध 16077 रु० 50 पैसा के अपहरण की रिपोर्ट लिखाई जिसकी विवेचना के दौरान समिति के दस्तावेजों के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि समिति में 6,76,686 रु० 9 पैसे का अपहरण है ।

14 (ग)--ऐसा कोई मामला विभाग की जानकारी में नहीं आया है ।

14 (घ)--जी हां । दोनों गबन के मामले अभियोग संख्या 285 तथा 286 धारा 409 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दिनांक 18-7-71 के अंकित किये गये । मामलों की विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है । अब तक दो अभियुक्तों श्री राम पाल मिश्र आंकिक तथा मुंशीलाल भट्ट एकाउन्टेन्ट ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है ।

बी० डी० ओ०, अकबरपुर (कानपुर) की ब्लाक कालोनी में अनियमित नलकूप की शिकायत

*15--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

क्या सामुदयिक विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बी० डी० ओ०, अकबरपुर, जिला कानपुर ने ब्लाक कालोनी में एक नलकूप बिना शासन की पूर्व स्वीकृति लिये लगवाया है ? यदि हां, तो उसके निर्माण में कितना धन व्यय किया गया और क्या नलकूप चालू है या नहीं ? यदि चालू है तो कितनी भूमि और किसी भूमि को सिंचाई की जाती है और इस अनियमित कार्य पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

विकास खण्ड अकबरपुर, जिला-कानपुर की ब्लाक कालौनी में जिस कथित नलकूप का निर्माण कराया गया है वह वास्तव में स्कूल वाटिका, अकबरपुर इण्टर कालेज, अकबरपुर का है । स्कूल वाटिकाओं पर धन व्यय करने के लिये शासन की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । इस नलकूप के निर्माण में शासन द्वारा स्कल वाटिकाओं की स्थापना हेतु प्रदत्त धनराशि में से रु० 3,000-00 (तीन हजार रु०) का व्यय किया गया । नलकूप पूर्णतया चालू हालत में है । इससे स्कल वाटिका की लगभग चार बीघा भूमि तथा एक बीघा से अधिक भूमि कालोनी की सामुदायिक वाटिका तथा गृह वाटिकाओं की सिंचाई होती है । चूंकि कार्य में कोई अनियमितता नहीं प्रतीत हुई इसलिये इस विषय में कोई अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हुई ।

16--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[स्पष्टीकरण क अभाव में निरस्त]

जनपद गोरखपुर में विकास खण्डों के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति

*17—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोरखपुर में जिन दस विकास खंडों को गांधी जन्म-दिवस के दिन चालू किया गया है इनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति एम्प्लायमेन्ट से की गई है या सीधी भरती द्वारा की गई है ? सीधी भरती वाले कौन-कौन कर्मचारी हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पुनर्जीवित विकास खंडों के लिये स्वीकृति 20 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से 10 कर्मचारियों की नियुक्ति निम्न प्रकार से की गई है:—

1—सेवा योजन कार्यालय से	3
2—दूसरे जनपद से स्थानान्तरित	1
3—नियोजन विभाग के रिट्रेन्च्ड कर्मचारी	3
4—सीधी भर्ती	3
योग :	10

सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1—सर्वश्री श्याम प्रसाद।
2—सिंहासन ।
3—रविन्द्र प्रसाद ।

जिला बस्ती में निर्माण-कार्य

*18—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला परिषद् के अन्तर्गत 1962 से 1972 तक कितने रुपये का कौन सा निर्माण-कार्य किस-किस सन् में आरम्भ किया गया और उनमें से कौन सा कार्य सितम्बर, 1972 तक पूरा हो गया, कितना निर्माण कार्य बाकी है? विलम्ब होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वांछित सूचना का विवरण संलग्न है। पूर्ण विवरण को सदन के पटल पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है क्योंकि प्रश्न के उत्तर में पूर्ण सूचना उपलब्ध की गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1003–1004 पर)

प्रतापपुर (इलाहाबाद) की लिफ्ट सिंचाई योजना

*19—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद जनपद में यमुना नदी के किनारे प्रतापपुर नामक स्थान की लिफ्ट सिंचाई की योजना गत दो वर्षों में सर्वेक्षणाधीन थी ? क्या वह समाप्त कर दी गई ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और क्या उसके स्थान पर कोई अन्य योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके द्वारा जिले के उस असिंचित भाग को सिंचित किया जा सके ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले में यमुना नदी पर प्रतापपुर लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित थी परन्तु इसके निर्माण पर बहुत अधिक हानि अनुमानित थी। अतः इस परियोजना को स्वीकृत नहीं किया जा सका।

उपरोक्त योजना के प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

यू० पी० फ्रूट प्रोडक्ट, बरेली को कोटे की चीनी

*20—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० फ्रूट प्रोडक्ट, बरेली को प्रतिमाह कितनी चीनी सरकारी कोटा से प्राप्त होती है और कितना माल उपरोक्त कारखाना प्रतिमाह बरेली से बाहर बिक्री हेतु भेजता है?

श्री रामलखन—

यू० पी० फ्रूट प्रोडक्ट, बरेली को सरकारी कोटे की चीनी नहीं दी जाती है। अतः कारखाने द्वारा बाहर भेजे जाने वाले माल का विवरण प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता।

टाउन एरिया, सैदपुर व दातागंज (बदायूं) के बाईलाज

*21—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संविद सरकार ने सन् 1970 एवं 1971 में टाउन एरिया दातागंज एवं टाउन एरिया, सैदपुर, जिला बदायूं के टोल टैक्स बाईलाज व शेडयूल मंजूर कर लिये थे और फरवरी, सन् 1972 में टोल टैक्स व बाईलाज की स्वीकृति का नोटीफिकेशन दातागंज ने मध्यावधि चुनाव से पूर्व लगभग दूसरे हफ्ते जारी कर दिया गया परन्तु सैदपुर टाउन एरिया, जिला बदायूं के टोल टैक्स रूल्स व शेडयूल की स्वीकृति का नोटिफिकेशन वर्तमान सरकार ने अभी तक जारी नहीं किया है? इसका क्या कारण है और यह नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जायेगा?

श्री बेनी सिंह—

1971 में टाउन एरिया कमेटी, सैदपुर पथ-कर आरोपण के प्रस्ताव की विधिक आपत्तियों के कारण स्वीकृति नहीं दी गई थी। जिलाधिकारी को विधिक स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा गया था कि टाउन एरिया कमेटी, सैदपुर सम्बन्धित तथा हैसियत कर नहीं लगा सकती अतः टाउन एरिया कमेटी से गृहकर या ट्रेड, कालिंग तथा प्रोफेशन टैक्स जैसे परोक्ष कर लगाने को कहा जाय और जब इन करों के नियम व आरोपण जिलाधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिए जायं तब शासन को पथ-कर की स्वीकृति देने के लिए तुरन्त लिया जाय। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

*22—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[22 दिसम्बर, 1972 को उत्तरित]

अमीनाबाद, लखनऊ में अवैध दुकानें

*23—श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका के सम्बन्ध में जनवरी, 1972 से 31 मई, 1972 तक क्या-क्या शिकायती पत्र स्वायत्त शासन मंत्री तथा मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुये जिसमें अमीनाबाद में सार्वजनिक स्थान पर अवैध ढंग से दुकान लगाने की शिकायत की गई है और अब तक इस सम्बन्ध में कौन-सी कार्यवाही की गई है?

श्री बेनी सिंह—

शासन को माननीय सदस्य, विधान सभा, श्री सुखपाल पाण्डे का दिनांक 24 अप्रैल, 1972 को केवल एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ उन्होंने श्री अब्दुल रशीद, अब्दुल हलीम एण्ड मन्म का 7 अप्रैल, 1972 का एक शिकायती-पत्र भेजते हुए यह मांग की थी कि श्री महावीर

नामक व्यक्ति द्वारा श्री अब्दुर रसीद के दूकान के सामने किए गए अनधिकृत कब्जे के संबंध में जांच करायी जाये। श्री महावीर, बृजमोहन एवं अन्य अनधिकृत दूकानदारों को हटाने की कार्यवाही नगर महापालिका कर रही है।

*24—श्री तेजपाल सिंह—

[छठवें बुधवार के लिए प्र० सं० 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कनौडिया कैमिकल, (मिर्जापुर) के दूषित पानी से हानि

*25—श्री राम निहोर राय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मिर्जापुर में स्थित कनौडिया केमिकल का दूषित पानी किस नाले में बहाया जाता है? उससे प्रति वर्ष कितनी मछलियां मरती हैं और उनके मरने से सरकार को कितने धन का नुकसान उठाना पड़ता है? क्या यह भी सही है कि कनौडिया का विषैला पानी नाले से बह कर रेहन्द बांध के पानी में गिरता है? यदि हां, तो सरकार मछलियों की क्षति को रोकने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामलखन—

जिला मिर्जापुर में स्थित कनौडिया केमिकल्स का दूषित पानी डोंगिया नाले में बहाया जाता है। इससे प्रति वर्ष मरने वाली मछली तथा धन की क्षति के आंकड़े संलग्न हैं। यह सही है कि कनौडिया केमिकल का विषैला पानी नाले से बह कर रिहन्द बांध के पानी में मिलता है। मछलियों की क्षति को रोकने के लिए प्रदेशीय एफ्लूयेन्ट बोर्ड के माध्यम से फैक्टरी अधिकारियों को फैक्टरी में एक एफ्लूयेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तथा सेप्टिक जोन में मोनोफिल मेन्ड सिन्थेटिक फाइबर का जाल लगाने का सुझाव दिया गया ताकि रिहन्द बांध की मछलियां सेप्टिक जोन में न पहुंच सकें। फैक्टरी अधिकारियों ने प्लान्ट तथा जाल लगवा दिया है। फलस्वरूप पहले की अपेक्षा अब क्षति कम हो रही है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1005 पर)

उन्नाव जिले में मास्टर प्लान

*26—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश, उन्नाव एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र का कोई मास्टर प्लान बना रहे हैं? यदि हां, तो उसकी क्या प्रगति है और कब तक इस कार्य के पूरा होने की सम्भावना है?

श्री बेनी सिंह—

उन्नाव एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र का एक मास्टर प्लान बनाने का प्रस्ताव नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के विचाराधीन है।

जिला उन्नाव में विकास बोर्ड

*27—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या सरकार गाजियाबाद की तरह उन्नाव में विकास बोर्ड की स्थापना करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक और उसकी रूप-रेखा क्या है?

श्री बेनी सिंह—

जी नहीं।

त्वरित कार्यक्रम (पिथौरागढ़) के अन्तर्गत सड़क निर्माण

*28—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ में त्वरित कार्य-क्रम के अन्तर्गत कितनी सड़कें बनाई जा रही हैं और उनकी प्रगति क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पिथौरागढ़ जिले में त्वरित योजना के अन्तर्गत बनाई जा रही सड़कों की प्रगति का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1006 पर)

*29—श्री लक्ष्मण स्वरूप—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राजेन्द्र नगर, लखनऊ में पी० डब्लू० डी० क्वार्टर्स

*30—श्री विश्राम दास (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजेन्द्रनगर, लखनऊ में पी० डब्लू० डी० क्वार्टर्स के निवासियों के संघ का कोई प्रार्थना-पत्र गत चार माह में इस आशय का प्राप्त हुआ है कि रोजाबाग स्लम क्षेत्र होने के फलस्वरूप उनके एवं उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर व्यापक असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां, गत चार माह में (27-11-72 से) राजेन्द्र नगर, लखनऊ में पी० डब्लू० डी० क्वार्टर्स के निवासियों के संघ के दो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें रोजाबाग क्षेत्र में गन्दगी आदि की शिकायत की गयी है। नगर महापालिका ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र के विस्थापितों की समस्या सुलझाने का प्रश्न नगर महापालिका की विकास समिति द्वारा गठित उप-समिति के विचाराधीन है।

*31—श्री कल्याण सिंह—

[5वें शुक्रवार में ता० प्र० 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*32—श्री राम निहोर राय—

[3रे शुक्रवार में ता० प्र० सं० 35 के अन्तर्गत उत्तरित]

मधुबन, आजमगढ़ में चिकित्सालय की इमारत

*33—श्री राम बिलास पाण्डेय—

क्या कृषि मंत्री को पता है कि मधुबन, आजमगढ़ में पशु चिकित्सालय पिछले 6-7 वर्ष से चल रहा है और उसकी अपनी कोई इमारत (भवन) नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस भवन को शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामलखन—

जी हां।

जी हां।

भवन निर्माण के आदेश दे दिये गये हैं और आशा है कि निर्माण-कार्य शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायगा।

कृषि विभाग में कर्मचारियों का एप्रूवल तथा स्थायीकरण

*34—श्री कल्याण सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में कौन-कौन व्यक्ति दिनांक 31 मार्च, 1972 तक गत 5 वर्षों से अथवा अधिक अवधि से निरन्तर कार्यवाहक जिला कृषि अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं? नियमानुसार यथा समय उनका एप्रूवल तथा स्थायीकरण न कराये जाने के क्या कारण है? और सरकार उन्हें एप्रूव एवं स्थायी करने के लिये क्या कार्यवाही करने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन—

कृषि विभाग, उ० प्र० में गत 5 वर्षों से अथवा अधिक अवधि से सर्वश्री जी० पी० एस० तोमर, गिरिराज सिंह चौधरी, जे० पी० नेथानी, अवध नारायण चांद तथा अतर सिंह कार्यवाहक जिला कृषिअधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे। अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 के अधिकारियों के स्थायीकरण तथा ज्येष्ठता निर्धारण का मामला कृषि निदेशक के विचाराधीन है। इसमें निर्णय हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी–2 में इनके एप्रूवल तथा स्थायीकरण का प्रश्न उठेगा।

लखनऊ में बाढ़ से चिड़िया झील टूटने से क्षति

*35—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1971 की बाढ़ में जब लखनऊ की चिड़िया झील टूटी उस समय सिस गोमती पम्पिंग स्टेशन पर स्वायत्त शासन, अभियन्त्रण विभाग के कौन-कौन से अधिकारी थे और क्या यह सच है कि चिड़िया झील के टूटते ही अधिकारीगण वहां से भाग गये तथा उनके भागने से पम्पिंग स्टेशन के अन्दर पानी भर गया और पम्प डूब गये?

श्री बेनी सिंह—

सन् 1971 की बाढ़ में जिस समय पुराना बटलर बांध चिड़िया झील के निकट टूटा उस समय सिस गोमती पम्पिंग स्टेशन पर स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के दो अधीक्षण अभियन्ता, दो अधिशासी अभियन्ता और तीन सहायक अभियन्ता उपस्थित थे। यह सत्य नहीं है कि उपरोक्त अधिकारी झील के टूटते ही वहां से भाग गये और उनके भागने के कारण पम्पिंग स्टेशन के अन्दर पानी भर गया और पम्प डूब गये।

*36—श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या इस दुर्घटना से विभाग का एक लाख रुपये के लगभग नुक्सान हुआ और यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

श्री बेनी सिंह—

पम्पिंग स्टेशन के अन्दर पानी भर जाने के कारण पानी में डूबे हुए पम्पों की मरम्मत कराकर पुनः चालू कराने में लगभग 68,000 रु० व्यय हुआ। बटलर बांध की सुरक्षा में लगे सेना के जवानों को बिजली के करेन्ट से बचाने के लिये उस क्षेत्र की बिजली बन्द कर देने के कारण भरा हुआ पानी नहीं निकाला जा सका। इस व्यय हेतु कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सेवा मंडल द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति

*37—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सहकारी अधिनियम की धारा 122 के अन्तर्गत जो सेवा मंडल का गठन किया गया था और संस्थाओं को निर्देश दिये

गये थे कि कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि का सारा कार्य मण्डल द्वारा किया जायगा ? क्या नियमानुसार इस पर कार्य हो रहा है ? यदि नहीं, तो इसको दूर करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां। कुछ सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य सभी समितियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्तियां सेवा मंडल के परामर्श से ही की जा रही हैं। निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा सभी सहकारी समितियों को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे सीधी भर्ती न करके सभी नियुक्तियां सेवा मंडल के माध्यम से करें।

बी० डी० ओ०, पनियारा (गोरखपुर) के विरुद्ध अनशन

*38—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि दिनांक 23 नवम्बर, 1972 को जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र पनियारा के बी० डी० ओ० के विरुद्ध उक्त ब्लाक के गेट पर किसी ने अनिश्चित कालीन अनशन प्रारम्भ किया था ? और क्या यह भी सच है कि ए०डी० एम० (पी०) द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 1972 को अनशन तोड़वाया गया ? यदि हां, तो किस आश्वासन पर तथा क्या यह सच है कि उक्त बी० डी० ओ० के विरुद्ध सम्बन्धित थाने में 323, 147 और 426 की धारायें दर्ज हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। दिनांक 23-11-72 को एक व्यक्ति ने बी० डी० ओ० पनियारा को मुअत्तल किये जाने की मांग लेकर अनशन प्रारम्भ किया था। बाद में अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) गोरखपुर के इस आश्वासन पर कि यदि बी० डी० ओ० दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी, उन्होंने अनशन तोड़ दिया।

यह भी सच है कि उक्त बी० डी० ओ० के विरुद्ध थाना श्याम देउरवा में धारा 323, 147 तथा 426 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज हुई है।

उन्नाव जिले में सड़क निर्माण

*39—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की शारदा नहर की सर्विस रोड को पक्का करने के लिये कौन-कौन सी सड़कें चुनी गई हैं और उन पर कब से कार्य आरम्भ हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

निम्नलिखित दो सड़कों को चुना गया है :—

1—वारीयाना-मुंडा कैनाल रोड—2·5 कि० मी०।

2—कुसुम्भी निरीक्षण भवन एप्रोच रोड—1 कि० मी०।

इन सड़कों पर फरवरी, 1973 से कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

विद्युत् एवं यांत्रिक अभियन्ताओं हेतु समिति का गठन

*40—श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री बलबीर सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में विद्युत् एवं यांत्रिक कार्य-भार (वर्कलोड) निकालने हेतु स्वायत्त शासन विभाग में किसी समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो उसके गठन का आधार क्या है ?

श्री बेनी सिंह—

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में विद्युत् एवं यांत्रिक कार्यभार निकालने के लिये नहीं बल्कि विद्युत् एवं यांत्रिक अभियन्ताओं के सेवा सम्बन्धी मामलों पर विचार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया है ।

त्वरित योजना के अन्तर्गत कानपुर जिला परिषद् की सड़कें

*41—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला परिषद् की त्वरित योजना के अन्तर्गत जो 14 लाख रुपया आवंटित किया गया था और जिसके सम्बन्ध में 20 जून, सन् 1972 को जिला परिषद्, कानपुर की परामर्शदात्री समिति ने अपने सर्वसम्मति निर्णय के आधार पर 21 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का निर्णय लिया था वह कौन-सी सड़कें हैं। क्या इस सर्वसम्मति निर्णय को जिलाधिकारी द्वारा बदल कर कोई अन्य सड़कें बनाई जा रही हैं ? यदि हां, तो कौन-सी तथा क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

त्वरित योजना के अन्तर्गत जिला परिषद्, कानपुर को कोई 14 लाख रुपये का अनुदान नहीं दिया गया है । लिंक रोड्स निर्माण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों को पक्का तथा सुदृढ़ करने के लिये 14.81 लाख रुपये का अनुदान परिषद् को दिया गया है।

जिन सड़कों को दिनांक 20 जून, 1972 को चुना गया था उनकी सूची संलग्न है।

जिला अधिकारी ने उन सड़कों के स्थान पर दूसरी सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसकी उनको स्वीकृति दे दी गई । उन सड़कों की सूची संलग्न है ।

दिनांक 20 जून, 1972 को जो परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी उसमें 31 सदस्यों में 4 ने भाग लिया और उक्त सड़कों का चयन किया । जब दिनांक 12 जुलाई, 72 को परामर्शदात्री समिति की बैठक में इन सड़कों की पुष्टि के लिये रखा गया तो 4 सदस्यों को छोड़कर सभी ने विरोध किया । तब जिला अधिकारी ने सभी विधायकों से सुझाव प्राप्त किये और अपने सुझावों के साथ सड़कों की सूची शासन को भेज दी जिसमें शासकीय निर्णय के अनुसार नहरी सड़कों को समावेश किया गया ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1007 पर)

ग्राम अभियंत्रण योजना में अभियंता की आयु सीमा

*42—श्री जगन्नाथ राव तथा श्री उमानाथ सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि ग्राम अभियंत्रण योजना में अभियन्ताओं की भर्ती के लिये आयु सीमा 27 वर्ष है तथा सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग अन्य विभागों में आयु सीमा 30 वर्ष है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत सहायक अभियन्ताओं की सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष रखी गई है । सिंचाई विभाग स्वायत्त शासन विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों में अधिकतम आयु सीमा 33 वर्ष विशेष दशा में वर्ष 1971 तथा 1972 में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित की गई है । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में भी 1972 में चुने गये सहायक अभियन्ताओं की भर्ती के लिये 33 वर्ष आयु सीमा निर्धारित करने के संबंध में आयोग के सहमति हेतु लिखा गया है।

फर्रुखाबाद जिले में अमीनों की सेवा समाप्ति

*43—श्री मदुराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री बिहारी लाल (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या कृषि मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले में जुलाई, 1972 से 30 नवम्बर, 1972 के बीच बीसों कृषि विभाग के अमीनों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं? यदि हां, तो किस-किस अमीन पर क्या-क्या आरोप है और क्या यह भी सही है कि इसके कारण सरकारी ऋण आदि की वसूली पिछले साल से स्थगित है?

श्री रामलखन—

फर्रुखाबाद जिले में जुलाई, 1972 से 30 नवम्बर, 1972 तक कृषि विभाग के 10 अमीनों की सेवायें समाप्त की गई हैं। उपरोक्त अमीन निर्धारित लक्ष्य रु० 5,000 प्रतिमाह की वसूली नहीं कर सके। इन अमीनों की औसत वसूली रु० 2,000 प्रतिमाह से भी कम रही।

उपरोक्त अवधि में कृषि विभाग के ऋण की वसूली शासन द्वारा स्थगित नहीं की गई थी।

पराजित ब्लाक प्रमुख, देवरिया द्वारा पद का अनियमित उपयोग

*44—श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

क्या यह सही है कि देवरिया जिले के पराजित देवरिया ब्लाक के प्रमुख श्री महेन्द्र सिंह यादव की रिट पिटीशन हाई कोर्ट इलाहाबाद से सन् 1969 में खारिज हो गई थी एवं उस पर पुनर्विचार भी सन् 1970 में खारिज हो गया था? क्या यह सही है कि 1972 तक अपने पद पर बने रहे और सरकारी साधनों, टी० ए०, डी० ए० अनधिकृत ढंग से उपयोग करते रहे? यदि हां, तो शासन उनके विरुद्ध अथवा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

श्री महेन्द्र सिंह यादव की रिट पिटीशन तथा पुनर्विचार पर माननीय हाई कोर्ट के निर्णय जिला अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुये। अतएव सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

नगरपालिका हापुड़ के सदस्यों के जाली त्याग-पत्र

*45—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका हापुड़ के नौ सदस्यों के त्याग-पत्र जाली हस्ताक्षरों सहित सरकार को स्वीकृति हेतु सितम्बर अथवा अक्टूबर, 1972 में भेजे गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बेनी सिंह—

जी हां।

नगरपालिका हापुड़ के नौ सदस्यों के हस्ताक्षर सहित त्याग-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के कार्यालय में दिनांक 22 व 23 अगस्त, 1972 को डाक द्वारा प्राप्त हुए थे, जिन्हें उन्होंने शासन को अग्रसारित किया था। बाद में उक्त नौ सदस्यों के इस आशय के शपथ-पत्र कि उन्होंने कोई त्याग-पत्र नहीं दिया था, प्राप्त होने पर त्याग-पत्र के आधार पर सदस्यों के पद रिक्त नहीं माने गये।

इस मामले में नगरपालिका हापुड़ के छः अपदस्थ अध्यक्ष ने उच्च न्यायालय में रिट दायर की जो न्यायालय द्वारा विचारोपरान्त खारिज कर दी गई। अतः और किसी जांच की आवश्यकता नहीं रह गई।

मेरठ नगरपालिका के खत्तों का नीलाम

*46—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगरपालिका के खत्ते 1971–72 व 1972–73 में कितने रुपयों के नीलाम हुए? क्या यह सच है कि इस वर्ष हुई खत्तों की नीलामी से बोर्ड को लगभग 3 या 4 लाख रुपयों की हानि हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री बेनी सिंह—

वर्ष 1971–72 व 1972–73 में नगरपालिका मेरठ के खाद के खत्ते क्रमशः 1,87,025 रु० व 1,66,315 रु० में नीलाम हुए। इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष नगरपालिका को खत्तों की नीलामी से कुल 20,710 रु० की कम आय हुई न कि 3 या 4 लाख रुपये की। चूंकि नीलाम की कार्यवाही व्यापक प्रचार के उपरान्त विधिवत् की गई थी, अतः जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

जनपद रामपुर और मुरादाबाद में पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप

*47—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1972–73 के लिये जनपद रामपुर और मुरादाबाद कितनी-कितनी धनराशि कितने-कितने कुंओं के लिये आवंटित की गई है? इस धनराशि से दोनों जनपदों में अलग-अलग कितने-कितने कुयें बन चुके हैं और कितनों का निर्माण होना शेष है जो कुयें बन चुके हैं उनमें से हरिजन बस्तियों में किस-किस ग्राम में बनाये गये हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पेय जल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1972–73 के लिये रामपुर को 3,70,370.00 रुपये की धनराशि 140 पेयजल कूप निर्माण के लिये तथा मुरादाबाद को भी 370,370.00 की धनराशि 140 पेयजल कूप निर्माण के लिये आवंटित की गई है। इस धनराशि से रामपुर में 103 कुएं तथा मुरादाबाद में 87 कुएं का निर्माण हो चुका है। रामपुर में 37 तथा मुरादाबाद में 53 कुओं का निर्माण होना शेष है। जिन हरिजन बस्तियों में कुओं का निर्माण हो चुका है उन ग्रामों की सूची परिशिष्ट (क) पर दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1008 पर)

*48—श्री महीलाल—

क्या यह सही है कि शासन ने जिला अधिकारियों को यह आदेश दिये थे कि उक्त योजना के अन्तर्गत ऐसी हरिजन बस्तियों में ही कुएं बनाये जायं जहां पीने के पानी की उचित व्यवस्था न हो ?

*श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

किन्तु प्रारम्भ में ऐसे आदेश थे कि गैर हरिजन बस्ती में भी जहां पीने के पानी का अभाव है कुआं बनवाया जा सकता है।

विकास खण्ड मिहीपुरवा-बहराइच के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*49—श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)—

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले मिहीपुरवा ब्लाक क्षेत्र के 16 पंचायत सेवकों एवं अन्य कई कर्मचारियों का स्थानान्तरण वर्ष 1972 में भ्रष्टाचार के कारण किया गया था परन्तु पुनः ये स्थानान्तरण स्थगित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

(i) वर्ष 1972 में विकास खण्ड मिहीपुरवा जिला बहराइच के पंचायत सेवकों अथवा कर्मचारियों का स्थानान्तरण भ्रष्टाचार के कारण नहीं किया गया।

(ii) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग के राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण

*50—श्री रामपाल त्रिवेदी (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में कितने ऐसे राजपत्रित अधिकारी हैं जो लखनऊ में चार वर्षों से अधिक समय से नियुक्त ह और उनके अन्यत्र स्थानान्तरण न करने के क्या कारण हैं ?

श्री बेनी सिंह—

स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग में इस समय केवल सात ऐसे राजपत्रित अधिकारी हैं जो लखनऊ में लगातार चार वर्षों से अधिक समय से नियुक्त हैं।

जनहित में इनका स्थानान्तरण चार साल के बाद नहीं किया जा सका।

*51—श्री रामपाल त्रिवेदी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सम्पत्ति एवं हैसियत कर में अनियमितताओं की जांच

*52—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

विधान सभा के दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 55 के सन्दर्भ में क्या स्वायत शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में किसी शिकायत पर अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन से कोई जांच करायी थी? यदि हां, तो उक्त अधिकारी की जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। जिलाधिकारी नियोजन द्वारा जांच किये जाने पर टाऊन एरिया कमेटी द्वारा लगाये गये सम्पत्ति एवं हैसियत कर निर्धारण में कुछ अनियमितताएं तथा त्रुटियां पाई गई—जिनके निराकरण हेतु तथा सभी करदाताओं पर एक सी प्रतिक्रिया रखने व सही ढंग से कर निर्धारण हेतु अध्यक्ष, टाउन एरिया कमेटी, हल्दौर को जिला मैजिस्ट्रेट बिजनौर द्वारा आदेश दिये गये जिसके फलस्वरूप कमेटी ने कर सूची संशोधित रूप से पुनः तैयार करने की कार्यवाही की।

*53—श्री तेजबहादुर गंगवार—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

प्रदेश में न्याय पंचायतों का गठन

*54—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायत का गठन कब तक सम्पन्न हो जायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

न्याय पंचायतों के गठन के पूर्व अधिनियम में कुछ संशोधन आवश्यक हैं जिसका विधेयक विधान मंडल के समक्ष है। संशोधन हो जाने के उपरान्त गठन के लिये कार्यवाही की जायगी।

*55—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[प्रदेशीय सरकार से असम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

बांघला बांध, इलाहाबाद का विस्तार

*56—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जनपद में स्थित, बांधला बांध के विस्तार करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्या सरकार बांधला बांध की पहुंच के बाहर वाले समीपवर्ती पचासों अन्य ग्रामों में सिंचाई के अन्य कोई साधन प्रदान करने पर शीघ्र विचार करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इलाहाबाद जिले में यमुना नदी से पड़वा ग्राम के समीप एक 50 क्यूसेक्स की बांधला लिफ्ट कैनाल बनाई जा रही है। यह नहर बांधला बांध से निकली नहर के चौथे मील में मिलेगी तथा बांधला बांध की नहरों का विस्तार करके कुछ समीप वर्ती ग्रामों में 12,880 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, शेष ग्रामों को सिंचाई सुविधा देने के लिये सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है।

*57—श्री सूबेदार सिंह—

[पुनर्विचार पर अस्वीकृत]

बदायूं के गंगा मेला ककौड़ा में नरबासा तथा मेला से आय व उसका हिसाब

*58—श्री शिवकुमार मिश्र (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला परिषद्, बदायूं के प्रबन्ध में गंगा मेला ककौड़ा में नखासा तथा मेला की कितनी आमदनी पिछले 5 वर्षों में हुई है और उसका प्रतिवर्ष का ब्यौरा किस प्रकार का है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद्, बदायूं के मेला ककौड़ा में नखासा तथा मेला की पिछले 5 वर्ष की आय निम्न-प्रकार है:—

वर्ष		नखासा	अन्य श्रोत	योग
		रु०	रु०	रु०
1968	..	8,000	33,898.40	41,898.40
1969	..	6,000	28,369.80	34,369.80
1970	..	4,679.79	36,900.00	41,579.79
1971	..	2,240.96	26,061.85	28,302.81
1972	..	5,500	29,954.35	35,454.35

*59—श्री शिवकुमार मिश्र—

क्या यह सही है कि इस मेले के हिसाब- किताब में काफी घोटाला है? और आडिट रिपोर्ट में भी गंभीर अनियमिततायें दिखाई गई हैं? यदि हां, तो वे आपत्तियां किस प्रकार की हैं और कौन अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

अभी तक प्राप्त आडिट नोट में कोई गंभीर अनियमितता नहीं दिखाई गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मैनपुरी जनपद में अमीनों की सेवा समाप्ति

*60—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971 तथा 1972 में मैनपुरी जनपद में कृषि विभाग के कितने तथा किन-किन अमीनों की सेवायें समाप्त की गईं ? उनके द्वारा कितनी वसूली की गई तथा निर्धारित वसूली के लक्ष्य क्या थे ?

श्री रामलखन—

मैनपुरी जनपद में वर्ष 1971 तथा 1972 में कृषि विभाग के क्रमशः 19 तथा 15 अमीनों की सेवायें समाप्त की गयी थीं । वसूली का निर्धारित लक्ष्य रुपया 5,000 प्रति मास था तथा सेवा से निकाले गये प्रत्येक अमीन की वसूली निर्धारित लक्ष्य से कम थी ।

विकास क्षेत्र जोगिया, जिला बस्ती में पुलिया बनाने के लिये धन

*61—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र जोगिया के ग्राम सभा कौड़री में विकास क्षेत्र समिति जोगिया की ओर से वर्ष 1963 तथा 1966 के बीच पुलिया बनवाने हेतु धन दिया गया था? यदि दिया गया तो पुलिया बनी या नहीं ? यदि नहीं, तो वह रुपया क्या हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास क्षेत्र समिति जोगिया की ओर से वर्ष 1963 से 1966 के बीच पुलिया बनाने के लिये ग्राम सभा कोड़री को कोई धनराशि नहीं दी गई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

विकास क्षेत्र बांसी, जिला बस्ती में मुफ्त बीज देने की योजना

*62—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विकास क्षेत्र बांसी के अन्तर्गत मुफ्त एवं आधे कीमत पर कितने ग्रामों में बीज देने की योजना सरकार की ओर से थी और उन गांवों में कुल कितने काश्तकारों को इस योजना के अन्तर्गत बीज लेने थे, उसमें से दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 तक किन-किन ग्रामों के कितने-कितने लोगों को मुफ्त तथा आधे कीमत पर बीज दिया गया ? जिन लोगों को नहीं दिया गया उसका कारण क्या है ?

श्री रामलखन—

बस्ती जनपद में विकास क्षेत्र, बांसी के अन्तर्गत 22 ग्रामों में आधे एकड़ तक के काश्तकारों को बीज की पूरी मात्रा तथा एक एकड़ तक के कृषकों को बीज की आधी मात्रा मुफ्त बीज देने की योजना सरकार की ओर से थी । इन ग्रामों में 1,816 काश्तकारों को इस योजना के अन्तर्गत शासन के कृषि विभाग द्वारा बीज उपलब्ध कराना था । दिनांक 13-12-72 तक कुल

17 ग्रामों के 711 पात्र कृषकों में से 564 को मुफ्त बीज दिया गया। जिन लोगों को नहीं दिया गया उसका कारण निम्नलिखित है :—

(1) वितरण के समय कृषकों का अनुपस्थित रहना।

(2) कृषकों का प्रधानों एवं स्थानीय कर्मचारियों का सही सत्यापन न होना।

(3) मृतक लावारिस कृषकों का होना।

(4) समय से तहसीलदार द्वारा सम्पूर्ण कृषकों की सूची का उपलब्ध न कराना।

इसके अतिरिक्त 16 ग्रामों में 103 सहकारी सदस्यों को सहकारी समितियों द्वारा निःशुल्क बीज दिया गया।

सीनियर बोटेनिकल असिस्टेंट के पदों का स्थायीकरण

*63—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1968 से अब तक (15-12-72) तक विभाग में जूनियर बोटेनिकल असिस्टेंट (अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रुप-2) तथा सीनियर बोटेनिकल असिस्टेन्ट (अधीनस्थ कृषि सेवा, ग्रुप-1) के कितने स्थायी पदों का सृजन किया और उनमें से अलग-अलग कितने पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किया गया? दोनों वर्गों में कितने-कितने स्थायी पद आज भी रिक्त हैं और उन पदों को रिक्त बनाये रखने का क्या कारण है?

श्री रामलखन—

जनवरी, 1968 से 15 दिसम्बर, 1972 तक केवल सीनियर बोटेनिकल असिस्टेन्ट के 6 पद स्थायी किये गये। इनमें से 2 पदों पर स्थायीकरण हो चुका है। चार पर होना शेष है। यह पद अब कृषि विज्ञान संस्थान के अधीन आ गये। संस्थान में इन का अलग संवर्ग बन जाने के उपरान्त स्थायी रिक्त पदों पर स्थायीकरण करना संभव हो सकेगा।

सचिवालय, कालोनी महानगर, लखनऊ में भूमि का आवंटन

*64—श्री बासुदेव सिंह वैश्य तथा श्री रामहर्ष मिश्र (जिला बहराइच)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिवालय कालोनी महानगर, लखनऊ में माउन्ट कार्मेल स्कूल के पीछे स्थापित हिन्दुओं के मन्दिर को 28,000 वर्गफुट भूमि का आबंटन दिनांक 11 जनवरी, 1963 के नगर अभियंता (सामान्य) ने अपने पत्र सं० 2615/महा, द्वारा दिया था? यदि हां, तो किनको और उक्त भूमि किनके-किनके नाम में नगर महापालिका के रिकार्ड्स में रजिस्टर की गई और क्या यह सत्य है कि उक्त भूमि पर बनने वाले कम्युनिटी भवन के स्थान पर अब प्राइवेट मकान बनाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से?

श्री बेनी सिंह—

जी हां, महानगर गृह निर्माण योजना में मन्दिर समिति को 28,000 वर्ग फुट भूमि आबंटित की गई थी तथा दिनांक 11-1-63 को इस भूमि की लीज की दर एक रु० प्रति वर्ष की सूचना दी गई थी। इस भूमि का कोई भू भाग किसी अन्य व्यक्ति को एलाट नहीं किया गया है और इस तरह किसी अन्य व्यक्ति का नाम महापालिका रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

उपरोक्त 28,000 वर्ग फीट भूमि जो मन्दिर समिति के कब्जे में है, उस पर कम्युनिटी सेन्टर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। इस 28,000 वर्ग फीट भूमि के किसी भाग पर कोई प्राइवेट भवन निर्माण नहीं किया जा रहा है। यह 28,000 वर्ग फीट भूमि कुल मन्दिर समिति के कब्जे में है।

श्री रामरूप सिंह सहायक, आंकिक, जिला कृषि कार्यालय, जौनपुर का स्थानान्तरण

*65—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री रामरूप सिंह, सहायक आंकिक, जिला कृषि कार्यालय, जिला जौनपुर में 3 वर्ष से अधिक से कार्यरत हैं और उनका स्थानान्तरण किस-किस तिथि में कहां-कहां हुआ और उनके स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री रामलखन—

जी हां। उनका स्थानान्तरण निम्नलिखित तिथियों को उनके सम्मुख उल्लिखित स्थानों को किया गया :—

(1) 23-6-71 जिला कृषि कार्यालय, गोंडा

(2) 27-7-71 जिला कृषि कार्यालय, गाजीपुर

(3) 1-11-72 भूमि संरक्षण कार्यालय, जौनपुर,

क्रमांक (1) तथा (2) के स्थानान्तरण के आदेशों को जनहित एवं श्री सिंह की पारिवारिक परिस्थितियों में निरस्त किया गया था। क्रमांक (3) के आदेश को केवल स्थगित किया गया था और अब अन्य जनपद में उनका स्थानान्तरण किये जाने के लिये निर्देश दिये गये हैं।

विकास क्षेत्र अधिकारी, खड़ासा, जिला फैजाबाद के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*66—श्री धूम प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद विकास क्षेत्र खंड़सा के विकास क्षेत्र अधिकारी के विरुद्ध माह नवम्बर, 1972 के अन्तिम सप्ताह में जिला पूर्ति अधिकारी व आयुक्त, फैजाबाद मंडल को शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उक्त अधिकारी द्वारा स्टेट वर्क द्वारा बनाई जा रही सड़क के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न करना उक्त क्षेत्र के कोटेदारों से मासिक (हर माह बंधी हुई) रिश्वत लेने के आरोप हैं यदि हां, तो अब तक (18 दिसम्बर, 1972) उस शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

केवल आयुक्त, फैजाबाद को एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसे उप विकास आयुक्त के माध्यम से जिला नियोजन अधिकारी, फैजाबाद को जांच हेतु भेज दिया गया था। जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

बहराइच जनपद में कृषि यंत्रों की तकावी

*67—श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1971-72 में बहराइच जनपद में कृषि यंत्रों की तकावी के लिये एक लाख रुपये की निर्धारित रकम को प्राप्त करने के लिये कितने कृषकों ने प्रार्थना-पत्र दिये, उनमें से कितने को तकावी दी गई और कितनों को नहीं और कितनी रकम बिना बांटे हुए रह गई और क्यों ?

श्री रामलखन—

वर्ष 1971-72 में बहराइच जनपद में कृषि यंत्रों की तकावी के लिये एक लाख रुपये की आवंटित धनराशि के लिये कुल 88 कृषकों ने प्रार्थना पत्र दिये जिसमें से 18 कृषकों को तकावी दी गई। 70 कृषकों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्रों को स्वीकृत न किये जाने के कारण तकावी नहीं दी जा सकी जिसके फलस्वरूप 76,850 रुपये की धनराशि बिना बांटे रह गई।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुरादाबाद में नियुक्तियां

*68—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सहकारी सेवा आयोग स्थापित होने के पश्चात् भी बैंक के सचिव एवं संचालक मंडल ने 28 व्यक्तियों को बैंक में नियुक्त किया है जिसके लिये न तो कोई विज्ञापन ही दिया गया और न लिखित एवं मौखिक परीक्षायें ही ली गईं ? यदि हां, तो सचिव एवं संचालक मंडल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या की जावेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला सहकारी बैंक लि०, मुरादाबाद में 29-5-72 से 13-1-73 तक 20 व्यक्ति कोषाध्यक्ष, लिपिक एवं स्टोर कीपर के कार्य के लिये दैनिक देय पर नियुक्त किये गये हैं तथा 6 व्यक्ति चौकीदार एवं चपरासी का कार्य करने के लिये दैनिक देय पर नियुक्त कर रखे हैं इस प्रकार कुल मिलाकर 26 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है।

यह सत्य है कि इन दैनिक देय पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को किसी विज्ञापन या लिखित एवं मौखिक परीक्षा के आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन व्यक्तियों को अस्थायी दैनिक देय पर रखा जा रहा था। सचिव या संचालक मंडल के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही इस संबंध में की गयी है और न कोई कार्यवाही आवश्यकीय है क्योंकि इन व्यक्तियों को दैनिक देय पर इसीलिये रखा गया है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव हो जायगा इन्हें हटा दिया जायगा और यदि इससे पहले भी किसी को अनावश्यक समझा गया तो उसे हटा दिया जावेगा।

*69—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि०, मुरादाबाद कार्यालय में वर्ष 1971-72 में विभागीय अधिकारी के सचिव पद पर होते हुये करोड़ों रुपये के बाउचर, प्रोनोट, एग्रीमेंट, ऋण, प्रार्थना-पत्र एवं अन्य बहुमूल्य दस्तावेज बिना कोई रिकार्ड रखे जला दिये गये ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या उचित कार्यवाही की गई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

यह सत्य है कि वर्ष 1971-72 में बैंक के सचिव सरकारी अधिकारी थे परन्तु उनकी तथा संचालक मंडल की जानकारी में किसी धनराशि के वाउचर, प्रोनोट, एग्रीमेंट, ऋण प्रार्थना-पत्र एवं अन्य बहुमल्य दस्तावेज न तो जलाये गये और न ही नष्ट किये गये अतएव किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला परिषद्, गोरखपुर को लिंक रोड्स निर्माण हेतु धनराशि

*70—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिला परिषद् ने अपने प्रस्ताव द्वारा राज्य सरकार से प्राथमिकता के आधार पर इसी वित्तीय वर्ष में एक लिंक रोड के लिये धन की मांग की है ? यदि हां, तो उक्त लिंक रोड को जिसका नाम पिड़हानी-बैरिया घाट है, रुपया देकर काम शुरू कराने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद्, गोरखपुर को लिंक रोड्स निर्माण हेतु 14.81 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। इसके लिय जिला परिषद ने 32 किलोमीटर लम्बी 6 सड़कों की सूची भजी है। इसके अतिरिक्त परिषद् ने 13.5 किलोमीटर की 4 सड़कों के निर्माण के 7 लाख रुपये की मांग की। जिसे शासन ने अस्वीकार कर दिया। इन अतिरिक्त सड़कों में पिड़हानी—बैरियाघाट 4 किलोमीटर की एक सड़क है।

सहायक विकास अधिकारियों का स्थायीकरण

*71—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे सहायक विकास अधिकारी पंचायत हैं जिनका सेवाकाल 15 वर्ष से अधिक हो चुका है और अब तक वे स्थाई नहीं किये गये हैं तथा इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

(I) ऐसे 332 सहायक विकास अधिकारी हैं।

(II) इनके स्थायीकरण के लिये सम्मिलित संवर्ग की ज्येष्ठता सूची तत्काल निर्धारित न हो सकने एवं लोक सेवा आयोग द्वारा वांछित अनेक सूचनायें एवं अभिलेख अपूर्ण होने के कारण समय से उन्हें उपलब्ध न कर सकने आदि की कठिनाइयों के कारण विलम्ब हो रहा है।

टाउन एरिया कमेटी, महमूदाबाद (सीतापुर) के नवनिर्वाचित चेयरमैन

*72—श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर में कस्बा महमूदाबाद टाउन एरिया के चेयरमैन का चुनाव 13 नवम्बर, 1972 को हुआ था गिनती 14 नवम्बर 1972 को हुई थी ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जीते हुये चेयरमैन को अभी तक चार्ज नहीं दिलाया गया है ?

श्री बेनी सिंह—

जी हां। जीते हुये चेयरमैन श्री मोहम्मद उमर खां को टाउन एरिया कमेटी महमूदाबाद का चार्ज दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 को दिला दिया गया है।

*73—श्री शिवदास तिवारी—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित]

जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा कर्मचारियों की नियुक्तियां

*74—श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री राम बिलास पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में जिला नियोजन अधिकारी ने दिनांक 28 अक्तूबर, 1972 को कुछ नियुक्तियां की हैं। जिनमें उन कर्मचारियों की जो ज्येष्ठता के आधार पर छटनी शुदा थे नहीं रखा है ? यदि हां, तो क्या छटनी शुदा कर्मचारियों की 1 जुलाई, 1972 से पूर्व की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और यह भी बतायेंगे कि जिनको नहीं रखा गया है उसका क्या कारण है जबकि राजाज्ञा संख्या 89 (1) 67—ओ0 एण्ड एम0 (1), दिनांक 2 नवम्बर, 1970 का स्पष्ट निर्देश मौजूद था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ ने 28—10—72 को छटनी शुदा 14 लिपिकों में से उपयुक्तता के आधार पर 6 नियुक्तियां की है। वांछित सूची संलग्न है। इस सूची में से सर्वाधिक उपयुक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और शासनादेश संख्या 89(1)/67 ओ0 एण्ड एम0 दिनांक 2—11—70 को ध्यान में रखते हुये ही नियुक्तियां की गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1011 पर)

जखोरा ब्लाक, जिला झांसी में गबन

*75—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जखोरा ब्लाक जिला झांसी के तथा कुछ

और लोगों के विरुद्ध लगभग एक लाख रुपयों का गबन तथा फर्जी इन्द्राज आदि करने के सम्बन्ध में सितम्बर, 1972 में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है तथा सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई ? तथा क्या यह सही है कि जांच-कर्ता का ट्रान्सफर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां, माह सितम्बर, 1972 में श्री उमा शंकर राय, सहायक विकास अधिकारी (पं०) ब्लाक जखोरा की ओर से दिनांक 18-9-72 तथा 19-9-72 को क्रमशः रुपया 3,595·00, 6,000·00 4,000·00 एवं 1,088·46 पैसे के गबन की चार रिपोर्टें थाना जखोरा में सर्वश्री जय सिंह, गोविन्द सिंह, लक्ष्मन प्रसाद पंचायत सेवक एवं चन्द्रभान शर्मा पंचायत सेवक ब्लाक जखोरा के विरुद्ध अंकित हुई थी।

संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी वा अदालती कार्यवाही की जा रही है ।

श्री चन्द्रभान शर्मा, तथा लक्ष्मन प्रसाद रिपोर्टों के आधार पर निलम्बित किये जा चुके हैं। विभागीय जांच अधिकारी, श्री उमा शंकर राय का स्थानान्तरण हो गया है यह स्थानान्तरण उनके विरुद्ध शिकायतों के आधार पर किया गया है ।

तारांकित प्रश्न

नगरपालिका, मेरठ का चुनाव

1--श्री मोहन लाल कपूर--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मेरठ का चुनाव कब कराने जा रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह--

नगरपालिका, मेरठ का चुनाव सन् 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर कक्ष परिसीमन आदि की कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् कराया जायगा ।

राजकीय कृषि फार्म तथा उनसे आय

2--श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में जिलावार कहां-कहां पर राजकीय कृषि फार्म हैं और उनके पास कुल कितने-कितने एकड़ भूमि है ? उपरोक्त फार्मों से वर्ष 1969-70 और 1970-71 में कुल कितनी-कितनी आय हुई ? और कितनी-कितनी धनराशि उन पर व्यय की गई ? उक्त अवधि में प्रति फार्म अलग-अलग प्रति एकड़ कितना-कितना औसत उत्पादन हुआ ? उपरोक्त फार्मों पर उक्त वर्षों में प्रति एकड़ कितना-कितना लाभ अथवा हानि हुई ? हानि के क्या कारण हैं ?

श्री रामलखन--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जिला कृषि अधिकारी के पद पर उन्नति

3--श्री कल्याण सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में कौन-कौन व्यक्ति दिनांक 15 नवम्बर, 1972 तक गत 3 वर्षों से निरन्तर जिला कृषि अधिकारी के पद पर प्रोन्नति किए गए तथा उक्त अवधि में कौन-कौन व्यक्ति जिला कृषि अधिकारी के पद पर सीधे लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये ? प्रोन्नति करने तथा सीधे सेलेक्ट किए जाने के आधार क्या हैं ?

श्री रामलखन—

वांछित सूचना संलग्नक में दी गई है। जिला कृषि अधिकारी के पद अन्य पदों के साथ उ० प्र० कृषि सेवा जूनियर स्केल सेक्शन 'बी' में वर्गीकृत हैं। सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार इसमें सामान्यतय: 50 प्रतिशत नियुक्तियां प्रोन्नति से तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती हैं?

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पष्ठ 1012 पर)

कृषि विभाग में कर्मचारियों का चयन तथा स्थायीकरण

4—श्री कल्याण सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में वर्ष 1959 में लोक सेवा आयोग द्वारा ग्रुप–1 (डेवलपमेंट) के किस-किस कर्मचारी का चयन किया गया था? उनमें से ऐसे कौन-कौन कर्मचारी हैं जिनका स्थायीकरण दिनांक 15 नवम्बर, 1972 तक नहीं किया गया है? उनके स्थायीकरण करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है तथा उनका स्थायीकरण कब तक कर दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन—

वर्ष 1959 में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 के विकास शाखा के निम्नलिखित 17 पदों के लिये लोक सेवा आयोग ने तीन चयन किये जिनका ब्योरा निम्न प्रकार है। कुछ अभ्यर्थियों ने चयन के पश्चात् योगदान नहीं दिया था त्यागपत्र देकर चले गये थे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी नीचे उनके सम्मुख दी गई है:

पद का नाम	पद संख्या	आयोग द्वारा संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों की संख्या		जिन अभ्यर्थियों ने योगदान नहीं दिया या त्याग पत्र देकर चले गये, की संख्या
		मुख्य सूची में	अतिरिक्त सूची में	
1—ज्येष्ठ कृषि निरीक्षक	10	10	5	4
2—कैटिल युट लाइजेशन इन्सपेक्टर ..	1	1	1	1
3—असिस्टेंट केमिस्ट ..	5	5	3	4
4—ब्लड मोल आफिसर ..	1	1	1	..

जो अभ्यर्थी कार्यरत रहे उनमें से श्री रामचन्द्र को छोड़कर अन्य सभी को स्थायी किया जा चुका है। श्री राम चन्द्र के स्थायीकरण का मामला आयोग के विचाराधीन है।

अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव

5—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश शासन से दूसरे कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कोई ठोस प्रस्ताव भेजने के लिये कहा है? क्या कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है?

श्री रामलखन—

केन्द्रीय सरकार का पूर्व में मत था कि एक प्रदेश में केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय खोला जावे। लेकिन उत्तर प्रदेश एक बहुत बडा प्रदेश है। इसलिये केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने पर एतराज नहीं है। और यदि प्रदेश के पूर्वी इलाकों में प्रदेशीय सरकार इस नये विश्वविद्यालय को स्थापित करने का प्रस्ताव रखे तो केन्द्रीय सरकार उसका स्वागत करेगी। लेकिन वर्तमान पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता देने में असमर्थता प्रकट की है। प्रदेशीय सरकार शीघ्र ही नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये विधेयक विधान मंडल में प्रस्तुत करेगी।

6---श्री कल्याण सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

जिला परिषद्, एटा द्वारा सामान का क्रय

7---श्री कल्याण सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 में 31 जनवरी, 1972 तक जिला परिषद् एटा के लिये कितने-कितने मूल्य की बाल्टियां, लोटे, कुर्सियां तथा मेजें किस-किस से कब-कब क्रय की गई ? क्या यह सच है कि उपरोक्त सामान खरीदने के लिय निविदा आमंत्रित नहीं किये गय ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी है तथा सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जो सामान जिला परिषद् एटा ने जिस फर्म से क्रय किया है उसकी सूची संलग्न है।

लोटा और बाल्टयों की खरीदारी निविदायें मांग कर नियमानुसार की गई।

कुर्सियों तथा मेजों की खरीदारी डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज स्टोर पर्चेज कानपुर द्वारा स्वीकृत फर्मों से की गई।

सारी खरीदारी नियमानुसार की गई है अतएव किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1013 पर)

कृषि विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

8---श्री कल्याण सिंह--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि माह फरवरी, 1972 में श्री बी० एल० दुबे, एकाउन्ट्स आफिसर (आडिट सेल), लखनऊ ने श्री सोहनवीर सिंह, उप निदेशक कृषि एवं उप विकास आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा और श्री नबाब सिंह तत्कालीन अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी (पूर्ति) आगरा के विरुद्ध क्षेत्रीय पूर्ति भंडार आगरा के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग आदि गम्भीर के आरोपों की जांच की थी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा तथा सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामलखन--

जी हां, यह सत्य है कि माह फरवरी, 1972 में श्री डी० एन० दुबे, लेखाधिकारी (आडिट सेल) को कृषि निदेशक ने मंडलीय बफर गोदाम आगरा की सम्परीक्षण टोली द्वारा किये गये सम्प्रेक्षण में पाई गई अनियमितताओं में उप निदेशक आगरा मंडल आगरा एवं अन्य अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु भेजा था। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन उप निदेशक एवं अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी (पूर्ति) के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

कोल्ड स्टोरेजों द्वारा अधिक किराया वसूल किया जाना

9---श्री शिवराज सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रदेश के कितने शीत गृहों के सम्बन्ध में शासन को यह सूचना प्राप्त हुई है कि उन्होंने शीत गृह कन्ट्रोल आर्डर के खिलाफ 8 रु० प्रति क्विंटल से अधिक आलू रखने का किराया वसूल किया और इस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामलखन--

210 कोल्ड स्टोरेजों ने 8 रु0 प्रति कुन्तल से अधिक किराया वसूल किया। इन शीतगृह स्वामियों ने शीतगृह आदेश के विरुद्ध रिट याचिकायें दायर कर 8 रु0 प्रति कुन्तल से अधिक किराया प्राप्त करने के अन्तरिम आदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त कर लिये। विभागीय स्तर पर केवल दो अन्य कोल्ड स्टोरेज के बारे में शिकायतें आई हैं। जिन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के बिना 8 रु0 प्रति कुन्तल से अधिक आलू रखने का किराया वसूल किया है और यदि यह शिकायत सही पाई गई तो उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

10--श्री सर्वसुख सिंह--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उन्नाव जिले में नहर की पटरियों को पक्का करना

11--श्री सजीवन लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या शासन ने ऐसा निर्णय किया है कि प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के लिये कुछ मुख्य-मुख्य नहर की पटरियों को पक्की कराया जाय? यदि हां, तो उन्नाव जिले में किन-किन नहरों की पटरियां पक्की की जावेंगी और इसके लिये कितना धन स्वीकृत किया गया है?

श्री बल्देव सिंह आर्य--

प्रदेश की सभी जिला परिषदों को ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को पक्का तथा सुदृढ़ बनाने हेतु 14.81 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। इस अनुदान की धनराशि से लगभग 5 लाख रुपए नहरी सड़कों को पक्का करने का परामर्श दिया गया है।

जिला परिषद् उन्नाव ने निम्नलिखित दो नहरी सड़कों को पक्का करने का निर्णय लिया है। और इन पर 2,50,000 रुपया व्यय होने का अनुमान है।

1--बारीथाना--मुन्डा कैनाल रोड 2.5 किलोमीटर

2--कुसुम्भी निरीक्षण भवन एप्रोच रोड 1 किलो मीटर।

वन खंड, रामनगर डिवीजन (नैनीताल) को स्वीकृत धनराशि

12--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

विधान सभा की बैठक 12 दिसम्बर, 1972 के नत्थी (ख) में प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के क्रम में सामुदायिक विकास मन्त्री कृपया यह बतावेंगे कि क्रम संख्या 1 से 6 तक के कार्यों का इस्टीमेट किस स्थानीय बनराजिक (फोरेस्ट रेंजर) ने बनाया और उनकी टेक्नीकल क्वालीफिकेशन क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

प्रश्न में उल्लिखित कार्यों के इस्टीमेट निम्नलिखित वनराजिकों ने बनाया था:

1--श्री मुनीन्द्र चन्द्र जोशी, क्रम संख्या 1,3,5 तथा 6 पर उल्लिखित कार्यों के इस्टीमेट।

2--श्री नन्द किशोर--क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित कार्य का इस्टीमेट।

3--श्री विश्म्भर प्रसाद मधवाल--क्रमसंख्या 5 पर उल्लिखित कार्य का इस्टीमेट।

उपयुक्त वनराजिकों ने उत्तर प्रदेश फारेस्ट की ट्रेनिंग प्राप्त की है।

क्षेत्र विकास अधिकारी कर्णप्रयाग तथा थराली नारायण बगड़ (चमोली) का रिक्त पद

13—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली के ब्लाक कर्णप्रयाग तथा थराली नारायण बगड़ में कितने वर्षों से क्षेत्र विकास अधिकारी नहीं हैं तथा इन पर कब तक शासन क्षेत्र विकास अधिकारियों की नियुक्ति करने जा रही है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जिला चमोली के विकास खंड, थराली, नारायण बगड़ तथा कर्ण प्रयाग में खंड विकास अधिकारी के पद क्रमशः 18 अगस्त, 1972, 22 अगस्त, 1972 तथा 17 दिसम्बर, 1972 से रिक्त हैं। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति का मामला विचाराधीन है। फिलहाल इन तीनों विकास खंडों का कार्यभार परगना मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग के पास है और उनकी देख रेख व निर्देश में कार्य चल रहा है।

जिला परिषद् बदायूं के नौनी टिकन्ना घाट की नीलामी

14—श्री शिवकुमार—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला परिषद् बदायूं के अन्तर्गत राम गगा नदी के नौनी टिकन्ना घाट का नीलाम सन् 1972-73 के लिये नहीं किया गया और 2,300 रु0 साल पर पुराने ठेकेदार को ही दो साल के लिये तौसीह दे दी गई। यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

वर्ष 1972-73 के लिए नौनी टिकन्ना घाट के ठेके के नीलाम की तिथि 19 जुलाई, 1972 को रखी गई थी और इस तिथि को ठेके का नीलाम किया गया परन्तु कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। श्री ब्रजपाल सिंह पुराने ठेकेदार का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर एक वर्ष के लिए 2,300 रुपया प्रति वर्ष की दर से उचित धन जमा किये जाने पर आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

15—श्री शिवकुमार—

क्या यह सही है कि आयुक्त बरेली का कोई आदेश जिला परिषद् बदायूं माह सितम्बर, सन् 1972 में प्राप्त हुआ था कि उपरोक्त घाट का नीलाम हाकिम परगना की देख-रेख में करा दिया जाये तो क्या सरकार बतायेगी कि फिर आयुक्त महोदय के आदेश पर क्या कोई तारीख लगाई गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आयुक्त का 26 अगस्त का आदेश जिसमें दुबारा नीलाम करने तथा 14 सितम्बर का आदेश जिसमें समस्त तथ्यों की जानकारी चाही गई थी जिला परिषद् बदायूं को एक साथ प्राप्त हुए। आयुक्त की परिस्थितियों से अवगत कराये जाने पर उन्होंने अपने 22 अक्तूबर, 1972 के पत्र द्वारा इस घाट के केवल एक साल के लिये स्वीकृति प्रदान कर दी।

16—श्री शिव कुमार—

क्या यह सही है कि उक्त घाट के नीलाम किये जाने हेतु श्री तिरबेनी सहाय मिश्र ने कोई प्रार्थना पत्र माननीय मन्त्री सामुदायिक विकास को प्रेषित किया था कि वें इस घाट को दस हजार रुपया वार्षिक तक नीलाम पर लेने को तैयार हैं और मन्त्री जी ने 23 अक्तूबर, 1972 को घाट के नीलाम किये जाने का आदेश कर दिया था ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

श्री त्रिवेनी सहाय मिश्र का ऐसा पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। 23 अक्तूबर, 1972 को मन्त्री महोदय ने यह आदेश दिये थे कि कोई तारीख निश्चित करके विधिवत नीलाम किया जाय।

जिला परिषद्, कानपुर को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त धन

17—श्री रामकुमार दीक्षित—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् कानपुर को वर्ष 1968-69, 1970-71 तथा 1971-72 में विभिन्न मदों में राज्य सरकार की ओर से कितना धन दिया गया और उसका परिषद् द्वारा किस प्रकार तथा कितना उपयोग किया गया और कितना उपयोग न होने के कारण कालातीत हुआ तथा कितना अब भी अवशेष है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1014 पर)

बांसी-डुमरियागंज रोड (बस्ती) हेतु ईंटा

18—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी मिठवल विकास क्षेत्र में क्रश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनने वाली बांसी-डुमरियागंज रोड हेतु वर्ष 1972 में ईंटा प्राप्त करने के लिए कितना रुपया अग्रिम दिया गया और उसका ईंटा सड़क पर आया या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

बस्ती जिले के विकास क्षेत्र बांसी-मिठवल में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत बनने वाली बांसी-डुमरियागंज रोड हेतु वर्ष 1972 में 1,40,333 रु0 मूल्य का 20,05,000 ईंटा विभिन्न भट्ठों पर ही सुरक्षित कर दिया गया था। साधन उपलब्ध होने पर समयानुसार उनकी ढुलाई करके उपभोग किया जा रहा है। अब तक 15,84,000 ईंटों को ढुलाकर प्रयोग किया जा चुका है। शेष 4,21,000 ईंटों को यथाशीघ्र ढुलाकर कार्य में प्रयोग किया जा रहा है।

जिला परिषद्, मुरादाबाद द्वारा तिगरी मेले पर व्यय

19—श्री जितेंद्र पाल सिंह—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1972 के माह नवम्बर में तिगरी के गंगा मेला पर जिला परिषद्, मुरादाबाद ने कितना खर्च किया तथा उनको कितनी आय मेले से हुई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परिषद् मुरादाबाद ने वर्ष 1972 के तिगरी मेले पर रुपया 96,000 व्यय किया। मेले से आय रुपया 72,620.90 की हुई।

त्वरित प्रोग्राम के अन्तर्गत मिठाली लखौरी (सड़क)

20—श्री जितेन्द्रपाल सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बतायेंगें कि मिठाली लखौरी (मुरादाबाद) त्वरित प्रोग्राम के अन्तगत सड़क बनकर तैयार हो गई ? यदि हां, तो कितने मील और नहीं तो क्यों ? देरी का कारण क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं। मुरादाबाद जिले में ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत 3 किलोमीटर लम्बी रिठाली लखौरी सड़क का निर्माण होना है। इस सड़क पर मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है और 2.74 किलोमीटर पर सीलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। जिले में रोड रोलर उपलब्ध न होने के कारण सड़क पर ईंट व पत्थर की रोड़ी की कुटाई का कार्य पूरा नहीं कराया जा सका है जिसके फलस्वरूप सड़क अभी तक बन कर तैयार नहीं हो सकी है।

विधान सभा के रिपोर्टरों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे यह कहना है कि कल इस हाउस के अन्दर जो विधान सभा के रिपोर्टर्स के बारे में बात उठी थी जिसके बारे में आपने वित्त मंत्री को यह कहा था कि इनके सिलसिले में विधेयक पेश करेंगे और इनकी बातों को डिस्कस करने के लिये आपने उनको अपने कमरे में बुलाया था तो क्या वित्त मंत्री जी आपके कमरे में आये थे और बातचीत का क्या नतीजा निकला ?

श्री अध्यक्ष—

वह मुझ मिले ही नहीं। मैंने टेलीफोन पर बहुत दफा उनका पता लगाने की कोशिश की लेकिन वह मिले नहीं।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

यह मामला बड़ा अहम है। मैं इसीलिये तो पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप आज्ञा देंगे तो वे एक बिल ले आयेंगे।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

यह बात नहीं है, कल माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वे कल आपसे मिलेंगे और इस संबंध में जैसा आपका आदेश होगा उसका पालन करेंगे। तो वे क्यों नहीं मिले आपसे, मैं यह जानना चाहता हूं ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)

यह आपकी आज्ञा का उल्लंघन है। उनको कल आपसे आकर मिलना चाहिये था।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

पहले मेरी बात का जवाब दे दीजिये। आपने कहा कि वे नहीं आये, मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि वे क्यों नहीं आये ? क्या यह आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

उसमें तो बिल आयेगा.....

श्री चन्द्रभान शर्मा—

उन्होंने जो आपके कक्ष में आने के लिये कहा था तो वे आये या नहीं आये और नहीं आये तो क्यों नहीं आये ?

श्री अध्यक्ष—

आये तो थे, मगर कार्य-मंत्रणा समिति के लिये आये थे। उस वक्त उनसे कोई बातचीत इस विषय पर नहीं हुई। फिर वे चले गये। उन्होंने कहा कि चूंकि बिजली के इंजीनियर्स की हड़ताल खत्म हुई है अतः उस संबंध में उन्हें कुछ आवश्यक आदेश वगैरह निकालने हैं, इसलिये वे जल्दी चले गये। इस विषय पर कल कोई बात नहीं हो पायी।

बिजली अभियन्ताओं की हड़ताल के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह सूचना दी थी कि बिजली के अभियंताओं की हड़ताल समाप्त हो गयी है, लेकिन आज सुबह रेडियो पर यह समाचार मिला उनके और माननीय वित्त मंत्री जी की बातचीत के बीच गतिरोध पैदा हो गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी सदन को कांफीडेंस में लें और यह बतायें कि क्या गतिरोध हो गया है? आज प्रदेश के करोड़ों लोगों की निगाह इन लोगों की हड़ताल पर लगी हुई है। इसलिये हमें सही स्थिति से माननीय मंत्री जी अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष—

बातचीत की डिटेल्स में इस समय नहीं जा सकते। वैसे कृपया बतला दें।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, ...

श्री राम गोपाल संड (जिला—इलाहाबाद—

जिन अभियंताओं को पकड़ा गया था उनको भी अभी तक नहीं छोड़ा गया है और गलत बयान यह दे दिया गया कि उनको छोड़ दिया गया। इस संबंध में भी मंत्री जी बतला दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, हड़ताल वापस लेने के संबंध में कल यहां सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सूचना दी थी और हड़ताली इंजीनियर्स के नेताओं ने भी कल बाहर इसकी घोषणा की थी कि हम हड़ताल वापस ले रहे हैं। अब सवाल बातचीत का है। कल लगभग 6 घंटे तक उनसे बातचीत हुई (व्यवधान)। उनकी एक मांग यह थी कि सहायक अभियंताओं का टाइम स्केल आफ पे होना चाहिये, इस मांग को मान लिया गया। रात को बिजली बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग की। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी कि पे कमीशन ने सिफारिश की है, सहायक इंजीनियरों के लिये नये टाइम स्केल आफ पे को घोषित कर दिया गया।

साथ ही साथ एक दूसरी उनकी मांग यह थी कि 1250—2250 के वेतनमान में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं उनको सौ रुपये सेन्ट्रल रेट के अनुसार सन 1969 से महंगाई भत्ता दिया जाय। उसको भी स्वीकार कर लिया गया। इस निर्णय को भी रिट्रास्पेक्टिव इफैक्ट दिया गया। तीसरी उनकी यह मांग थी कि एक एडीशनल सेक्रेटरी की पोस्ट क्रियेट की जाय एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जिस पोस्ट पर किसी सुपरिन्टेन्डिंग इंजीयिनयर को रखा जाय। यह मांग भी मान ली गई है और एडीशनल सेक्रटरी की पोस्ट क्रियेट कर दी गई है। अब जहां तक रिहाई का सवाल है, वायरलेस द्वारा सारे प्रदेश में इस हेतु आर्डर दे दिये गये हैं। सभी जगहों के मैजिस्ट्रेट, अपनी-अपनी जगह पर नियमानुकूल कार्यवाही करेंगे। लखनऊ में तो कल शाम को सारे लोग छोड़ दिये गये और सारे प्रदेश का जहां तक संबंध है, उनकी रिहाई हो गई होगी या आज हो गई होगी। जहां तक टर्मिनेशन और सस्पेंशन के बारे में सवाल है, उसके बारे में नीति बता दी गई है, ऐसे सभी लोगों को बहाल किया गया है। सिवाय सबोटेज और वायलेंस के मामले जो कि अलग हैं। जो हड़ताल के संबंध में गिरफ्तार हुए हैं उनको बिलकुल रिहा कर दिया जायगा और जो सबोटोज और वायलेंस के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, वे भी बेल या पर्सनल बाण्ड पर जो भी कानून हो, छूट सकते ह और शायद छोड़े भी गये हैं।

जो रेडियो पर आये समाचार के बारे में स्वामी जी ने जिक्र किया है, वह एक अलग प्रकरण था। वह यह है कि इंजीनियर्स का कहना है कि हड़ताल के मध्य अगर किसी की सीनियारिटी डिस्टर्ब हुई है जैसे कि इस दरम्यान कुछ लोगों को प्रमोट कर दिया गया था, तो उनकी सीनियारिटी में कोई फर्क नही पड़ना चाहिय अर्थात् उनकी सीनियारिटी स्टेट्स को-आन्टे रहनी चाहिये।

सीनियारिटी में भी विक्टीमाइजेशन नहीं होना चाहिये, हड़ताल के पहले जो स्थिति सर्विस में थी वह रहनी चाहिये, वह प्रमोशन वौलंड नहीं रहने चाहिये। उसके बारे में रात ही में बैठक करके आज सुबह 2 बजे निर्णय लिया गया—उसे भी मान लिया गया, उन्हें पुरानी सीनियारिटी में रखा जायगा। उनके साथ बैठक में घोषित कर दिया गया कि उनकी सीनियारिटी स्टेट, स्को-आन्टे रखी जायगी। अब मुझे आशा है, चूंकि लोग जो इसमें चाहते थे वह हो गया है, काम पर वापस लौटेंगे। कुछ काम पर चले गये और जो अभी काम पर नहीं गये, मुझे आशा है सबके सहयोग से काम पर वापस चले जायेंगे।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

आपन जो मांगे बताई हैं वह तो मंजूर कर ली गई हैं और यह उन्हीं के हित की हैं। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी मांग थी और जनता के हित में थी कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन कोई टेकनिकल आदमी होना चाहिये, उस पर क्या निर्णय हुआ ? पहले जब गुप्ता जी की सरकार थी उस समय यह निर्णय हो गया था कि उस पद पर किसी टेक्निकल आदमी को ही रखा जायगा और रखा भी गया था, तो उसके सम्बन्ध में क्या निश्चय हुआ, क्या गवनमेंन्ट उसे बतायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस सबध में जो कि उनकी मांग थी कि जो टेक्निकल लोग हैं उनको उचित स्थान मिले, वह काफी हद तक पूरा किया गया है। वह चेयरमैन भी रहे हैं और आग भी होंग। यह नही है कि टेक्निकल आदमी चेयरमैन या सेक्रेटरी नहीं होगा, कोई मना नहीं किया गया है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

उनकी एक मांग यह भी थी कि अस्थायी असिस्टेंट इजीनियर्स को स्थायी किया जायगा, आपने 823 पोस्टें क्रिएट की लेकिन उन्हें स्थायी नहीं किया, तो उस संबंध में आपने क्या किया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सीनियारटी लिस्ट बन गई है, अब वह स्थायी किये जायेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि इजीनियर्स ने अपनी हड़ताल वापस कर ली और माननीय मुख्य मत्री जी और वित्त मत्री जी से उनकी कुछ बातचीत चल रही है। मैं एक बात की ज्यादा सफाई चाहता हूं और वह बात है कि जिसको माननीय बलबीर सिंह जी ने अभी सदन के समक्ष उठाया है। मैं भी जानना चाहता हूं कि सन् 1969 जब कि एक आई० ए०एस० आफिसर सरकार के द्वारा नियुक्त किये गये थे उस समय माननीय कमलापति जी, जो आज मुख्य मंत्री हैं उस समय पावर मंत्री थ, उनकी जानकारी में रबीन्द्रालय में इन इजीनियर्स ने एक सम्मेलन किया था और वहां उन्होंने मुझे मुख्य मत्री के नाते आमंत्रित किया था। उस समय मैंने उनके बीच में चूंकि उनकी नियुक्ति हो गई थी यह मैंने उनसे निवेदन किया था कि अब तो यह नियुक्ति हो गई है, यह आफिसर एक साल तो रहेंग और उसके उपरान्त बराबर इजीनियर्स में से ही इस एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अध्यक्ष रहगा। क्या मैं यह समझूं कि इजीनियरों ने इस मांग को पुनः आपके समक्ष दोहराया और यदि दोहराया तो उस विषय म प्रदेशीय सरकार ने मुख्य मत्री जी और आपने क्या नीति घोषित की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आप जानते ही हैं कि हम सभी सम्मानित गुप्ता जी का कितना आदर करते हैं। कोई भी सुझाव वे दें चाहे मुख्य मंत्री के नाते उन्होंने कोई आदेश फाइल पर किये हों, चाहे इजीनियरों के सम्मेलन में कहा हो या जो कोई बात हो उस पर बड़ी गंभीरता और सतर्कता से सरकार विचार करती ही है। मेरा उनसे विनीत आग्रह है कि वे वैसा ही समझें कि उनके आदेशों और सुझावों पर आदर के साथ और प्रभावकारी रूप में विचार सरकार द्वारा किया जायगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जहां तक कि इसका प्रश्न है कि इंजीनियरों ने वह मांग रखी या नहीं, तो वह मांग रखी अवश्य और वे उस मांग को बराबर रखते रहे, कल भी रखा। हमने उनसे यह आग्रह किया कि यह सिद्धान्त कि टेक्निकल लोग भी अध्यक्ष हो सकें तो उचित ही है और इस सिद्धान्त को हम मानते हैं। गुप्ता जी ने इस सिद्धान्त को लचीला कर स्वयं आई० ए० एस० को नियुक्त किया हम इसे कैडर का झगड़ा नहीं बनाना चाहते। सभी सर्विसेज को समन्वित कार्य करना है। लेकिन आज अगर हम वर्तमान को पूरा बदल दें तो उससे कोई शासन की मर्यादा बढ़ती नहीं है। वह एक तरह से परसनल आसपेक्ट हो जायगा और व्यक्तिगत मतभेद के आधार पर हुआ माना जायगा। शासन के लिये उसमें बहुत कठिनाई हो सकती है। इस सिद्धान्त का यथा संभव अनुपालन करने का प्रयत्न किया जायेगा। पर ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जिनमें नान-टेक्निकल प्रशासक या अन्य व्यक्ति भी अध्यक्ष या सचिव हों।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

एक स्पष्टीकरण अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—

अब तो भीष्माचार्य जी ने पूछ लिया। इस सिद्धांत के बारे में तो उन्होंने पिछली दफा सदन में भी कहा गया था कि उस वक्त भी ऐसी परिस्थिति आयी थी और उन्होंने कहा था कि आइन्दा इसका ख्याल रखा जायगा। तो उसका जवाब आ गया है कि सरकार ने उस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या सरकार बतावेगी कि अभियंताओं की यह भी एक मांग थी जो उन्होंने आपके सामने रखा था कि ओबरा और दूसरी जगहों में भी उनके परिवार वालों के साथ पुलिस क लोगों ने ज्यादतियां की हैं और उनकी पत्नियों और उनके बच्चों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया है। चूंकि अब आपसे उनका समझौता हो गया है तो क्या आपने इन इंजीनियरों के सम्मान को कायम रखने के लिये इस मामले में जांच कराने का कोई आश्वासन दिया है। यदि हां, तो आप उसे बता देने की कृपा करेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उनसे कहा गया है कि अत्याचार का अगर कोई दृष्टांत वह देंगे तो लिखकर दें और उस पर आवश्यक जांच करा ली जायगी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि·····

श्री शिव राज सिंह (जिला बदायूं)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जो सदस्य नियमावली के नियमों का पालन करते हैं उनकी अवहेलना होती है और जो माननीय सदस्य बिना इजाजत के बोलना शुरू कर देते हैं उनको मौका मिल जाता है।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा आप प्रश्न करें।

श्री शिवराज सिंह—

वित्त मंत्री ने यह बताया कि स्ट्राइक के दौरान जिन इंजीनियर्स का प्रोमोशन हुआ है उनको रिवर्ट कर दिया जायगा अब अथवा उनके प्रमोशंस बदस्तूर कायम रहेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

स्ट्राइक को आन दी ड आफ स्ट्राइक को सेटल करने के लिये जो आवश्यक कार्यवाही होगी की जायगी। यदि रिवर्ट करना पड़ता है तो वह भी देखा जायगा।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

स्ट्राइकिंग इंजीनियर्स में से जिन्होंने तोड़ फोड़ की कार्यवाही की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी तो जिन अधिकारियों ने स्ट्राइकिंग इंजीनियर्स के साथ आवश्यकता से अधिक सख्ती की है उनके खिलाफ भी माननीय मंत्री कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं खूब लड़ाई हो, आपस में कोई बातचीत न होने दी जाय। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। (व्यवधान) असल चीज यह है कि जिस वक्त निगोशियेशंस होते हैं उस समय इतनी बड़ी सभा में एक-एक करके इतने सवाल नहीं पूछे जाते। उन्होंने उत्तर दे दिया अच्छा होता वह कह देते कि गुप्त वार्ता चल रही है।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 27 की उपधारा (1) के संबंध में याचिका

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 27 की उपधारा (1) के उपबन्ध के विषय में श्री रक्षा राम यादव, ग्राम परसोना, परगना व तहसील उतरौला, जनपद गोंडा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो विशेषाधिकार का प्रश्न कल्पनाथ सिंह जी द्वारा राज्य विद्युत् परिषद् के हड़ताली अभियंताओं के बारे में कमलापति त्रिपाठी ने कल यहां घोषणा की थी तो अब इसमें कोई सवाल नहीं बनता है। सवाल यह है कि पहले स्ट्राइक बन्द होनी चाहिये थी वह बन्द हो गई। उसके बाद कुछ बात मान ली गई हैं और बात-चीत हो रही है। तो उसके बाद यह कहें कि हम मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो वह गलत है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप मेरी बत सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो लिखकर दिया है मैं उसे पढ़ देता हूं— आपने लिखा है कि मुख्य मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने कल यह घोषणा की है कि राज्य विद्युत् परिषद् के हड़ताली अभियंताओं ने बिना शर्त, अपनी हड़ताल वापस ले ली है किन्तु श्री भूपाल सिंह अध्यक्ष, राज्य विद्युत् अभियंता संघ ने इस तथ्य से इनकार किया है। इतना ही नहीं श्री भूपाल सिंह ने आज दिनांक 23 जनवरी, 1973 को प्रकाशित नेशनल हेराल्ड में अपना पूरा विचार भी प्रकाशित किया है इस प्रकार मुख्य मंत्री जी ने जो तथ्य प्रकाशित किया है वह सत्य प्रतीत होते ह (यहां पर आपको "असत्य" लिखना चाहिये था) अतः प्रक्रिया नियमावली क नियम 63 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने हेतु माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। नेगोशियेशंस चल रहे हैं। आपने उसके संबंध में प्रश्न भी पूछ लिये हैं। यहां तक आपने पूछ लिया है कि बातचीत में क्यों अड़चन पड़ रही है। सभी प्रश्न हो चुके हैं। तब विशेषाधिकार का प्रश्न कहां पैदा होता है। उन्होंने जवाब दिया कि भूपाल सिंह ने भी यह बात कही कि उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। आप भी चाहते थे कि हड़ताल खतम हो जाये। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, आपको अधिकार है आप इजाजत न दें लेकिन इनसे यह कह दें कि सत्य बोला करें। भूपाल सिंह ने तो यह भी कहा है कि नारायण दत्त तिवारी की लिखत-पढ़त उनके पास है।

डाक्टर नन्द किशोर वर्मा द्वारा प्रदेश में नकली दवाइयों को पकड़वाने के संबंध में वक्तव्य

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द शर्मा)—

श्री नन्द किशोर वर्मा के विभिन्न पत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। किसी भी पत्र में ऐसी कोई सूचना अथवा सूत्र नहीं दिया गया है जिससे नकली औषधि बनाने अथवा बेंचने वाले का पता लग सके अथवा लगाया जा सके। समस्त पत्रों में केवल दो ही बातों को बारम्बार दोहराया गया है—

1—उनको (श्री वर्मा को) नकली दवायें पकड़वाने के लिये पारितोषिक नहीं दिया गया।

2—उनको (श्री वर्मा को) लोन लाइसेंस नहीं दिया गया।]

इस संबंध में तथ्य इस प्रकार है:—

1—सन् 1965 में दिल्ली से सूचना प्राप्त होने पर इस प्रदेश के औषधि निरीक्षक, दिल्ली के औषधि निरीक्षकों के साथ एकाएक चंदौसी गये और वहां छापा मारकर वर्मा मेडिकल स्टोर्स में नकली दवायें पकड़ीं। प्रार्थी श्री नन्द किशोर वर्मा उक्त वर्मा मेडिकल स्टोर्स, चंदौसी के भागीदार थे तथा उसी हैसियत में उन्होंने छापे के समय संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर भी किये हैं। इस फर्म के अन्य भागीदार भी उनके पिता तथा भाई ही थे। इन लोगों ने दिल्ली में नकली दवायें बेंची थीं, जो वहां पकड़ी गई थीं। इसी सूत्र पर चल कर दिल्ली के औषधि निरीक्षकों ने चंदौसी में छापा मारा था।

2—सन् 1969 में पुनः दिल्ली से सूचना मिलने पर इस प्रदेश के औषधि निरीक्षकों ने दिल्ली के औषधि निरीक्षक के साथ धामपुर में छापा मारकर मेसर्स जी० ब्रदर्स, धामपुर के यहां कुछ नकली दवायें पकड़ीं और वहां पर प्राप्त सूचना के आधार पर चंदौसी में अग्रवाल मेडिकल स्टोर्स में भी छापा मारकर नकली दवायें पकड़ीं। उक्त फर्मों के विरुद्ध न्यायालय में मामले चल रहे हैं।

3—श्री नन्द किशोर वर्मा ने 15 अक्टूबर, 1970 में मेसर्स सेरेनो लेबोरेटरीज पर औषधि निर्माण हेतु लोन लाइसेंस लिया था परन्तु जब इस फर्म द्वारा निर्मित घटिया व नकली दवायें इस प्रदेश व अन्य प्रदेशों के अस्पतालों व बाजारों में पकड़ी गईं तो उपरोक्त फर्म के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ हो इसके पहले ही श्री नन्द किशोर वर्मा ने अपने को बचाने के लिये इस फर्म पर औषधि निर्माण हेतु लिया हुआ लोन लाइसेंस वापस कर दिया तथा यह कह कर कोई कागजात नहीं दिखाय कि इस लाइसेंस पर (जो कि 15 अक्टूबर, सन् 1970 से 30 अक्टूबर, सन् 71 तक रहा) कोई औषधि नहीं बनाई गई। फिर श्री वर्मा ने मेसर्स सिगमा केमिकल ऐंड फार्मसियुटिकल लेबोरेटरीज पर जो उसी समय खुली थी, औषधि निर्माण हेतु लोन लाइसेंस की प्रार्थना की। सिगमा कम्पनी का निरीक्षण करने पर त्रुटियां पाई गई जिसके लिये उक्त फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया। उत्तर में मेसर्स सिगमा फार्मों ने सूचित किया कि उन्होंने त्रुटियों को दूर कर दिया है। इस सूचना पर पुनः फार्म का निरीक्षण कराया गया जिससे मालूम हुआ कि त्रुटियां दूर कर दी गई हैं। उन्हें गोली बनाने का दोषी नहीं पाया गया। इसी बीच मेसर्स सिगमा फार्म ने सूचित किया कि व्यावसायिक कारणों से ये लोन लाइसेंसी की औषधि निर्माण करने में असमर्थ हैं और श्री वर्मा तथा दो अन्य व्यक्तियों को लोन लाइसेंस देने की अनुमति, जो पहले उन्होंने दी थी, वापस ले ली फलस्वरूप श्री वर्मा तथा अन्य दो प्रार्थी फरमों क प्राथना-पत्रों अस्वीकृत कर दिये गयें।

जनवरी 13,1973 के पत्र में श्री वर्मा द्वारा शासन एवं अधिकारियों के बारे में लगाये गये निष्क्रियता एवं भ्रष्टाचार आदि के आरोप निराधार हैं । शासन पूर्णतः नकली दवायें बनाने वालों की गतिबिधियों से जागरूक है । इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि क्या श्री वर्मा को नकली दवा निर्माताओं के विषय में सूचना देने पर पुरस्कृत किया जा सकता है । क्योंकि पुरस्कार देने का कोई प्राविधान नहीं है इसलिये शासन ने अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या-8833/16--1682-70, दिनांक 27 फरवरी, 1971 द्वारा श्री वर्मा को प्रशंसा पत्र दिया ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मान्यवर, जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि चन्दौसी की वह फर्म जिसमें श्री वर्मा भागीदार हैं, उसमें नकली दवाइयां पकड़ी गयीं और फिर बाद में उन्होंने कहा है कि उनको प्रशंशापत्र दिया गया, तो इस तरह से दोनों में विरोधाभास है, इसलिय वे बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रशंसा-पत्र उनको दिया गया वह किस लिये दिया गया ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

माननीय सदस्य ने अगर गौर से वक्तव्य देखा होगा तो यह सही है कि पहले उनके यहां इस प्रकार की नकली दवाइयां पकड़ी गयी थीं लेकिन बाद में उन्होंने भी कुछ नकली दवाइयां पकड़वायीं और इसके लिये उनको प्रशंसापत्र दिया गया ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिन मेडिकल स्टोर्स में नकली दवाइयां पकड़ी गयीं, वे मेडिकल स्टोर्स आज भी दवाओं की बिक्री कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? और उन पर अब तक प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाया गया है ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

जिन फर्मस् में नकली दवाइयां पकड़ी गयीं उनके ऊपर अदालतों में मुकदमा चलाया जा रहा है और वे मुकदमें पेंडिग हैं ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

मुकदमें के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूं बल्कि जो स्टोर नकली दवायें बेचते हैं उनकी बिक्री बन्द क्यों नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष--

जब कोई पकड़ा जायेगा तभी तो करेगें ?

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

अदालत में मुकदमा गया...

श्री अध्यक्ष--

उसको फांसी दे दें ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी--

उसकी बिक्री बन्द कर देनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

यह दूसरी चीज है । आप कोई प्रस्ताव ले आयें और सुझाव द ।

श्री अनन्त राम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दिल्ली से किस माध्यम से मंत्री जी को वर्मा जी के खिलाफ शिकायत मिली और वर्मा जी ने किन-किन के खिलाफ सूचना दी कि व नकली दवाइयां बेचते हैं ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, यह तो वक्तव्य में ही है कि दिल्ली की केन्द्रीय औषधि नियंत्रण संस्थान से सूचना मिली । उनके अधिकारी आये और हमारे अधिकारी गये और उन्होंने छापा मारा तो नकली दवाइयां पकड़ी गई और उनके खिलाफ केस चलाया जा रहा है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

वर्मा जी ने किन के खिलाफ सूचना दी यह मंत्री जी ने नहीं बताया । दूसरा सवाल मेरा यह है कि...

श्री अध्यक्ष—

देखिये एक ही सवाल पूछिये । किस के खिलाफ वर्मा जी ने शिकायत की, आप यह जानना चाहते हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जी हां ।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

यह शिकायत वर्मा जी की नहीं थी बल्कि केन्द्रीय अधिकारियों ने शिकायत की थी । उन्होंने सिगमा कम्पनी के खिलाफ शिकायत की है । उनका उनके साथ कुछ वैमनस्य होगा उन्होंने लोन लाइसेंस न देने की सूचना दी है और उनको नहीं दिया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनके यहां नकली दवायें पकड़ी गई उनका लाइसेंस क्यों नहीं मंसूख किया गया ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

नियमों के अनुसार लाइसेंस जभी कैंसिल किया जा सकता है जब उनका कंविक्शन कोर्ट के द्वारा हो जाय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मंत्री जी उस नियम को पढ़कर सुना दें । ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तक कोर्ट से कंविक्शन न हो जाय उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष—

नियम वह आप के पास भेज देंगे । एक-एक प्रश्न पूछें और उसके लिये सब को रोक दें तो सदन का काम नहीं रुक सकता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी को पता है कि जो कारखाने नकली दवायें बेचते हैं, उन पर कानून के तहत अदालत में मुकदमा चलने के साथ-साथ प्रशासन को अधिकार प्राप्त है कि उनको ब्लैक लिस्ट कर दे और लाइसेंस रद्द कर दे तो उनका लाइसेंस रद्द और उनको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

ब्लैक लिस्ट कर देते हैं लेकिन लाइसेंस तो तभी रद्द होता है जब कोर्ट से कमिटमेंट हो जाता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

प्रदेश में करोड़ों रुपये की नकली दवायें सरकार की नपुंसक नीति की वजह से बिक रही हैं । यह पैसा लेकर सब करा रहे हैं । उनको पकड़ने के लिये कोई स्कवेड वगैरा नहीं बनाये गये हैं । ऐ -ऐसे अंजन बिक रहे हैं कि अगर मंत्री जी आप लगा लें तो चक्षुविहीन

हो जांघें । इस लिये आप श्रीमन् इस पर चर्चा करा दें किसी दिन, यह आज की, एक दो दिन की समस्या नहीं है बल्कि कई साल की समस्या है ।

श्री अध्यक्ष—

यह आप स्टेटमेंट दे रहे हैं । अब अगला वक्तव्य होगा ।

पुलिस कान्स्टेबिल, थाना बतौता, जिला बांदा द्वारा एक हरिजन के साथ अमानुषिक व्यवहार करने के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

अध्यक्ष महोदय, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14 जनवरी, 1973 को प्रातः 7.30 बजे मोती लाल हरिजन निवासी ग्राम रसिन थाना बढौता जिला बांदा ने थाना बदौसा पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दी कि 13 जनवरी, 1973 की रात में जब वादी व अन्य लोग घर के दरवाजे पर आग ताप रहे थे, किशन, बचुआ, करु और राम शरन वहां आये । किशन के पास बंदूक थी व शेष लाठियां लिये थे । किशन ने बगैर कुछ कहे जान लेने के इरादे से वादी पर बंदूक चलाई जिससे वादी के माथे में चोट आई । शोर करने पर अभियुक्त भाग गये ।

उक्त सूचना के आधार पर धारा 307 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और थानाध्यक्ष ने तत्काल विवेचना प्रारम्भ की । मोती लाल को डाक्टरी परीक्षण के लिये सरकारी अस्पताल कर्वी भेजा गया । डाक्टरी परीक्षण से मोती लाल के माथे पर केवल एक साधारण चोट पाई गई । मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार यह चोट "ब्लंट आबजेक्ट" से लगी पाई गई ।

कथित घटना से बांदा जिले का कोई कांस्टेबिल सम्बन्धित नहीं है । नामांकित अभियुक्तों में से किशन मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल है ।

अब तक की विवेचना से मोती लाल की रिपोर्ट में अंकित घटना सही नहीं प्रतीत होती है ।

थाने पर रिपोर्ट लिखने से मना किये जाने अथवा किसी के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायतें जांच किये जाने पर सही नहीं पाई गई ।

इस मामले को लेकर किसी प्रकार का भय या क्षोभ हरिजनों में होने की कोई सूचना नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

कांस्टेबुल के विरुद्ध जांच वहीं के पुलिस दरोगा और एस0पी0, आई0जी0 के द्वारा कराई जाती है, कृपया मंत्री जी बतायें कि यह जांच किस ने की ? दरोगा ने की या किसी इंसपेक्टर ने की ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

डाक्टरी जांच तो डाक्टर ने की है और बाकी जांच उप-पुलिस अधीक्षक ने की है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मंत्री जी ने वक्तव्य में लिखा है कि किशन के पास बंदूक थी व शेष लाठियां लिये थे । किशन ने बगैर कुछ कहे जान लेने के इरादे से वादी पर बंदूक चलाई । जिससे वादी के माथे पर चोट आई लेकिन नीचे आगे उन्होंने कहा कि ब्लन्ट आबजेक्ट से चोट लगी इन दोनों में से कौन सी बात सही है और जो मध्यप्रदेश का कांस्टेबिल पकड़ा गया है क्या इस प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को लिखा है कि उसके खिलाफ वह कार्यवाही करें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पहली बात जो है वह मोती लाल से प्राप्त सूचना के आधार पर कहीं गई है कि उनके पास बंदूक थी और उसने गोली चलायी लेकिन ब्लन्ट आबजेक्ट की चोट की रिपोर्ट डाक्टर की है। डाक्टर की ही रिपोर्ट आर्थेटिक मानी जाती है। और यह स्पष्ट है कि गोली से चोट नहीं लगी। इसी आधार पर सूचना दी गई है कि मोती लाल की सूचना गलत है। कान्स्टेबिल मध्य प्रदेश का है उस पर चार्ज स्पष्ट होने पर ही कार्यवाही होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जो चोट पाई गई क्या वह बंदूक की चोट थी या किसी और हथियार की और किस आधार पर रिपोर्ट सही नहीं पाई गई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

307 की रिपोर्ट सूचना मिलने पर अंकित की गई, डाक्टर की रिपोर्ट ब्लन्ट आबजेक्ट से चोट लगने की है, बंदूक की चोट है ही नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इस बात की भी संभावना हो सकती थी कि बन्दूक की चोट मिस हो गयी हो और गोली दीवार आदि पर कहीं लगी हो ? उनका इरादा क्या था इसकी भी विवेचना आयी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जिसको चोट लगी, वह कहते हैं कि गोली नहीं लगी। जांच चल रही है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करेंगे कि श्री मोती लाल हरिजन, जब थाने पर रिपोर्ट लिखवान गया तो वहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस कप्तान ने उसको डाक्टरी जांच के लिये भेजा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इस प्रकार के दुर्व्यवहार की तो कोई शिकायत नहीं है। इसमें भी कोई तथ्य नहीं मिला है कि उनके कहने पर उसका मेडिकल एक्जामिनेशन कराया गया।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

श्रीमन् हरिजनों ने इसे अपना राज्य समझ लिया है। जरा सी भी चोट लगती है तो चिल्लाने लगते हैं।

गोरखपुर मंडल में यूरिया खाद की कमी और चोर बाजारी के संबंध में वक्तव्य

कृषि मंत्री (श्री राम लखन)—

उवर्रक की उपलब्धि प्रदेश में भारत सरकार द्वारा विदेश से मंगाये हुये उर्वरकों तथा स्थानीय उत्पादकों द्वारा प्राप्त उर्वरकों से की जाती है। स्थानीय कारखानों के उत्पादन की निर्धारित मात्रा में उर्वरक भी इस समय भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश को आवंटित कर दिया जाता है। प्रदेश में विभिन्न शीर्ष संस्थाओं द्वारा उर्वरक वितरण के लिये प्रदेशीय सहकारी संघ 35 प्रतिशत, कृषि पूर्ति संगठन 22·5 प्रतिशत, कृषि औद्योगिक निगम को 22·5 प्रतिशत तथा गन्ना सहकारी संघ को 20 प्रतिशत वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लगभग 6000 निजी विक्रेता है जिनको प्रदेश के एवं दूसरे प्रदेशों के उर्वरक कारखाने अपने उत्पादन के 50 प्रतिशत तक की मात्रा देते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश 1957 के अनुसार उर्वरक वितरण का व्यापार करने के 14 दिन के अन्दर उर्वरक निबन्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आव-

श्यक किन्तु जब तक व्यापारी आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सजा याफ्ता न रहा हो, व्यापारी को अपने प्रार्थना-पत्र पर निबन्धन प्रमाण-पत्र देना निबन्धन अधिकारियों के लिये अनिवार्य है । यह निबन्धन प्रमाण-पत्र जिला कृषि अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। निजी विक्रेताओं के लिये ऐसे निबन्धन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व किसी उर्वरक उत्पादक अथवा थोक विक्रेता से प्रमाण-पत्र देना होता है कि वह उनके यहां से उर्वरक प्राप्त कर व्यवसाय करेगा। उर्वरकों के विक्रय के लिये तो यह प्रतिबन्ध है कि वह किस केन्द्र से विक्रय होगा तथा किस गोदाम से आयेगा किन्तु इसके अतिरिक्त उर्वरकों के एक स्थान से दूसरे स्थान तथा प्रान्त से बाहर ले जाने या ले आने में कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है । लगभग सभी नत्रजनिक उर्वरकों के अधिकतम फुटकर मूल्य का निर्धारण, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है ।

उर्वरकों की चोर बाजारी एवं मिलावट को रोकने के लिये शासन ने प्रत्येक जिले में अतिरिक्त जिलाधिकारियों एवं जिला नियोजन अधिकारियों, समस्त परगना अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों एवं जिला कृषि अधिकारियों को उर्वरक निरीक्षक नियुक्त किया गया है । भारत सरकार ने हाल ही में उर्वरक नियंत्रण आदेश को और भी प्रभावशाली बनाने के लिये समरी ट्रायल का भी प्राविधान किया है जिसके सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों एवं उर्वरक निरीक्षकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं तथा उनसे यह कहा गया है कि वह अनियमिताओं को रोकने के लिये अधिक से अधिक मात्रा में उर्वरक के नमूने लें एवं उनकी चेकिंग करायें तथा चोर बाजारी को रोकने के लिये आवश्यक कानूनी कार्यवाही करें । इस वर्ष अबतक 210 नमूनों का विश्लेषण कराया गया एवं उनमें से 46 नमूनों में खराबी पाई गई जिसके फलस्वरूप 17 सम्बन्धित विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं और अन्य के विरुद्ध कार्यवाही जारी है । इसके अतिरिक्त वर्तमान रबी अभियान में केवल गोरखपुर मंडल में 60 उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर नमूने लिये गये और विश्लेषण के लिये भेजे गये हैं ।

इस वर्ष देश एवं प्रदेश में उर्वरक की अत्यधिक कमी रही है । विदेशों से आयात समुचित मात्रा में नहीं हो सका है और स्थानीय उत्पादकों का विभिन्न कारणों से उत्पादन अपनी क्षमता से कम रहा है । फिर भी इस वर्ष 30 नवम्बर, 1972 तक पिछले वर्ष से इस अवधि की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरक वितरित की गई । रबी 1972–1973 के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उर्वरक वितरण के लक्ष्य 2,61,000 टन नाइट्रोजन, 69,000 टन फोस्फोरस और 52,000 टन पोटाश के विपरीत 31 दिसम्बर, 1972 तक लगभग 1,81,376 टन नाइट्रोजन, 71,461 टन फास्फोरस और 39,106 टन पोटाश प्रदेश में वितरण हेतु उपलब्ध करा दी गई है ।

उपरोक्त नाइट्रोजन की मात्रा के वितरण के लिये 2·5 लाख टन (कुल नाइट्रोजन की मात्रा का लगभग 75 प्रतिशत) यूरिया 31 दिसम्बर, 1972 तक प्रदेश में उपलब्ध कराया गया था। इसके अतिरिक्त 39,750 टन यूरिया, 32,000 टन डी० ए० पी० एवं 10,925 टन सी० ए० एन० केन्द्रीय पूल द्वारा जनवरी–मार्च त्रैमास के लिये आवंटित हो चुकी है जो शीघ्र ही उपलब्ध हो जावेगी। इस अवधि में स्थानीय उत्पादकों द्वारा भी लगभग 98,000 टन यूरिया की पूर्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कराई जायेगी । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा रबी में उर्वरक वितरण के लिये निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जाने की सम्भावना है ।

गोरखपुर मंडल में वर्तमान रबी के लिये निर्धारित लक्ष्य 40,350 टन नाइट्रोजन के विपरीत दिनांक 31 दिसम्बर, 1972 तक 35,053 टन नाइट्रोजन की उपलब्धि करा दी गई है । फास्फोरस तथा पोटास की उपलब्ध मात्रा निर्धारित लक्ष्य से अधिक है । टाप ड्रेसिंग हेतु भी शीर्ष संस्थाओं द्वारा अधिक मात्रा में नत्रजनिक उर्वरक भेजे जा रहे हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, प्रश्न पूछने का क्या नया तरीका हो गया है। क्या यह कहना पड़ेगा कि व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप पूछें—

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन, मुझे एक नई जानकारी हुई है। अब क्या कोई प्रश्न पूछने के लिये सदस्य को यह कहना पड़ेगा कि व्यवस्था का प्रश्न है, तब पूछेंगे। इसलिये मैंने यह कहा कि कौन सा तरीका अख्तियार करें? आज का यह पहले का।

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सरकार इस बात का उत्तर देगी कि गोरखपुर मंडल में 76 रुपए बोरी के हिसाब से यूरिया खाद की बिक्री चोर बाजरी के बल पर हो रही है। इसकी जानकारी नोटिस में आने के बाद भी सरकार ने प्रयास किया है कि उसका वितरण क्या है। सही माने में यूरिया क्यों नहीं दी जाती है। यदि नहीं किया है, तो क्यों? यह चोर बाजारी का अड्डा बना हुआ है इसलिये मैं पूछ रहा हूं।

श्री रामलखन—

मान्यवर, यह वक्तव्य में बता दिया है कि चोर बाजारी की शिकायतें मिली हैं और उसकी रोकथाम की व्यवस्था शासन की ओर से हो गई है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, इन्होंने अपने वक्तव्य में रोकथाम के लिये लिखा है कि:—

"समस्त परगना अधिकारियों, परियोजना अधिकारियों एवं जिला कृषि अधिकारियों को उर्वरक निरीक्षक नियुक्त किया गया है।"

मान्यवर, यही इनकी व्यवस्था है। ये समझते हैं कि ये अधिकारी ही सीड स्टोर चेक करेंगे और उनकी बात मानेंगे। इन्होंने यह इन्तजाम कर दिया। मान्यवर, ये जिला कृषि अधिकारी और दूसरे अधिकारीगण जैसे ए०डी०ओ० कृषि और सीड स्टोर इंचार्ज ये सब चोरी में मिले हुए हैं और धड़ल्ले के साथ ये फैलते हैं ये हिस्सा नीचे से ऊपर तक जाता है। नीचे है सीड स्टोर इंचार्ज और ऊपर कहां तक जाता है मैं नहीं जानता। तो क्या कोई विशेष व्यवस्था सरकार इस चोर बाजारी को रोकने के लिए करने जा रही है?

श्री राम लखन—

अभी तक जो व्यवस्था की गयी है वही है। माननीय सदस्य अगर कोई और सुझाव देंगे तो उस पर विचार कर लेंगे।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस तरह की शिकायतें बहुत जिलों से उनके पास आई हैं कि दिसम्बर के महीने में यूरिया बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी और यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गयी?

श्री राम लखन—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि सारे देश में यूरिया की कमी है और हमारे प्रदेश में भी कमी रही। लेकिन ऐसा नहीं कि दिसम्बर में बिल्कुल न रही हो। हो सकता है किसी विशेष स्थान पर न रही हो।

श्री जयराम वर्मा—

मैंने यह जानना चाहा था कि ऐसी शिकायतें उनके पास आयी या नहीं। अगर आई तो उस कमी की पूर्ति के लिये क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री राम लखन—

मान्यवर कमी की शिकायत आई थी कि अमुक स्थान पर नहीं है। जहां नहीं था वहां के लिये व्यवस्था कर दी गयी।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या यह सही है कि फर्टिलाइज की बिक्री स्टोर पर होती है तो किसानों को तकावी पर यह कैश सेल पर दी जाती है, और बाद में निरीक्षक उसका सत्यापन करे क्या इस प्रकार के आदेश विभाग के लोगों को हैं और यदि हैं तो क्या ऐसी व्यवस्था होती है ? अगर नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके विभाग के लोग शार्टेज पैदा कर देते हैं। क्या मन्त्री जी ऐसी आज्ञा देंगे कि स्टोर्स को चेक किया जाय और सत्यापन कराया जाय ?

श्री राम लखन—

जहां तक कृषि विभाग के गोदामों का सवाल है वहां तकावी से दिया जाता है। तहसील और ब्लाक से लिस्ट बनकर आती हैं। इसके अतिरिक्त कोआपरेटिव के माध्यम से सेल होता है। अगर कहीं कैश सेल होता है तो वह अगर बतलायेंगे तो जांच करवा लेंगे

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

कैश सेल होता है और वह दिखाया जाता है लेकिन दिया जाता है थोक व्यापारियों को और फर्जी लिस्ट बनाकर रख दी जाती है तो क्या मन्त्री जी इसका सत्यापन करायेंगे ?

श्री राम लखन—

कहीं ऐसा होगा तो करा लेंगे ...

श्री कल्पनाथ सिंह—

कहीं क्या यह तो आम तौर से है। पूरे प्रदेश में कौन सा स्टोर है जो सही ढंग से काम करता है उसका नाम बतला दीजिये ?

श्री भानु प्रताप सिंह (बरेली)—

मेरा प्रश्न चल रहा था। मैं तो यह नीति सारे प्रदेश में लागू करने के बारे में कह रहा था। अगर किसी माननीय सदस्य को शिकायत है तो हम तो लिख कर देंगे ही लेकिन क्या आप भी जांच करवायेंगे ?

श्री राम लखन—

म इसकी जांच कराने का प्रबन्ध करूंगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या यह सही है कि जिन किसानों ने आपके स्टोर से खाद न मिलने के कारण बाहर से ज्यादा मूल्यों पर लेकर इस्तेमाल किया तो उनको रिइम्बर्समेंट की शक्ल में एग्रीकल्चर विभाग से दिये जाने की स्कीम है ? यदि हां, तो कितने रुपये पर दिये जाने की स्कीम है ?

श्री रामलखन—

वितरण की चार एजेंसीज हैं। कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, एग्रो के जरिये और फर्टिलाइजर एजेन्सीज के जरिये विक्रय होता है। सभी जगह से लेने के लिये किसान स्वतंत्र है। जो तकावी और लोन पर लेना चाहता है वह सहकारिता और एग्रीकल्चर से ले सकता है। जो नगद लेना चाहता है वह एजेंसियों से ले सकता है। री-इम्बरसमेंटका सवाल ही नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा सूचना यह है कि ग्राम सेवक जो हैं वह इस बात की लिस्ट बना रहे हैं और गांव के आदमियों से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने यूरिया की खाद अधिक मूल्य देकर ली हैं, उनको 3 रुपया पर बैग सरकार की ओर से रीइम्बर्समेंट दिया जायगा, तो क्या यह सही है ?

श्री राम लखन—

इस प्रकर के कोई आदेश नहीं भेजे गये हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

जब यह खाद स्टेशन पर आती है तो वहां से डीलर को दे दी जाती है और गोदाम में नहीं जाती है, क्या यह सूचना सरकार को है ?

श्री राम लखन—

सरकार के पास कोई शिकायत नहीं है। यदि कोई हो तो माननीय सदस्य लिखकर भेज दें, जांच करा ली जावेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या गोरखपुर मंडल के चार जिलों में से किसी जिले में जांच करके मन्त्री जी यह सत्यापित करके मुझे सूचना आपके माध्यम से देंगे कि जितने सीड स्टोर्स गोरखपुर मंडल में है, सभी में सही सही तरीके से खाद का वितरण हुआ है या नहीं ? क्या मन्त्री जी इसके लिये तैयार हैं ? मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर मंडल में खाद सीड स्टोर्स पर जाती ही नहीं है, गोदाम से ही उठ जाती है और कारटेज तक सीड स्टोर वाले बचा लेते हैं और सरकार से चार्ज कर लेते हैं। बनियां धड़ल्ले से 47 रुपए वाला खाद 76 रुपये में बेच लेता है। यह सभी उनके मुहकमें और सहकारिता विभाग के सहयोग से हो रहा है। तो क्या कृषि मन्त्री जी खाद का सत्यापन करके जांच करायेंगे कि किस-किस किसान को खाद मिली है और उसका पूरा विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम लखन—

मान्यवर, खाद का वितरण दो चार कुंटल तो है नहीं लाखों टन की बात है। सभी की जांच कराना सम्भव नहीं है। दो चार का सैम्पुल के तौर पर सत्यापन कराया जा सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैंने जिन सेन्टर्स के नाम लिखे हैं, उनकी जांच उन्होंने कराई है ?

श्री अध्यक्ष—

इस समय यह नहीं पूछा जा सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

तो दो चार की ही जांच करवा लें।

श्री राम लखन—

ठीक है, दो चार की जांच करवा लेंगे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

यूरिया की कमी है और रहेगी। इसका सरकार और प्राइवेट वाले वितरण करते हैं। प्राइवेट वालों को 50 प्रतिशत खाद दी जाती है और उन पर बेचने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है और न वह रजिस्टर ही रखते हैं। इस कारण खाद दूसरे प्रान्तों को चली जाती है। बलिया से बिहार को भेजी जाती है। तो ऐसी हालत में जब कमी है तो क्या ऐसा नहीं करेंगे कि निजी बिक्रेताओं को देना बन्द कर दें ? यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो क्या यह प्रतिबन्ध लगायेंगे कि जिस जिले का लायसेंसी है उसी जिले के किसान को वह बेचे और रजिस्टर में लिखे।

श्री राम लखन—

मान्यवर प्रतिबन्ध लगाना प्रान्तीय सरकार के हाथ में नहीं है, इसको तो केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है। कानून के अन्दर मनुफैक्चर्स प्राइवेट में 50 प्रतिशत तक खाद दे सकता है। जहां तक खाद बाहर जाने का सवाल है तो जिस क्षेत्र में खाद जाय वहां वालों को मिले इसके लिये प्रयास किया जा रहा है और कठोर कार्यवाही हो सकती है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

चार काम-रोको प्रस्ताव आये हैं, मैंने उनमें किसी को स्वीकार नहीं किया है। अब आगे चलते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

एक काम-रोको प्रस्ताव मैंने उपस्थित किया था।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ लें। आपने यह कहा है कि सी० आई० डी० इंक्वायरी करा ली जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सी० आई० डी० इंक्वायरी हो चुकी है। 67 आदमी दंगे में मारे गये थे। सभी को मुआविजा नहीं दिया गया है। जो लोग लूटे गये, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष—

आपने यह कहा है कि पीड़ित व्यक्तियों को सहायता दी जाय और पुलिस द्वारा दमन के बारे में सदन में चर्चा करने का अवसर दिया जाय और अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाय।

श्री कल्पनाथ सिंह—

एस० डी० एम० मौजूद हैं, ऐसा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ लें।

श्री कल्पनाथ सिंह—

केवल वक्तव्य हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति के 38वें प्रतिवेदन पर चर्चा होगी।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जो प्रस्ताव दिये गये हैं उन पर क्या किया है?

श्री अध्यक्ष—

अल्पसूचित प्रश्न कर लें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति के 38वें प्रतिवेदन पर चर्चा

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने यह निश्चय किया कि समितियों की जो रिपोर्ट अध्यक्षों द्वारा सदन में प्रस्तुत की जाती है, उस पर चर्चा हो। अब तक विचार करने का समय नहीं मिलता था और मैं समझता हूं कि आश्वासन समिति के बारे में यह प्रथम अवसर है।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री बासुदेव पीठासीन हुये)

मान्यवर, इस सरकार के कार्यकलापों पर नियन्त्रण रखने के लिये वैसे अनेकों समितियां हैं लेकिन तीन समितियों का बहुत प्रमुख स्थान है; लोक लेखा समिति, और प्राक्कलन समिति, जो सरकार के वित्तीय कार्य-कलापों पर अपने नियमों के अनुसार नियन्त्रण रखती है और आश्वासन समिति की स्थिति ऐसी है कि मान्यवर, वित्तीय मामलों से अन्य मामले जो सदन के सामने आते हैं और जिस पर हमारे मन्त्री महोदय भिन्न-भिन्न अवसरों पर आश्वासन देते हैं उन आश्वासनों और प्रतिज्ञाओं और वचनों की छानबीन करने की शक्ति इस आश्वासन समिति को है। नियमानुसार उस में आश्वासन समिति को छानबीन करते समय यह देखना होता है कि समय के अन्दर उन प्रतिज्ञायों या आश्वासनों का परिपालन हुआ कि नहीं। इस समिति की ओर यह भी निश्चित कर दिया गया है कि तीन महीने के अन्दर जो आश्वासन सदन के अन्दर मन्त्रियों द्वारा दी जाय, उनकी यथासम्भव पूर्ति होनी चाहिये। लेकिन ऐसे बिरले ही आश्वासन होंगे, जिनकी पूर्ति इस निश्चित समय में की जाती होगी। मान्यवर, इस प्रतिवेदन के अन्दर आ कर, कुछ कहने के पहले, मैं कुछ अपने विचार इस सरकार के सामने प्रकट करना चाहता हूं कि अगर सरकार उस से कुछ लाभ उठाना चाहे या सरकार उस पर विचार करना चाहे, तो अच्छा होगा और जनहित में होगा।

मान्यवर, आश्वासन समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरे समक्ष सरकार द्वारा दिये गये वचनों और आश्वासनों की पूर्ति के सम्बन्ध में जो बातें आई हैं, उसके सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहूंगा कि एसा लगता है कि सरकार स्वयं आश्वासनों की पूर्ति में सीरियस नहीं है, स्वयं उसको अपने वचनों और प्रतिज्ञाओं में निष्ठा नहीं है और न वह इस मतलब से उन्हें देती है कि वे सबके सब पूरे हों। इसलिये मैं कहता हूं कि मान्यवर, इनका जो प्रशासन तन्त्र है, उसका रवया इन आश्वासनों की ओर बहुत ढीला और बहुत ही एक तरह से... मैं तो समझता हूं अधिकांश केसेज में एक निन्दनीय सा है। अगर अपने प्रशासन को यह सरकार कह दे और उनको इन आश्वासनों की पूर्ति के लिये मजबूर करे, तो यह स्थिति उत्पन्न न होती। आश्वासन समिति की ओर से लिखकर जाता है कि अमुक आश्वासन सरकार ने दिया, अमुक तारीख को दिया, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि आश्वासन के विभाग को यह लिख कर भजा जाय, क्योंकि जब प्रश्नोत्तर होता है तो तो उस विभाग के अधिकारीगण यहां मौजूद होते हैं और उन्हें स्वयं चाहिये कि मन्त्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति के लिये ध्यान दें, लेकिन फिर भी ऐसे अनकों मामले हमारे समक्ष आय हैं उनकी पूर्ति दूर रही, अनेकों विभागों में जो हमने स्मृति पत्र भेजे, उनको एकनालेज करने की भी कृपा नहीं की और उत्तर नहीं भजे। ऐसे भी अनेकों आय हैं मान्यवर, जो इस प्रतिवेदन को पढ़ने से स्पष्ट होगा। ऐसा लगता है कि वे किसी प्रकार उत्तरदायित्व अपने सर पर लेना नहीं चाहते। यदि किसी विभाग ने जवाब भी देने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृपा की तो वे लिख देते हैं कि वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है। ऐसा लगता है। कि जो ढीली ढाली रिप्लाई इस सदन में हुआ करती है, वैसे ही रिप्लाई वे भी दे देते हैं यह नहीं समझते कि इतने दिन बीत गय और वांछित सूचना एकत्रित करने की स्थिति अब नहीं रही ।

दूसरी बात, मान्यवर,मैं यह कहना चाहता हूं कि इतना अनुत्तरदायित्व ढ़ंग का रवैया हमारे अधिकारियों ने अख्तियार कर लिया है कि जब आश्वासन समिति की बैठकें होती हैं तो और सम्बन्धित विभाग के सचिव महोदय को बुलाया जाता है तो वे यह कह कर कि किसी बैठक में व्यस्त हैं, उसे टालने का प्रयास करता हैं। यह बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उनका सीधे दोषारोपण किया जाय। समय दिया जाता है, लेकिन व टालते रहते हैं ।

उसका कारण केवल एक है। उनको पूर्ण रूप से इस पर विश्वास है कि मन्त्री या सरकार उनकी इस बात के लिय खिचेगी नहीं, उनको मजबूर नहीं करेंगे कि उसका उत्तर दें या उनके परिपालन में बहुत सीरियस रहें। मान्यवर, तीसरी बात में यह कहूंगा कि ऐसे अवसर देखने में आये हैं कि जहां 6–6, 7–7 वर्ष बीत जाने के बाद भी सम्बन्धित विभाग ने सूचना भेजने की कोई चिन्ता नहीं की, पूर्ति की बात तो दूर रही। उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया जो उनका विशेष उत्तरदायित्व था ।

यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत है सन् 1971 की उससे आपको स्पष्ट होगा कि आश्वासनों की पूर्ति 40 प्रतिशत भी नहीं हो पाई है—39 परसेंट आश्वासनों की पूर्ति हुई है। जसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि सरकार के वित्तीय मामलों पर नियन्त्रण रखने का प्रयास अपने नियमों के अनुसार एस्टीमेट्स कमेटी करती है और उसकी विवेचना के सम्बन्ध में जो कुछ अधिकार प्राप्त हैं उनका प्रयोग करती है पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी। आश्वासन समिति इस सदन म दिये हुए आश्वासनों पर विचार करती है। यहां पर माननीय सदस्य पब्लिक महत्व के प्रश्नों पर मन्त्रियों से प्रश्न पूछते हैं और सरकार की ओर से उत्तर आते हैं। तो आश्वासन समिति सोचती है कि उन पर कदम उठाये जा रहे होंगे और माननीय सदस्य सोचते हैं कि उन आश्वासनों की पूर्ति किसी न किसी समय अवश्य होगी। आश्वासनों की पूर्ति करने से छुट्टी पाने के लिये समय बिताते रहते ह। अधिकांशत- यह देखा जाता है कि उत्तर तो दे दिये जाते हैं लेकिन सम्बन्धित विभाग अवहेलना का रवैया अख्तियार करते हैं। ऐसे भी अवसर देखने में आये हैं कि जब अधिकारियों को साक्ष्य के लिये बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इन-इन मामलों पर सूचना उनके पास नहीं है। हमन कहा अच्छा, कोई हज नहीं, हम तो उनके साथ मुलायमियत बरतते हैं, आप अपनी सुविधानुसार उत्तर भेज देना। अगर उन्होंने 7 दिन मांगे तो उनको 10 दिन में सूचना भेज देने के लिये कहा गया। दो-दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई सूचना नहीं भजी गयी ।

एक बात देखने में यह आई है कि प्रश्नों के उत्तर तो यहां पर दे दिये जाते हैं, मगर सरकारी अधिकारी गलत उत्तर भेजते हैं। अपनी जान बचाने के लिये गलत उत्तर दे देते हैं। मैं इस बात को इसलिये कह रहा हूं कि अधिकारी अनेक प्रकार से जवाब देने के लिये मन्त्रियों को इक्विप करते हैं, उनको लिख कर जवाब देते हैं और माननीय सदस्य उसके विपरीत कुछ कहते हैं। ऐसी बातों का सत्यापन करने के लिये आश्वासन समिति मौके पर गयी। आश्वासन समिति ने यह देखा कि जो हमारे माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये थे वे बातें बिल्कुल सत्य निकलीं और अधिकारियों के जवाब जो उन्होंने मन्त्रियों को दिये थे, असत्य निकले। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि अगर 2–4 मामलों में अधिकारियों को दंडित किया जाता कि उन्होंने आश्वासन समिति के सामने ढिलाई की है, तो स्थिति में कुछ सुधार हो जाता। इसके विपरीत जब आश्वासन समिति मौके पर गयी तो अधिकारियों

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

ने मामलों को दबाने का प्रयास किया। अगर उनको दंडित किया जाता तो वे सब सचेत हो जाते। तब उनका यह अनुत्तरदायित्वपूर्ण रवैया न होता।

अब इतना कह कर, मान्यवर, में 38वें प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अन्य माननीय सदस्य भी कुछ कहना चाहेंगे। यह प्रशासन इतना भ्रष्ट क्यों है—यह इतना ढीला क्यों है? कुछ उदाहरणों से आप इसका अन्दाजा लगा सकते हैं। जब इस प्रतिवेदन को पढ़ा जायगा तब उससे भी स्पष्ट हो जायगा। मैं कुछ ही उदाहरण देकर अपनी चर्चा समाप्त करूंगा। इस प्रतिवेदन में 81 आश्वासन ऐसे हैं जो सन् 1964 और सन् 1969 के बीच के हैं और जो अपूर्ण हैं। 7 वर्ष हो गये, इस वक्त तक भी आश्वासन अपूर्ण है जबकि 3 महीने के अन्दर आश्वासन पूर्ण होना चाहिये। 7 वर्ष के बाद तो माननीय सदस्य के प्रश्न का महत्व ही समाप्त हो गया, पूर्ति तो दूर रही और जनता के प्रतिनिधि के नाते जो उनका लक्ष्य था वह भी पूरा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, 7 वर्ष तक जब तक कि वह आश्वासन समिति के सामने प्रश्न रहा, उसकी पूर्ति का इन्तजार किया जा रहा है तब तक अगर माननीय सदस्य उसके बारे में प्रश्न करना चाहें तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उत्तर यह मिलता कि आश्वासन समिति के विचाराधीन है। तो मैंने 81 मामलों को ड्राप कर दिया और लिख दिया कि इनको जारी न रखा जाय क्योंकि इस अनुत्तरदायित्व-पूर्ण रवैया के कारण वे प्रश्न ही महत्वहीन हो गये। तो ड्राप करने से प्रश्न करने का फिर से उनको अवसर मिलेगा। तो ऐसे दो सौ कुछ आश्वासन थे, उनमें से 81 को ड्राप कर दिया। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी के अवकाश का वेतन वर्षों तक भुगतान नहीं किया गया जोकि 3 महीने में पूरा हो सकता था। क्योंकि फायलें एक दूसरे के बीच दौड़ती रहीं इसलिये पूरा नहीं हुआ। इससे पता लगता है कि कितनी प्रशासन में ढिलाई आ गयी है।

टी० बी० के मरीज को यातायात की छूट का प्रश्न आया और कहा गया कि सरकार इस पर विचार कर रही है। 1966 का प्रश्न था, आज 1973 आ गया, आज तक सरकार के सर पर जूं नहीं रेंगी। कोई स्टेप नहीं उठाया गया, किस प्रकार की यह सरकार है कि जनजीवन के साथ खिलवाड़ करती है। थानेदार पोखराज पर कत्ल का इल्जाम लगा, उसका परिणाम आश्वासन समिति के सामने नहीं आया। हरदोई के एक डाक्टर थे चिकित्सालय के करप्शन का चार्ज लगा, उसका परिणाम जहां तक मुझे जानकारी इस वक्त तक नहीं मिली, क्योंकि मेरे विभाग को सूचना नहीं आई,। 6 वर्ष हो गये। तीसरे, जिलाधिकारी बरेली के खिलाफ ड्राइवर की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला आया था, मैंने ही उठाया था और हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने उठाया था। लेकिन उस वक्त तक कोई पूर्ण सूचना नहीं दी जा सकी थी जब तक कि सम्बन्धित सचिव को सामने किया साक्ष्य देने के लिये। अगर ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में 7–7 वर्ष बीत जाते हैं तो स्वच्छ प्रशासन की बातें एक स्वप्न की चीज रह जाती हैं।

हमारी सरकार को चाहिए कि ऐसे मामलों में कड़े कदम उठावें। इसमें विरोधी पक्ष का प्रश्न नहीं है, शासन की मर्यादा का प्रश्न है और जन-जीवन के साथ खिलवाड़ का प्रश्न है। इसके साथ ही वित्त विभाग के बारे में हमारे अनेक माननीय सदस्यों की यह राय होगी कि आज करोड़ों रुपये का खर्चा इसलिये बढ़ जाता है कि वित्त विभाग समय पर अपना निर्णय नहीं लेता। एक असन्तोष का विषय है कि अगर किसी एक मामले पर इस सदन ने रुपया स्वीकार किया कि अमुक मद में इतना रुपया खर्च हो जायगा, तो फिर वह चला जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्रूवल के लिये। वहां वह गया तो गैतलखाने में चला जाता है। आप चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट हमारा चले 3 वष की अवधि में तो वह 8 वर्ष तक नहीं हो पाता। ऐसा ही एक मामला मनाली या माली योजना का है, 6 वर्ष हो गये अनेक बार कह चुके हैं। दूसरा उदाहरण है मेडिकल कालेज, मेरठ में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का 1971 के बजट में प्रावीजन हो गया, अब केवल इसके प्रशिक्षण का प्रश्न है,

वह प्रोवाइड क्यों नहीं किया, कौन-सी बात आ गयी ? उसमें यह हुआ कि वित्त विभाग ने पूछ-ताछ शुरू कर दी। यह नहीं सोचा कि इसमें यह चीज पहले रख देनी चाहिये। अब चूंकि फाइल उनके पास गयी तो कुछ कारगुजारी तो उनको दिखानी ही चाहिए।

कारगुजारी यह है कि वह उनसे रिपोर्ट मांगेंगे, अपना कुछ नहीं लिखेंगे। सेक्रेटरी महोदय या जो ऊपर के अफसर होंगे वह खाली 'टु रिपोर्ट' लिख देंगे और फाइल नीचे चली जायगी और फिर नीचे से ही किसी क्लर्क का लिखा हुआ आयेगा। यह फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्थिति है। यह तो रोड़ा बनता है बजाय सतर्कता का काम करने के। हमारे वित्त मन्त्री जी ने एक बार कहा था कि हमने भिन्न-भिन्न विभागों में वित्तीय मामलों को एक्सपीडाइट करने के लिये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रख दिये हैं। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो बधाई के पात्र हैं। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर भी रोड़ा बनने से पीछे नहीं हटता। यह डिप्लोमा कोर्स समाप्त होने को आ गया लेकिन आज तक निर्णय नहीं लिया। क्या तीन महीने में पाठ्यक्रम का निर्णय नहीं हो सकता था ?

श्रीमन्, हरिजन समाज कल्याण विभाग के बारे में मैंने अपनी रिपोर्ट में 135 और और 136 में लिखा है। इसमें एक भी आश्वासन की पूर्ति नहीं है। आखिर कौन देखेगा अगर मन्त्री जी नहीं देखेंगे ? क्या इसके लिये भी कोई कमीशन या कमेटी बनेगी ? आपने आश्वासन समिति का निर्माण किया। सभी दलों के उसमें सदस्य हैं जो यह देखना चाहते हैं कि आपने जो आश्वासन दिये उनकी पूर्ति हुई या नहीं। मगर किसी की पूर्ति दिखायी नहीं देती। इस हरिजन कल्याण के बारे में आज क्यों इतनी ढिलाई है ? अभी कल कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में आपके सामने चर्चा आयी। सचमुच कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को लूटपाट डिपार्टमेंट जो कल कहा गया वह ठीक ही कहा गया। अब जो स्पेशल इंवस्टीगेशन करने के लिये अफसर मुकर्रर हुआ तो कई सौ ऐसे केस करप्शन के उसने बताये। जो मामले पकड़े गये वह करीब 1 हजार के होंगे और कई करोड़ रुपए का उनमें गबन है वह तो छोड़ दीजिए। अभी कल चर्चा के लिये आपके सामने एक विषय आया था। रोशन लाल जी, आई०ए०एस० ने उसकी जांच की थी। उसमें करोड़ों रुपए का गोलमाल है। अंग्रेजों के जमाने में भी आफिशियल्स में करप्शन रहता था लेकिन तब ऊपर के आफिसर्स डरते थे। यहां तो ऐसा लगता है कि पालिटीशियेन्स-कम-आफिसर्स, दोनों मिल कर खाते हैं। संसार में कोई देखने वाला नहीं है। अगर इसका उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो इस कोआपरेटिव विभाग में देखें।

एक उदाहरण है सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में। इसमें 8 आश्वासन हैं। थोड़े दिन तक मन्त्रि मंडल में रहने का मुझे भी अवसर मिला था। उस मौके पर हमने देखा कि ऐसे अवसर आते हैं जब जान छुड़ाने के लिये जो जवाब अफसर देते हैं मन्त्री वही उत्तर पढ़ देता है, क्योंकि ऐसे भी अवसर आये कि जिला स्तर से ही गलत उत्तर लिख कर आते हैं और हम देखते रह जाते हैं क्योंकि अफसर आश्वस्त रहते हैं कि मन्त्री दूसरा जवाब नहीं देंगे सिवाय इसके। इसी प्रकार कोआपरेटिव विभाग के बारे में उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम जांच करायेंगे। 8 आश्वासन आपने दिये थे कोआपरेटिव विभाग के जिसमें 6 गबन के थे। एक भी आश्वासन इस विभाग ने इस वक्त तक पूरा नहीं किया। फिर जिन आरोपों का वर्णन हमने आपके सामने किया है अगर वह आरोप इन पालिटीशियन्स, जिनमें हम सभी हैं, और अफसरों पर लगाये जायं तो इसमें क्या गलत है ? क्या इसके लिये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है ?

सेन्ट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में कहा जाता है कि सहकारिता हमारी अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, हम हर क्षेत्र में सहकारिता को लायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये ही सहकारिता में आपने अच्छी तरह से गबन और लूट होने की आजादी दे रखी है ? कल ही माननीय चरण सिंह जी ने एक बहुत ही

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

गम्भीर मामला आपके समक्ष सदन में उठाया था। एक आई० ए० एस० आफीसर की जांच रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के आधार पर प्राइमाफेसाइ तो केस बनता है। ला में भी जब प्राइमाफेसाइ केस इस्टैब्लिश हो जाता है तो चार्जशीट फ्रेम हो जाती है कोर्ट में। यहां तो आप के एक आइ० ए० एस० आफिसर ने एक-एक केस की छानबीन करके अपनी रिपोर्ट दी है, लेकिन उसकी भी आपने आज तक कोई जांच नहीं करवाई।

अब, मान्यवर, मैं पुलिस विभाग को लेता हूं जिसकी स्थिति दिन पर दिन बड़ी विचित्र होती जा रही है। चूंकि प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ गया है इसलिए आज कोई भी यह आशा नहीं करता कि उसको न्याय भी मिल सकता है। आज किसी भी केस की उचित जांच नहीं हो पाती। सी०आई०डी० पर लोगों का विश्वास था मगर अब वह भी उठ गया। सी०आई०डी० भी राजनैतिक प्रभाव में आ गयी है। आज की सी० आई०डी० से कोई राहत मिल पायेगी, ऐसा विश्वास अब जनता में नहीं रह गया है। सी० आई०डी० के सुपुर्द मामलों की संख्या भी दिन पर दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि वे न्याय नहीं कर पाते। उस पर भार बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। 6-6 वर्ष तक के केस सी० आई० डी० के पास पड़े हैं, अभी तक रिपोर्ट नहीं आयी है। वह समय पर अपनी जांच खत्म नहीं कर पाती है। मैंने गृह सचिव को बुलाकर समिति में आग्रह किया था कि आप हर मामले में एक टाइम लिमिट कर दिया करें कि इतने समय में उनकी रिपार्ट अवश्य आ जाय। यदि किन्हीं मामलों में कोई विशेष कारण हो जिसके कारण देर लग रही हो, तब आप समय को बढ़ा दें, वरना एक टाइम लिमिट अवश्य बांधना चाहिये। जब तक आप ऐसी कोई पाबन्दी समय की नहीं लगायेंगे, समय के अन्दर उनकी रिपार्ट आपको नहीं मिल सकती।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर उतना ही कार्य भार सौंपा जाय जितना वे कर सकें और उनको यह कहने का कभी अवसर न मिले कि हम पुराने केस में जांच कर रहे थे या फलां मामले में जांच कर रहे थे, इस कारण दूसरे मामले में देरी हो गयी। इस प्रश्न पर भी सरकार को सोचना चाहिए ताकि ये काम का बहाना ले कर या अधिक काम होने के कारण दूसरे काम को टाल न सकें या उसमें अधिक देरी न कर सकें।

मान्यवर, गृह सचिव ने एक जवाब दिया और बहुत सच दिया उनका कोई दोष नहीं है कि हां, मामला हम पुलिस का भेजते हैं और पुलिस को भेजने के बाद हम यह देखते हैं कि पुलिस की एक आदत सी बन गई है।.... हमें स्मरण आता है स्वर्गीय दीनदयाल जी की ट्रेन में हत्या हो गई और उसके सम्बन्ध में मुकदमा भी चला। उस विषय में हमने अनेक बार कहा कि सही कलप्रिट नहीं सामने लाये गये इसमें जांच पड़ताल ठीक नहीं हो पाई, उसमें ऐसे व्यक्तियों को खड़ा कर दिया गया जो इस मामले में निरपराध थे।

उसके बाद हम लोगों ने कमीशन की मांग की और वह भी बैठा, लेकिन हाईकोर्ट तक से जो मामला निर्णय हो गया था, उस पर दूसरी राय कायम होना मुश्किल था, हमारे जज महोदय दूसरी कोई फाइंडिंग्स दे नहीं सकते थे। फिर भी मन के सन्तोष के लिये दूसरे कमीशन की मांग की थी। इसका रेफरेंस हमने इसलिए दिया कि निश्चित रूप से दोनों आदमी अपराधी नहीं थे। गृह सचिव कहते हैं कि पुलिस को जो मामला दिया जाता है, तो उस मामले में ढूंढ कर उसे किसी को तो सजा दिलानी ही है। तो वह आरोप किसी पर ठोक सके तो ठीक है सही अपराधी पर अपना अंगूठा रख सके तो ठीक है, वरना वह अक्षम न सिद्ध होने पावे, इसलिए किसी पर भी अपना अंगूठा ठोंक देते हैं। इसका न्याय के सिस्टम पर क्या नतीजा पड़ता है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। यह भी बहुत गम्भीर

मसला है। एक साधारण आदमी समाज में रहकर जो नित्य प्रति यह रैवैया धांधली का देखता है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और उसके होने वाले परिणामों पर भी उसे गौर करना चाहिए।

इतना कहने के बाद मैं यह और कहना चाहूंगा दर असल अगर सरकार की यह नेकनियती है, जो तीनों कमेटियों के बारे में कहा है, उन्होंने बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से अपन काय का निर्वहन किया है, अब सरकार के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह इन तीनों रिपोर्टों पर गम्भीरता से विचार करे और इन सभी पर सम्बन्धित विभाग अपनी-अपनी रिपोर्ट सरकार को दें, और इसके लिये विभागों को दोषी ठहराया जाय। ऐसे विभागों को, ऐसे अधिकारियों को जब खींचा जायेगा, तभी कल्याण हो सकता है। आज रिपोर्ट सबमिट करने के बाद मुझे स्मरण आया, जिन जिम्मेदार अधिकारियों से रिपोट देने के लिये कहा गया था, उनसे समय पर रिपोर्ट नहीं आई, यदि वह हुआ तो मैं उनके बारे में कार्यवाही करने के बारे में सोचूंगा, चाहे ब्रीच आफ प्रीविलेज का ढंग हो या और कोई तरीका हो हम उनके विरुद्ध अवश्य कोई न कोई कार्यवाही करना चाहेंगे।

पार्लियामट में तो उसकी एक समिति के सामने जब एक उच्चाधिकारी श्री मुकर्जी या कोई था, को बुलाया गया तो वह आये ही नहीं। क्योंकि उनको तो अभिमान था कि हम सर्वोच्च अधिकारी हैं। उसके बाद यह विषय पार्लियामट में गया और उनको वहां बुलाया गया और उनको वहां आना ही पड़ा। इसे बड़ी सीरियसली लिया गया था, उन अफसर को इस्तीफा तक देने की नौबत आ गई थी, किसी तरह से उनके माफी मांगने पर उनको क्षमा कर दिया गया। इससे मुझे उम्मीद है अधिकारी सतर्क हुये होंगे। हिन्दुस्तान भर में सबसे ज्यादा असतर्क, अक्षम ब्यूरोक्रेसी यदि किसी प्रदेश में है तो वह अपने उत्तर प्रदेश में है। मने एक निर्णय लिया है जिस विषय पर एक बार में विभाग सूचना न दे और एक बार रिमाईन्डर भी भेजा गया हो, सरकारी अधिकारी आने की इच्छा नहीं करता, वह सूचना देने के बाद हमें पूर्ति का सन्तोषजनक उत्तर नहीं देता, तो जवाब की तिथि निश्चित कर देता हूं कि इतने दिन के बाद वह अवश्य जवाब दे, वरना इसे तलब किया जाये।

इससे कुछ थोड़ी सतर्कता आई है विभागों में और अधिकारी लोग थोड़ा सीरियस हुए हैं लेकिन मैं अपनी सरकार से पुनः आग्रह करुंगा कि अगर प्रशासन को चुस्त करना है, अगर करप्शन को दूर करना है तो आपके हित में यही है कि जिन अधिकारियों द्वारा ढिलाई बरती गयी हो और जिनके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट आये उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाया जाये। मन्त्री जी खड़े हो कर कह देंगे कि हमने आदेश दे दिया है कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी हो, या आश्वासन समिति या कोई और समिति हो अगर उसकी कमेटी हो तो उस पर पूर्ण ध्यान दिया जाय और पत्रों में जो आदेश हों, उनकी पूर्ति की जाये लेकिन मैं यह पूछता हूं कि उन आदेशों का क्या परिणाम हुआ? अगर इन अधिकारियों की आयोग्यतायें और अक्षमतायें दंडित में नहीं होंगी तब तक प्रशासन की गन्दगी कैसे दूर होगी। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और ऐसी ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और विभागों को दंड दे तभी प्रशासन का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ में इस 38वें प्रतिवेदन में लिखित आश्वासनों को समाप्त घोषित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

इस आश्वासन समिति के प्रतिवेदन के तीन वर्ग हैं।--एक वर्ग में तो कहा गया है कि 64, 65, 66, 67, 68 और 69 तक के अन्दर जो आश्वासन दिय गय ह वह अब समाप्त किय जा रहे ह।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

वे आश्वासन सदन के अन्दर दिये गये थे और उनकी पूर्ति की ही नहीं गयी है इसलिए समाप्त किये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

हां, हां वह ठीक है। दूसरा वर्ग वह है जिसमें वह आश्वासन हैं जिनकी पूर्ति हो गयी है और, तीसरा वर्ग है ऐसे आश्वासनों का जिनके बारे में समिति को क्षोभ है कि उन पर कार्यवाही ही नहीं हुई, तो आप तीसरे पर ही बोलें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपठी—

मान्यवर, जिनके खिलाफ उन्होंने कोई कदम ही नहीं उठाये, उनके बारे में है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष, आश्वासन समिति ने बड़ी तफसील के साथ 38 वें प्रतिवेदन के विषय में कुछ तथ्य रखे हैं। श्रीमन्, मैं यह मानकर चलता हूं कि आश्वासन समिति एक ऐसी समिति है कि अगर उसके काम करने के ढंग और तरीकों पर मंत्रि मंडल और इस प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो एक्जीक्यूटिव है, जो आफिसर्स हैं, वे सही ढंग से काम करने लगें, तो कम से कम एक बात तो निश्चित रूप से सिद्ध हो जाय कि इस प्रदेश के अन्दर यह माननीय सदन सब से बड़ी ताकतवर चीज है और यह सब से ज्यादा सुप्रीम है। आज तक इसी बात को ध्यान में रख कर इस आश्वासन समिति के अन्दर जो आश्वासन आते हैं वह वही होते हैं जो माननीय मन्त्रिगण इस सदन में खड़े हो कर देते हैं। 'विचार किया जायगा' विचाराधीन है, इस तरीके की बात, चाहे सवालों के जवाबों में ये देते हों, चाहे किसी तकरीर के सिलसिले में देते हों और चाहे किसी स्टटमट के सिलसिल में देते हों और यह हो सकता है कि उन्हें उस बात को कहते वक्त शायद इस बात का अहसास न होता हो कि यह आश्वासन हो जाता है और जब वह चीज जा कर आश्वासन समिति के सामने पहुंचती है और वहां उसके नीचे अन्डरलाइन हो जाता है कि वह आश्वासन बन गया और उसके लिये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि तीन महीने के अन्दर वह पूरे हुये या नहीं तब अधिकतर यह देखा जाता है कि खतों पर खत लिखे जाते हैं आश्वासन समिति की तरफ से कि इस आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई।

बाज मौकात और ज्यादातर मामलात ऐसे होते हैं कि उन पत्रों के जवाब तक नहीं आते और जब आगामी बैठक में समिति के इस तरह के सवाल आते हैं कि इस विषय में, इस आश्वासन के सम्बन्ध में सरकार को चिट्ठी लिखी गयी थी लेकिन उसका जवाब नहीं आया तो हुआ कि रिमाइन्डर दिया जाय। रिमाइडर्स दिये जाते हैं लेकिन रिमाइन्डर्स के जवाब नहीं आते तो अन्त में फिर यह होता है कि उस विभाग के सचिव महोदय को बुलाया जाय समिति के सामने। यह देखा गया है और मुझे न श्रीमन्, इस आश्वासन समिति के अन्दर काफी काम करने का मौका मिला है, मैंने स्वयं देखा है कि जो सचिव महोदय आते हैं वह यह जानते हैं कि हमको आखिरी स्टेज पर बुलाया गया क्योंकि आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। बावजूद इसके वह यह कहते हैं कि मुझे को तो साहब इस विभाग का चार्ज लिये हुए एक महीना हुआ है, मुझ को मालूम नहीं इसमें क्या कार्यवाही हो रही है। और आगे को हम समिति के सामने इसकी मालूमात करके सूचना दें देगें।

इस माननीय सदन के सम्मुख जब शासक दल का मंत्री खड़े होकर एक बात का आश्वासन दे देता है तो क्या उस विभाग के सचिव और जिम्मेदार अधिकारी पर उसी दिन से यह जिम्मेदारी लागू नहीं हो जाती कि वे तीन महीने के अन्दर जो आश्वासन सदन के अन्दर दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है उसकी पूर्ति कर दें? अगर उस जिम्मेदारी को वह पूरा नहीं करते हैं तो क्या उनसे जवाब मांगा जाता है। और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय इसके लिये माननीय मंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं होती है? यह जिम्मेदारी इसलिये होती है कि जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं वह पुरे-पूरे सूबे के सिलसिले में होता है। कहीं गबन का मामला है, कहीं विकास के सिलसिले में कोई मामला है। उसका जवाब माननीय मंत्री जी देते हैं तो यह उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आश्वासन देने के तीन महीने के अन्दर उसकी पूर्ति करायें अपने विभाग के अन्दर और उसकी सूचना माननीय सदस्य के पास भी पंहुचवा दें कि इस सिलसिले में जो सवाल माननीय सदस्य ने किया था उस पर कार्यवाही इस तरह से हो गयी। जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा 6, 7 साल के आश्वासन हमको मजबूर हो कर खत्म करने पड़े। खत्म न करते तो क्या करते? आश्वासन पर जो पत्र लिखे जाते हैं उनके उत्तर नहीं आते, सेक्रेटरी को बुलाया जाता है तो नहीं आता। लिहाजा मजबूरी हो जाती है कि ऐसे आश्वासनों को खत्म कर दिया जाय और नये सिरे से उसी सवाल को सदन के सामने रखा जाय ताकि वह सवाल फिर से जिन्दा हो जाय। बडी संख्या है ऐसे आश्वासनों की जो खत्म किये गये हैं।

मेरी निश्चित राय यह है कि जो आश्वासन पूरे नहीं किये जाते हैं उनमें से अधिकांश ऐसे होते हैं जो गबन के बारे में होते हैं, जिन के बारे में जांच करने का आश्वासन दिया गया होता है अथवा वे विकास के सिलसिले में होंगे कि फलां सड़क अथवा नहर बना दी जायगी लेकिन वह नहीं बनाई गयी होगी। ऐसे भी आश्वासन होते हैं जो किसी विभागीय अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने के बारे में होते हैं। इन आश्वासनों की पूर्ति मे देरी महज इसलिये की जाती है कि जिस आदमी पर जिम्मेदारी आयद की जाती है उसको बचाया जा सके। इसलिये जानबूझ कर इन आश्वासनों की पूर्ति के सिलसिले में देरी की जाती है। जहां तक ब्यूरोक्रेसी तथा एडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है मैं दो एक मिसालें आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर किसी विभाग के सचिव महोदय अथवा उच्चाधिकारी समिति को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और यह बात समझ में आती है कि सचिव महोदय जानबूझ कर तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं तो समिति मौके पर जाती है जानकारी प्राप्त करने के लिये कि क्या बात सही है।

श्रीमन् जब मौके पर पूरी समिति जाय किसी आश्वासन की पूर्ति के सिलसिले में यह देखने के लिये कि सही तथ्य क्या है और कहां विभाग तक उसमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है और वहां देखने के बाद भी उस आश्वासन की पूर्ति न हो तो फिर बतलाइये क्या हाल होगा? सन् 64 में आश्वासन समिति मुरादाबाद जिले में गयी यह देखने के लिये वहां दो फ्लड शेड बन थे और फ्लड से बचने के लिये एक ग्राम मछरिया तथा दूसरा ग्राम आदम पुर में मेरी तहसील मुरादाबाद क्षेत्र में। यह कहा गया कि बेकार है, कोई काम में नहीं आ रहे हैं। एक आंधी आई तो वे दोनों चादरें उड़कर नीचे आ गईं।

इस सदन में भी इस बारे में एक बार सवाल उठा था। समिति में जब यह प्रश्न गया तो उसे सन्तोष नहीं हुआ और जब उस विभाग के सचिव समिति को संतुष्ट न कर सके तो समिति स्वयं वहां गई और उसने देखा कि पूरी की पूरी चादरें उड़कर नीचे पडी हुई हैं आदमपुर वाली भी और मछरिया वाली भी। तो समिति के दोनों जगह जाने के बावजूद भी आज तक उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। श्रीमन् इसका नतीजा यह निकलता है कि जैसा माननीय सभापति जी ने कहा— इस प्रश्न को 6, 7 साल हो गये हैं, इन्हें समाप्त करना पड़ता है। माननीय विधायक, हो सकता है कि अगले सत्र में यहां चुनकर आयें या न आयें लेकिन जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होती है उन्हें इन आश्वासनों को पूरा करना चाहिये। जब समिति वहां मौके पर जाती है और देखती है तो फिर आगे किसी भी इन्क्वायरी की जरूरत नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, इस प्रदेश की आबादी 9 करोड़ है। सकडों और हजारों की तादाद में कमचारी और अधिकारी हैं अगर ये लोग

[श्री रियासत हुसैन]
आश्वासन समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का कार्यान्वियन नहीं करेंगे तो फिर उसका मतलब यह हो जाता है कि वे इस हाउस की सुप्रेमेसी को चैलेंज कर रहे हैं जिन्हें कि इसे इक्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस वक्त सदन के सामने यह प्रश्न है कि सन् 1971 की अवधि में सदन में दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित वे आश्वासन जिनकी अभी तक पूर्ति नहीं हो पायी है अथवा जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । ये अगस्त, 1971 से आग दिसम्बर 1971, तक कुल 153 आश्वासन सदन में दिये गये थे ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, वही कह रहा हूं कि तीन महीने का समय इस चीज के लिये निश्चित है कि अगर कोई आश्वासन माननीय मंत्री जी यहां पर सदन में दें उन्हें, विभागों के जो अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी या डाइरेक्टर्स आदि हैं पूरा करें । यह उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस अवधि के अन्दर उन्हें पूरा कर द । यदि वे कोई कार्यवाही उस पर नहीं करते हैं तो मैं यह निश्चित मत का हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये वह चाहे सस्पेंशन की हो चाहे तरक्की रोके जाने की हो या किसी भी प्रकार की हो उनके खिलाफ कार्यवाही करने में किसी और सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिये। जब तक सख्ती से इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक काम चलने वाला नहीं है । मिसाल के तौर पर मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं कि किस तरह से ये लोग मिस गाइड करते हैं । गोरखपुर में बर्डघाट पर एक पुल था वह टूट गया था । उसके बारे में सवाल होते रहे । आश्वासन समिति के सामने विभागीय सचिव आये और उन्होंने अपना साक्ष्य उसके सामने दिया किन्तु समिति उससे संतुष्ट नहीं हुई । फलस्वरूप वह मौके पर वहां गई । उस सम्बन्ध में गोरखपुर के इन्सपेक्शन हाउस में एक मीटिंग हुई और उसमें कई तथ्य सामने आये ।

यह कहा गया कि जिस ठेकेदार ने उस पुल को बनाया था उसके खिलाफ 4-5 लाख रुपये का दावा सरकार ने कर रखा है कि यह पुल टूट गया क्योंकि अच्छा कंस्ट्रक्शन नहीं था तुम्हारा । और इसलिये सारी कार्यवाही ठेकेदार के खिलाफ चल रही है । लेकिन तथ्य यह मालूम हुआ कि उस ठेकेदार ने भी सरकार के खिलाफ सिविल कोर्ट में 6 लाख रुपये के नुकसान का दावा कर रखा है कि हमारा इतना सामान नदी में बह गया । तो इतनी लिखा पढ़ी के बावजूद भी इस तथ्य को समिति के सामने नहीं लाया गया था । समिति से बराबर लिखापढ़ी होती रही लेकिन जब गोरखपुर इंस्पेक्शन हाउस में मीटिंग हुई तब डिप्टी चीफ इंजीनियर ने कहा कि ठेकेदार ने भी दावा किया है सरकार के खिलाफ कि हमारा 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ है । तो मेरे कहन का मतलब यह है कि एक परम्परा की शुरुआत जो आपने इस सदन के अन्दर करदी है कि समितियों की रिपोर्ट पर वक्त न फवक्तन यहां बहस हो, तो मैं चाहता हूं कि उस बहस का कुछ नतीजा निकले । अगर उस बहस का कोई नतीजा न निकल कर केवल यह हो कि समिति लिखा पढ़ी करे और सेक्रेटरीज समितिके सामने आवें और जो उनसे पूछा जाय उसका जवाब दे कर चले जायं और उस पर कोई अमली कार्यवाही न हो तो उससे कोई फायदा नहीं निकलने वाला है ।

इसलिये मेरा यह सुझाव है कि माननीय सदन इस बात का निश्चित फैसला करे जो भी एश्योरेंश हों, अगर किसी वजह से 3 महीने समय के अन्दर पूरे न हो सके तो क्या वजह है जिसकी वजह से 3 महीने से ज्यादा समय लगा इसकी सूचना सम्बन्धित विभाग के मंत्री को उस विभाग का अध्यक्ष दे दे कि हम इन कारणों से इस आश्वासन को 3 महीने के अन्दर पूरा नहीं कर पाये ह और फिर सम्बन्धित मंत्री की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अध्यक्ष, एश्योरेंश कमेटी को यह सूचना दें कि यह एश्योरेंश 3 महीन के अन्दर पूरा नहीं हो सका

है जिसके लिये हमें खेद है और हम प्रयास कर रहे हैं कि समय के अन्दर तीन, चार या 6 महीने के अन्दर यह आश्वासन पूरा हो जाय । अगर यह सिस्टम चालू हो जाय तो उससे कुछ फायदा निकलेगा वरना अगर यहां पर बहस हो जाय और जो फैक्ट्स कि अध्यक्ष, आश्वासन समिति ने आपके सामने रखे हैं उन पर कोई कार्यवाही न की जाय तो चाहे वह एश्योरेंश कमेटी हो, चाहे एस्टीमेट्स कमेटी हो चाहे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी हो, उनका रहना बेकार है। मैं तो इस निश्चित राय का हूं कि अगर शासक दल या सदन और आप इस चीज को ऐक्टिव तरीके से न करने के पोजीशन में हों तो इन तीनों समितियों को तोड़ दें, इनको खत्म कर दें, इनको डिजाल्व कर दें । इसकी कोई जरूरत नहीं है कि ऐसी समितियों को बना कर आप माननीय सदस्यों को बेइज्जत करावें, माननीय सदन और कमेटी के सदस्यों को बेइज्जत करावें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब तक तो यह परिपाटी रही नहीं कि इन समितियों की रिपोर्टों पर यहां चर्चा हो और अगर समितियों का प्रतिवेदन चर्चा के लिये प्रस्तुत किया जाता है तब आपको एक मौका मिलता है । . . . . .

श्री रियासत हुसैन--

इसीलिये तो एक आशा बंधी है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, पिछले तीन-चार वर्षों से जब भी मैं कार्य-मंत्रणा समिति में जाता रहा हूं तब निरन्तर उसके लिये सरकार से आग्रह करता रहा हूं कि सदन में इन रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिये अवसर दिया जाय तभी उसका मतलब हल होगा वरना इससे कोई फायदा नहीं है । यह केवल हम लोगों को पैसा दिलाने वाली कमेटी है ।

श्री रियासत हुसैन--

इसीलिये तो आशा बंधती है कि आपने जो सिस्टम रखा है उस पर अमल करने की कार्यवाही की जायेगी तो प्रदेश के अन्दर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको मालूम होगा कि प्रजातंत्र के अन्दर सब से ऊंचा स्थान इस माननीय सदन का है ।

(श्री मोहन लाल कपूर के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

यह भी सुझाव दें कि अगर चर्चा यहां पर आश्वासन समिति के प्रतिवेदन पर हो रही है तो ऐसे ही अन्य प्रतिवेदनों पर भी चर्चा होगी, शासन की तरफ से कोई सुझाव तो आया नहीं है, तो आश्वासनों की पूर्ति के लिये कैसे सक्रिय कदम उठाया जाय, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आश्वासनों की पूर्ति में विलम्ब बहुत हुआ है । शासन से अपेक्षित है कि इसकी यथाशीघ्र पूर्ति हो । मैं बेतरतीन देख रहा था तो मैंने देखा कि एक आश्वासन चिकित्सा का था 13 जुलाई, 1971 को यह सवाल उठा था और इसके बारे में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा निदेशक से काफी अरसे से रिपोट प्राप्त नहीं हुई ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, ऐसे भी उदाहरण आयेंगे कि विभाग केवल एक फर्लांग की दूरी पर है और सचिव महोदय निदेशक से सूचना मंगा रहे हैं जिसके आने में 8 महीने और साल साल भर लग जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

वही मैं कह रहा हूं कि यहीं पर सचिवालय भी है और निदेशक भी हैं फिर भी सचिव को सूचना नहीं मिलती है निदेशक की ओर से । इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

*श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, आपन मुझ बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका धन्यवाद है । यह रिपोर्ट जो हमारे आश्वासन समिति के अध्यक्ष ने रखी है और किस पीड़ा के साथ रखी है, यह आपने सुना है । हमारी सरकार इन आश्वासनों को पूरा करने का प्रयत्न नहीं करती है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि जिले के अधिकारी ढीले हो रहे ह । जब हम लोग कोई प्रश्न पूछते हैं या यहां से जांच करने के लिये या उत्तर के लिये कोई बात होती है तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है । होना यह चाहिये कि किसी प्रश्न में यदि मंत्री जी कोई आश्वासन दे दें तो लखनऊ में बठे हुये अधिकारियों तथा जिले के अधिकारियों के ऊपर यह प्रभाव पड़ना चाहिये कि यदि समय पर यह काम न हुआ तो उनको दंडित किया जा सकता है या उनके चरित्र पंजिका में इन्ट्री की जा सकती है । लेकिन कुछ नहीं होता है इसीलिय आज हमारे प्रश्न करने का मूल्य घटता जा रहा है और कोई परिणाम नहीं निकलता है ।

यह रिपोर्ट पर सदन में विचार करने की स्वस्थ परम्परा प्रारम्भ हुई है । सरकार की तरफ से रियासत हुसेन साहब बोले हैं । होना यह चाहिये कि किसी मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये क्योंकि मंत्रियों की ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी हैं । मंत्रि मंडल किसी मंत्री को नियुक्त करे और वह इस रिपोर्ट पर सरकार के विचार रखे । किस तरह से इन आश्वासनों को पूरा किया जायेगा । अगर यह नहीं होता है तो, आज की चर्चा निरर्थक है क्योंकि प्रदेश में अगर कोई शक्तिशाली सत्ता है तो वह सदन की है और सदन की ही यह कमेटी है और यह सदन का प्रतिनिधित्व करती है । इस कमेटी के वही अधिकार हैं जो इस सदन को हैं । इसी तरह से अनेक आश्वासनों पर जब अधिकारी बुलाये जाते हैं तो भी नहीं आते हैं और सूचना भी समिति को नहीं देते हैं । इस तरह से एक-एक आश्वासन की पूर्ति में 6,7 साल लग जाते हैं ।

मेरा कहना यह है कि इस अड़तीसवें प्रतिदिन में जो ऐसे आश्वासन हैं जिनमें अधिकारीगण बुलाने पर नहीं आये जिससे समिति की कार्यवाही नहीं चल सकी तो सरकार को उसका नोटिस लेना चाहिये और निश्चित रूप से उनको दंडित करके उनको बुलाये और उनसे पूंछे कि समिति के समक्ष क्यों नहीं गये ? यदि इस तरह से अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी तो आ वासन समिति की और सदन की मान मर्यादा कायम रह सकेगी वरना इसके अपमान के लिये दो ही व्यक्ति जिम्मेदार हैं या तो मंत्री या सचिव । अगर किसी आश्वासन की पूर्ति नहीं होती है तो विशेषाधिकार का प्रश्न सचिव के विरुद्ध या हम मंत्री महोदय के विरुद्ध लायें यह अधिकार हमें मिलना चाहिय । अगर इस तरह से अपमान का प्रश्न लायेंगे तभी शायद मंत्री जी या सचिव कुछ सक्रियता इसमें लायें । मेरी दृष्टि में लोकलेखा समिति और प्राक्कलन समितियां 2 ऐसी समितियां हैं जिनके बारे में यह कहना ठीक ही है कि वह वित्तीय मामले देखती हैं लेकिन यह आश्वासन समिति तो हर एक विभाग, कोई भी हो, सारे विभाग से सम्बन्धित जितने भी आ वासन होते हैं, चाहे सड़क के हों या अस्पताल के या और किसी चीज के हो वह सभी आश्वासन पर विचार करती है । इसलिये सब से बड़ा कल्याण इस समिति के द्वारा हो सकता है । 8-9 करोड़ जनता को और उसके प्रतिनिधियों को इस तरह से आश्वासन दिया जाये वह पूरा न हो तो निश्चित रूप से जन कल्याण नहीं हो सकता लेकिन यह चीज सरकार की तरफ से पूरी नहीं की जा रही है ।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि सदन में समय-समय पर जो आश्वासन दिये जाते हैं समिति के कार्यालय द्वारा सम्बन्धित विभागों को उनकी सूचना भेजते समय यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि यानी आश्वासन का समय भी निश्चित कर दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी उत्तर ठीक से नहीं आते । सन् 71 में समिति के सामने 252 आश्वासन आये और उनमें से केवल 99 ही पूरे हुये और 153 अपूर्ण रहे । इस तरह से केवल 40 प्रतिशत आश्वासन ही पूरे होते हैं । हमारा कहना है कि अगर इस तरह से आश्वासनों की अवहेलना होती है वह निश्चित रूप से सदन की अवहेलना है और इसी रूप में इसको सदन को लेना भी चाहिये ।

मैं मेरठ से सम्बन्धित केवल 2 आश्वासनों की ओर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा । पहला आश्वासन पं० प्यारे लाल शर्मा अस्पताल के सम्बन्ध में था जो 31, अगस्त, 1971 का प्रश्न था उस पर दिया गया था कि वहां के दंत विभाग में एक्सरे मशीन मंगाई जायगी । उस समय कहा गया था मंत्री जी के द्वारा पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन सप्लाई करने पर विचार हो रहा है लेकिन आश्वासन समिति द्वारा सूचना मंगाने पर भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग के निदेशक से कोई सूचना नहीं आई है । डेढ़ साल हो गया वहां पर हजारों इस प्रकार के मरीज आते हैं जिन के लिये वह दंत मशीन जरूरी है लेकिन आश्वासन के बावजूद वह नहीं आई, यह कितनी शासन की ढ़ील है और उपेक्षा पूर्ण नीति है । मैं चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हैं वह कृपया इस आश्वासन की ओर विशेष रूप से ध्यान दें और मेरठ के इतने बड़े अस्पताल में दंत विभाग में एक्सरे मशीन का न होना एक दयनीय स्थिति है । मैं चाहता हूं कि इस आश्वासन के सम्बन्ध में वह पूर्ण जांच करायें ।

दूसरा यह है कि मेरठ मेडिकल कालेज में एक फारमेसी का कोर्स आरम्भ होने वाला था लेकिन वह अभी तक नहीं हुआ । 71–72 में इस की स्वीकृति वित्त विभाग से हो चुकी है और बजट में प्राविजन भी हो गया था और उसके बाद भी विभाग ने टाल दिया । और सारा मामला अपने पास मंगा कर रख लिया और कोई निर्देश नहीं दिया । मेरा कहना है कि इस ओर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान दें और वहां फामेसी कोर्स जिसका प्रोपोजल और बजट में प्राविजन हो चुका था उसे खुलवाने की शीघ्र कृपा करें । अन्त में मैं केवल इतना जरूर कहूंगा कि आश्वासन समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल स्वतः ध्यान दे और कोई न कोई ऐसी योजना जरूर निकालनी चाहिये जिससे वह समितियों की रिपोर्ट निरर्थक न हो जाय । आप ने इस पर बहस का मौका दिया है इसके लिये निश्चित ही आप बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही की जाय ।

*श्री शम्भनाथ चौधरी (जिला बलिया)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो सदन में आश्वासन समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत है उसमें 3 खंड हैं । पहले खंड में 1966 से 1969 तक के आश्वासनों के उद्धरण दिये गये हैं जिनकी पूर्ति आजतक इस सरकार ने नहीं की है । माननीय सभापति, आश्वासन समिति ने बताया है कि वह इसलिये नहीं की गई है कि माननीय विधायकों को अवसर भी नहीं मिलेगा, वे इतने पुराने हो चुके हैं । दूसरे खंड में 1971 के ऐसे आश्वासन दिये हुए हैं जिनको सरकार ने पूरा किया और समिति ने उन्हें स्वीकार किया । ऐसे आश्वासनों की संख्या 99 है । तीसरे प्रकार के जो आश्वासन हैं उनकी संख्या 153 है, वे अपूर्ण हैं और जिनके बारे में विशेष रूप से सदन में चर्चा करती हैं । यदि हम देखें कि 1971 के आश्वासनों की पूर्ति का प्रतिशत क्या है तो पायेंगे कि वह 40 प्रतिशत होता है । यह बड़ी खेदजनक स्थिति है और जो भी माननीय मंत्री यहां पर ज्येष्ठ बैठे हों, मेरा निवेदन है कि वे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

इस ओर ध्यान दें । विधान सभा का रूप एक पंचायत के तरीके का होता है जैसा कि गांधी जी और डाक्टर लोहिया जी कहते थे लखनऊ की पंचायत और दिल्ली की पंचायत । इसमें जो आश्वासन सरकार की ओर से दिये जाते हैं, उनकी पूर्ति आप नहीं कर रहे हैं । केवल 40 प्रतिशत आश्वासनों की पूर्ति रहो ही है, 60 प्रतिशत की नहीं हो रही है । इसका मतलब यह है कि इन पंचायतों का आप उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि आपको डर नहीं है की जो पंचायतों में हो रहा है उसका हमारे ऊपर भी असर है । यदि आप गौर से देखें तो पायेंगे कि जिन आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुयी है, उनमें जिनकी पूर्ति हुयी है उसका प्रतिशत केवल 12 1/2 है ।

यह प्रदेश खेतिहर है, कृषकों का है । अधिक संख्या किसानों की है । उन्हीं के ऊपर उत्पादन निर्भर है । हम लोग भी ज्यादातर गांवों से ही आते हैं और कृषि से संबंधित प्रश्न करते हैं । जैसा मैंने कहा कृषि से संबंधित आश्वासनों की पूर्ति केवल 12 1/2 प्रतिशत हुयी है उद्योग विभाग में 30 प्रतिशत और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनकी 20 प्रतिशत और जो जीवन के आवश्यक अंग हैं, उनको आप देखेंगे कि 1/3 से भी कम आश्वासनों की पूर्ति हुयी है । अब मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1964–69 के बीच के आश्वासनों की जो संख्या 81 है, वह आज भी कायम है । मैंने एक प्रश्न किया था 1969 में । सरकार ने उसके बारे में आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक भी पूरा नहीं किया गया । तुरहा जाति के लोग दूसरों के खेतों में साग सब्जी बोते हैं । ये न हरिजनों में है और न बैकवर्ड में आते हैं । मैंने सरकार से प्रार्थना की थी कि इनको बैकवर्ड में कर दिया जाय । सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि वह कर दिया जायगा लेकिन आजतक हमारी समझ में नहीं आया इतने वर्ष बीतने पर भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया । आप तुरहा जाति को नहीं समझ रहे हैं । अगर इंगलैंड या विलायत के आप रहने वाले हैं और आप को तुरहा जाति की सामाजिक स्थिति का ज्ञान नहीं तो आपको सदन छोड़ देना चाहिये ।

मान्यवर, अब मैं वर्ग (3) की ओर खास तौर से आपका ध्यान दिलाऊंगा । क्रम-संख्या 5 पर आप देखेंगे । फर्जी फर्मों से संबंधित यह प्रश्न है और एक बार राज्य-मंत्री उद्योग ने भी इसके बारे में कहा था कि चार इन्सपेक्टर्स ट्रांसफर कर दिये गये हैं । जांच होने के बाद जब जिम्मेदारी साबित हो जायेगी तब उनको दंडित किया जायेगा । मान्यवर, वैरिफिकेशन हुआ आपने कहा भी कि वैभागिक कार्यवाही की जायेगी और की जा रही है । यह आपने स्वीकार किया लेकिन इसके बाद भी आपने ट्रांसफर ही किया । कम से कम निलम्बन की कार्यवाही तो होनी चाहिये । श्रीमन् मैं लोक लेखा समिति म था तो ऐसे मामले आये कि उत्तरदायित्व तब निश्चित होता है जब या तो अधिकारी अवकाश ल लेते हैं या मर जाते हैं । इन हालत में यह स होता है । अब आपका ध्यान क्रम संख्या 12 की तरफ दिला रहा हूं । उसमें कृषि से संबंधित सैल स्थापित करने का सवाल था । 26–8–71 का जो सवाल था उसमें कहा था कि सैल क्रिएट करने जा रहे हैं और यह बाद में कहा कि कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को आवश्यक सूचना शीघ्र भेजने को कहा गया है । श्रीमन् चार महीने तक इस संबंध में कुछ भी निपटारा नहीं हो सका ।

इसी तरह से मैं आपका ध्यान क्रम संख्या 139 की तरफ आकर्षित कर रहा हूं । सिंचाई विभाग में बड़ा गोलमाल है । 21–7–71 का प्रश्न माननीय नौनिहाल सिंह का था । वह इंजीनियरों के विरुद्ध आरोपों से संबंधित था । आपने कहा था कि यदि कोई दोषी पाया गया तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । कुल 15,375रु० का गबन हुआ है । इसके लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया गया है । दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्य-

वाही विचाराधीन है । मान्यवर, आप देखें कि एक तरफ तो गबन निश्चित और उत्तरदायित्व भी निर्धारित हो गया, दोनों चीजें हो गयीं लेकिन फिर भी सरकार के सामने मामला विचाराधीन है । यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्रीमन्, 140 को भी देख लें । गोदाम में अनियमितताओं की जांच । 18-6-71 को प्राप्त हुआ है और उसकी आडिट द्वारा जांच कराई जा रही है । 4-8-71 से 23-2-72 यानी करीब 6 महीने हो रहे हैं । सदन में कहा कि जांच और जब 6 महीने बाद समिति के सामने आते हैं तो भी अनिश्चित उत्तर दिया जा रहा है । प्रगति भी नहीं बतलाई जा रही है । छः महीने बाद भी गति वही रही । 143 में देखें । जिला बस्ती के बीच राप्ती नदी पर ठोकरों की मरम्मत में भ्रष्टाचार । अधिशासी अभियंता को जांच सुपुर्द कर दी गयी है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो जांच करायेंगे । अब कहते है कि बांछित सूचना मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ से मांगी गयी है। पहले यह भी नहीं कहते कि अधिशासी अभियंता ने जांच की तो वह क्या है । जब समिति के सामने अधिकारी आते है तो ऐसा लगता है कि वह बिलकुल ही अनुत्तरदायी रूप से आते हैं । वह कुछ जानते ही नहीं । यह अच्छा हुआ कि आपने सदन में इस पर चर्चा करवायी हम आपके आभारी हैं । लेकिन अगर इस मसले को यहीं छोड़ देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है । निश्चित रूप से बनाना पड़ेगा कि हो गया ।

जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा, आश्वासन समिति के नियमों का पालन नहीं हो रहा है । सदन को अगर ऐसा अधिकार न मिले कि इस प्रकार की उपेक्षा चाहे मंत्री की तरफ से हो या अधिकारियों की तरफ से हो तो उनके विरुद्ध कार्यवाही हो सके तब तक यह मामला रास्ते पर नहीं आयेगा । यह तो मंत्री लोग ही कर सकते है कि ऐसे कर्मचारियों को हटा दें और अगर हटायें भी न तो उनमें इतना ही भय हो जाय कि हम अगर ऐसी त्रुटि करेंगे तो हमारी चरित्र पंजिका खराब कर दी जायगी तो इससे भी इसमें गति आ जायगी और जो आश्वासन सरकार देती है उनका पालन होगा । आप अपराध अनुसंधान को लें । आपने कह दिया कि सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया । सी० आई० डी० ने जांच की तो वह सदन में नहीं आती । अगर यहां पूछते हैं तो कह देते है कि वह जांच गोपनीय है । हमारा सुझाव है कि जो सदन में आश्वासन मंत्री जी ने दिया कि सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया या अपराध अनुसंधान के सुपुर्द कर दिया, तो यह निश्चित हो जाना चाहिये, गोपनीय नहीं होना चाहिये । ज्योंही जांच की रिपोर्ट आये सदस्यों को वितरित कर दी जाती चाहिये । अगर ऐसा हो जाय तो आश्वासनों की पूर्ति हो सकती है और सदन का कार्य सुचारूरूप से चल सकता है और भ्रष्टाचार रुक सकता है।

मेरा सुझाव है कि गबन और भष्टाचार के म मामलें में निश्चित अवधि हो जाना चाहिये, क्योंकि इससे सारे विकास के कार्य रुक रहे हैं । यह निश्चित अवधि में कार्यवाही हो जाना चाहिये और कम से कम मैं कहता हूं कि अगर आप आश्वासन देते हैं किसी सदस्य के प्रश्न करने पर, तो आप जो उसको सूचना भी देना चाहिये, ऐसी व्यवस्था हो जाय, तो मैं समझता हूं कि हम लोगों का काम हल्का हो जावेगा और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ ही कार्यवाही कराने में समर्थ हो सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इस पर क्या कहेंगे, यह तो बहुत ज्यादा स्पष्ट है ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

मैं यह कहना चाहता हूं कि आश्वासन की क्या स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आश्वासन से तो साफ है, आपको मैंने रोका नहीं है, लेकिन आप लोग एक-एक दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें, क्योंकि इसके अतिरिक्त एक और आश्वासन समिति का प्रतिवेदन है, उस पर चर्चा पर बिलम्ब लग सकता है । उस पर कई लोग बोलना चाहते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

इसके आश्वासन का कोई ठिकाना तो है नहीं और जो यह बहस हो रही है उसके बारे में उधर से कोई मंत्री खड़ा होकर कह दे । हम लोग चार्जेज़ लगाते हैं लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने के समान होते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको अगर बोलना नहीं है, तो मंत्री जी को बुलवाऊंगा । आप कह दें तो मैं कहूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अभी कल तो मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि इंजीनियर्स ने हड़ताल वापस कर ली । वित्त मंत्री ने क्या क्या पढ़ना शुरू कर दिया कि यह हो गया है और उधर विद्युत् अभियंताओं ने फिर हड़ताल रिज़ूम कर ली है, तो इस झूठी सरकार से क्या उम्मीद आप करते हैं । इससे तरक्की क्या होगी । सुबह से शाम नहीं हुई है, फिर विद्युत् अभियंताओं की हड़ताल शुरू हो गई है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

इसमें अनेकों हत्यायें हो जायेंगी ऐसी स्थिति पैदा कर लेंगे । यह काबू में नहीं रख सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो प्रतिवेदन आपके समक्ष है, तो जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं दो-दो मिनट में बोल दें ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है । मैं आपकी मर्यादा बढ़ाने के लिये यह उदाहरण रखना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मर्यादा बढ़ाने की बात नहीं है । अगर माननीय सदस्यों की मर्यादा स्थिर रहेगी तो सभी की रहेगी ।

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

हम तो रखते रहे हैं । आप देखें कि 82 पृ० पर 47 वां आइटम है--नगरपालिका, शिकोहाबाद के निर्वाचित अध्यक्ष मंशाराम गुप्त, सदस्य विधान सभा को राज्य सरकार द्वारा शपथ लेने से रोकना इसके संबंध में जब इस सद में 18-8-71 को प्रश्न उठा तो आप इसी आसन पर विराजमान थे और आपने कहा कि "इससे मुझे भी संतोष नहीं और इसके बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत है, मंत्री जी इस मामले को देख लें।" आज डेढ़ वर्ष के करीब हो रहे हैं लेकिन मंत्री महोदय ने नहीं देखा और जो मंत्री महोदय अभी टोक रहे थे उनसे ही संबंधित स्वायत्त शासन विभाग का मामला है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उपाध्यक्ष—

मुझे ठीक याद नहीं पड़ता, लेकिन स्मरण है कि मंत्री जी ने इसके बारे में यह कहा था·····

·····(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर आज न हो सकें, क्योंकि इंजीनियर्स ने फिर से एजीटेशन शुरू कर दिया तो कल हो हों ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

आप देखें श्रीमन्, कि आपके द्वारा ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया । वहीं आप देखें कि पृ० 91 पर 71 वां आश्वासन है कि गादपुर, जिला नैनीताल की भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा जो किया गया है उसकी जांच कराने के संबंध में मंत्री जी ने आश्वासन दिया । अब अवैधानिक रूप से सरकार की भूमि पर कब्जा है और उसका भी नोटिस सरकार ने नहीं लिया और आश्वासन समिति को नहीं बता सके । इस प्रकार की बातें प्रशासन के द्वारा हुई वहां पर मंत्रिमंडल के द्वारा भी जिन विषयों पर विचार किया जा सकता था वह नहीं किया गया । जैसे शराब की दूकानों के नीलाम के संबंध में आश्वासन दिया कि विचार किया जायगा लेकिन कई वर्ष से नोटिस भी मंत्रिमंडल ने नहीं लिया । शासन में बैठे हुए मंत्री भी इस बात को नहीं देखते कि उनको कौनसी चीज पूरी करनी है और करनी चाहिये । इसी प्रकार की यदि आश्वासन की परिपाटी रही तो सरकार के ऊपर से विश्वास जो आज कम हुआ है वह समाप्त भी हो सकता है।

एक बात अंतिम कहना चाहता हूं । जहां पिछले वर्ष के गृह विभाग से संबंधित मामले 33 थे उनमें 23 मामले सी०आई० डी० के विचाराधीन हैं । सी०आई०डी० विभाग को जो जांचें दी जाती हैं उनकी अवधि बहुत ज्यादा होती है जिससे जनता के अन्दर जो पुलिस के प्रति अविश्वास और सी०आई० डी० के प्रति विश्वास होता है कि समय से जांच हो जायगी उसमें कमी होती जा रही है । यह शासन का उत्तरदायित्व है कि सी०आई०डी० विभाग को जो जांच दी जायं उनमें निश्चित अवधि भी देनी चाहिये जिससे जनता में शासन के प्रति विश्वास जाग्रत हो । इन शब्दों के साथ में सरकार से कहना चाहता हूं कि आश्वासन जो सरकार देती है इस सदन में और आश्वसन समिति के लिखने के बाद संबंधित विभाग उन विषयों पर कार्यवाही नहीं करता है बल्कि सहायता के स्थान पर विपरीत व्यवहार करता है तो उस संबंध में क्या किया जाय ? इस पर तो सदन को संकल्प लेना चाहिये । मैं तो कहूंगा कि आश्वासन समिति के अध्यक्ष ने जिस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जनता के हित और अनुत्तरदायित्वपूर्ण अवहेलनात्मक प्रशासनिक नीति की खुली स्थिति को सदन के सम्मुख रखने का उन्होंने प्रयास किया है ।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आश्वासन समिति के अध्यक्ष के द्वारा और विरोधी दलों के नेताओं के द्वारा यदि नेता सदन चाहते हैं, तो ठीक है लेकिन गैर सरकारी दिन में इस प्रकार प्रस्ताव लाना चाहिये कि सरकार को बाध्य करना चाहिये कि यदि सभी विषयों में दिये हुए आश्वासन तीन महीनों में पूरे नहीं होते तो उन अधिकारियों को खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार आश्वासन समिति को दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ।

*श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

आश्वासन समिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है और उसके अध्यक्ष और अन्य माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि जिन पर आश्वासन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिव कुमार पांडेय]
दिये गये उनमें बड़ी संख्या ऐसे आश्वासनों की है जिन पर नोटिस नहीं दी गयी । इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है ? जो आश्वासन दिया जाता है, वह केवल उस मंत्री का नहीं, अपितु पूरे सदन का हो जाता है । जो अधिकारी उस आश्वासन की पूर्ति न करे, उसके लिये यह कहना कि उसने इस माननीय सदन की अवमानना की है, तो यह बात अनुचित न होगी । मान्यवर, आप प्रश्नों के समय में देखते हैं कि जब माननीय मंत्री महोदय आश्वासन देते हैं तो सारी निराशा खत्म हो जाती है और आशा बंध जाती है कि अब यह काम पूरा हो कर रहेगा । लेकिन यह आश्वासन पूरे न हो, इससे बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है । तो मान्यवर ये आश्वासन पूरे कैसे किये जायं ? अगर यही गति रहेगी तो आश्वासनों की स्थिति वैसी ही रहेगी ।

आजकल कहीं सुनने में नहीं आया कि मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन दिया और उसकी पूर्ति समय के अन्दर न हुई तो उस गैरजिम्मेदार अधिकारी दंडित किया गया हो । दंडित करना तो दरकिनार, उनके करेक्टर रोल में इंटरी तक का कोई खतरा नहीं होता । आप एक कल बना दें इस विधान सभा में और अधिकारी चाहें तो उसे फेल कर दें । 425 एम० एल० ए० मिलकर कानून बना दें, कि खेत उसका जिसका कब्जा हो । लेकिन अगर लेखपाल कब्जा दूसरे का लिख देता है, तो हाई कोर्ट तक आपकी बात मान्य नहीं । यही आश्वासन का हाल है। इसमें एक चीज यह हो जाय तो ज्यादा अच्छा हो कि एक आश्वासन मंत्री बना दिया जाय जिसके केवल यही काम हो कि वह देखे कि आश्वासन पूरे हुए कि नहीं और उस विषय में सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हों, वह इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर सके और गैर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कर सके । मान्यवर, कुछ दिन पहले इस सदन में आश्वासन मन्त्री कहा जाता था । आश्वासनों के प्रति पूरी जिम्मेदारी उस मंत्री के जिम्मे कर दी जाय । या फिर आश्वासन समिति को ही इतना शक्तिशाली बना दिया जाय कि यह प्रत्येक विभाग को आदेश दे सके और अवहेलना करने वाले अधिकारी को दंडित भी कर सके ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—
मान्यवर, माननीय शिवकुमार पांडेय जी को आश्वासन मंत्री बना दें ।

श्री शिवकुमार पांडेय—
उसके लिये धन्यवाद कि हमारे माननीय मित्र हमें उसके योग्य समझ रहे हैं ।

हम सदन के लिये काम कर रहे हैं । सरकारी पक्ष वालों को भी आश्वासन मिलता है और विपक्ष वालों को भी आश्वासन मिलता है । जब आश्वासन पूरे नहीं होते तो सभी सदस्यों को तकलीफ होती है । काम विरोधी पक्ष का नहीं, अपनी सरकार की मर्यादा बढ़ाने का काम कर रहा हूं । जो भी आश्वासन हों, वे पूरे हो जायं।

मान्यवर, एक-दो सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । मैं चाहूंगा कि हमारे इस सुझाव को मान लें और एक आश्वासन मंत्री बना दें । या फिर आश्वासन समिति को ही इतना सक्षम बना दें कि वे उनको पूरा कराये ।

श्री उपाध्यक्ष—
आश्वासन समिति को अधिकार हो, यह आपकी नीति है । क्या आप माननीय सदन से अपेक्षा करते हैं ?

श्री शिव कुमार पांडेय—
माननीय सदन भी व्यवस्था करे—प्रस्ताव आय ।
(श्री पारस नाथ सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—
आश्वासन समिति के आगे और भी कार्य हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

एक तो इनके आश्वासन पर सड़क पर रो रहे हैं ।

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

हम तो माधव जी का प्रसाद प्राप्त करते रहते हैं--जो मिल जाये । माननीय सदस्यों ने इस आश्वासन समिति के 38वें प्रतिवेदन में अपने जो सुझाव दिये हैं मैं उनके लिये बहुत आभारी हूं । सर्व प्रथम मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते मैं अपना यह कार्य समझता हूं इस सदन की ओर से आश्वासन समिति के सम्मानित अध्यक्ष और सम्मानित सदस्यों को हार्दिक बधाई दूं । उन्होंने अपना कार्य अच्छी तरह से--सुसम्पादित किया है और इस सदन में दिये गये आश्वासनों के लिये जो प्रयास करना चाहिये था उस प्रयास के करने का पूरा पूरा प्रयास किया है । मुझे आशा है कि आश्वासन समिति के विद्वान अध्यक्ष और सम्मानित सदस्य भविष्य में भी इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और इस दिशा में जो--त्रुटियां कहीं रह जाती हैं इधर उधर उनको दूर करने के प्रयास में इस सदन की ओर से हमारी सहायता करेंगे ।

श्रीमन्, इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 2 में अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि 40.9 प्रतिशत आश्वासनों की पूतियां विभागों द्वारा हुयी हैं । इस वर्ष 252 आश्वासन थे । इनमें से 81 पुराने थे और 153 अपूर्ण माने गये तथा 99 आश्वासन पूर्ण माने गये । तो इस प्रकार 40.9 प्रतिशत आश्वासनों की पूर्ति हुयी । श्रीमन्, इसमें एक बात यह देख ली जाये कि सन् 1971 में 4 महीने पानी 4 अप्रैल तक एक सरकार रही और 4 अप्रैल के बाद से दूसरी सरकार आयी । मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि सरकारें समय-समय पर बदलीं हैं बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि मंत्रिपरिषद् के चुने हुये सदस्यों को जितना अवसर मिलना चाहिये था राजनीतिक कारणों से वह उन्हें मिल नहीं सका । अब इस बात का प्रयास आप सब के सहयोग से हुआ है--पिछले 1 3/4 सालों में आश्वासनों की पूर्ति हो । अगर आप पुराने आश्वासनो को देखेंगे तो इतना प्रतिशत नहीं मिलेगा । मैंने इस बात की कोशिश की थी कि मैं सही प्रतिशत के आंकडे प्राप्त कर सकूं । लेकिन एक बात है कि यह प्रतिशत सुधरा है--पहले शायद 40 प्रतिशत का औसत भी नहीं था ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--

पहले तो प्रतिशत 60 था, 40 से कम का आधार आपका क्या है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आप सही कह रहे हैं, यह जानकारी विभाग में नहीं है, यह मामला तो इतना छोटा था कि जो 2-4 या 15 दिन में समाप्त हो सकता था ।

मैं आपकी आलोचना करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं । आप हमारे सहायक हो, हम आपके सहायक हैं । इस दृष्टि से कह रहा हूं । रफ्तार में थोड़ी सी तेजी आयी है क्योंकि बार-बार विभागीय सचिवों को तलब किया गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं आप ही को बधाई दे रहा हूं । अपने लिये नहीं कह रहा हूं । आश्वासन समिति का तो मिलाजुला मामला है । प्रतिशत बढ़ा, आश्वासनों की पूर्ति अधिक हुई । इसमें तो आश्वासन समिति को स्वयं अधिकार है और आपने उसका प्रयोग किया । आपने अपनी रिपोर्ट में ही लिखा है कि, "इस स्थिति को ध्यान में रखकर समिति ने यह निश्चय किया है कि अपूर्ण आश्वासनों से सम्बन्धित विभागों को उनकी पूर्ति हेतु 7 से लेकर 15 दिन का समय देकर एक अवसर और दिया जाय । इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं, आपने खुद ही निर्णय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लिया । "यदि इस बीच आश्वासन की पूर्ति नहीं होती तो विभागीय सचिव को समिति के समक्ष बुलाकर इसके बारे में वस्तुस्थिति ज्ञात की जाय । तदनुसार गृह, सिंचाई, विद्युत, वित्त, परिवहन, राज्य सम्पत्ति तथा सार्वजनिक निर्माण विभागों के सचिव समिति के समक्ष विभिन्न तिथियों में साक्ष्य हेतु उपस्थित हुये । फलस्वरूप इन विभागों में कुछ चेतना अवश्य आई है ।" समिति ने इस बात को कृपा कर के व्यक्त किया इस प्रतिवेदन में । जब समिति ने "कुछ चेतना" कहा तो इसका निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि चेतना आयी है । और यह चेतना 71 में ही आ गयी थी ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, कल जो इन्होंने आश्वासन दिया था उसका आज क्या किया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

मैं तो इसमें भी सहयोग आपका चाहता हूं । आगे इसमें लिखा है, विभागीय सचिवों ने भी समिति के समक्ष खेद प्रकट करते हुये यह आश्वासन दिया कि भविष्य में सचेत रहेंगे । समिति आशा करती है कि राज्य सचिवालय के विभाग अपने उच्चस्तरीय अधिकारी द्वारा समिति को दिये गये वचन का पालन करेगें । यह बहुत अच्छी संस्तुति है और मैं भी समिति के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं और मुझे विश्वास है कि सरकार का इस प्रकार का निर्देश है कि जो भी इस प्रकार के वचन समिति को दिये गये हैं उनका अनुपालन किया जाय ।

एक आग्रह मैं जरूर करूंगा । इसमें एक व्यवहारिक कठिनाई विभागों को होती है । प्रत्येक मामले में नहीं, कुछ मामलों में हो सकती है । कभी कभी ऐसी स्थिति आती है सदन में कि अगर किसी ने प्रश्न किया और उसमें बिल्कुल नयी बात सामने आयी तो मंत्री जिसके पास कोई तथ्य न भी हो तब भी यह उचित समझते हैं कहना कि हम इस पर विचार करेंगे । उसके बाद तथ्यों का निरूपण शुरू होता है । और फिर विचार करने के दो पहलू होते हैं । विचार में यह नहीं होता कि हमेशा 'हां" ही कहेंगे प्रयास होता है "हां" कहने का लेकिन कभी-कभी "न" भी कहा जाता है । तो जब यह कोशिश होती है कि "न" न कहें तो देर हो जाती है । जब सदन में यह कहा गया कि विचार कर रहे हैं तो फिर "न" कहना जरा कठिन होता है । इस प्रतिवेदन में भी आपने देखा होगा कि इसमें वर्ग 1 तथा वर्ग 2 में ऐसे आश्वासनों की सूची है जिन्हें समिति या तो जारी रखना उचित नहीं समझती या किन्ही कारणों से उनकी पूर्ति मान ली है और उन पर विचार जारी रखना उचित नहीं समझती । उसमें कई आश्वासन ऐसे भी हैं जिनमें विभागीय कठिनाइयों को समिति ने समझा है ।

अब दो तीन विषय ऐसे हैं जिनके बारे में मैं अलग से कुछ निवेदन करना चाहता हूं । अध्यक्ष जी ने भी स्वयं अपने नोट में उनको अलग से लिखा है । एक आश्वासन एनरोलमेंट स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने के बारे में था । वह मान्यवर सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन था । सर्वोच्च न्यायालय ने बार काऊंसिल की अपील को निरस्त कर दिया है और यह माना है कि राज्य सरकार को यह ड्यूटी बढ़ाने का अधिकार है । किन्तु मान्यवर, इसी बीच में सरकार ने एनरोलमेन्ट स्टैम्प ड्यूटी को 500 रु० से घटाकर 250 रुपया करने का निर्णय ले लिया था ।

एक आश्वासन मैंने 1971-72 के अपने बजट भाषण में यह दिया था कि मेरठ मेडिकल कालेज में फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स के लिये नया केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है ।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, स्टैम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में 3 अगस्त, 1971 को सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में । तो इतनी देर क्यों लगायी गयी

प्रश्न तो यह था । प्रश्न यह है कि आश्वासन तो आप बड़े-बड़े दे देते हैं, मगर उसकी पूर्ति में इतना बिलम्ब क्यों होता है । बिलम्ब होने से आश्वासन का मतलब ही खटाई में पड़ जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह प्रश्न न्याय विभाग में जाता था, तो वहां से वित्त विभाग में आता था फिर वित्त विभाग से न्याय विभाग में जाता था । वहां से उत्तर दिया जाता था । यदि सीधे यह वित्त विभाग में भेजा जाता तो उत्तर में इतना समय न लगता । यह वित्त विभाग का आश्वासन था ।

अब जहां तक दूसरे आश्वासन का प्रश्न है मेरठ कालिज में फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स खोलने का, तो श्रीमन्, इस सम्बन्ध में समिति ने आश्वासन की पूर्ति मान ली है । इसके खोलने के लिये आदेश भी दिसम्बर, 1972 में हो गये थे । आश्वासन समिति ने कृपा करके पिछली वर्ष किसी समय इस आश्वासन की पूर्ति मान ली । मैं उनका बड़ा अनुगृहीत हूं । अब जहां तक आगरा कांड की बात है, इसमें एक बात देखने में यह आई कि इसकी सूचना समिति ने जो मौके पर निरीक्षण किया शासन को नहीं दी । जो समिति ने मौके पर निरीक्षण किया तो समिति ने यह उचित समझा कि सीधे ही स्थानीय अधिकारियों का साक्ष्य लेकर उनसे सूचना मांग लें । शासन को अभी इसकी सूचना की कापी नहीं मिली और जो आश्वासन समिति ने लिखा वह भी यहां प्राप्त नहीं हुआ । इसलिये शासन को यह पता नहीं था कि यह प्रश्न जिलाधिकारियों से आश्वासन समिति ने सीधे पूछा है । जो भी रिपोर्ट समिति की यह आई है उससे ही इस बारे में पता चला अब शासन उनसे मालूम करेगा कि इस आश्वासन की पूर्ति हुई है या नहीं ?

(इस समय 2 बजकर 52 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रियासत हुसैन पीठासीन हुये ।)

क्या स्थिति है और यदि पूर्ति हुई है तो उसमें बिलम्ब क्यों हुआ, उसका क्या कारण है ? अब एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि समिति यह निर्देश देना उचित समझे तो वह करे, इसे देख ले कि कृपा करके जिलाधिकारी या जिलाधिकारियों से यदि वह सीधे सूचना मांगते हैं तो उसकी प्रतिलिपि यहां भी सम्बन्धित विभाग को भेज दिया करें, तो बड़ा अच्छा होगा ।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)--

इस आश्वासन के दो पहलू थे, एक तो यह था कि जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी, और दूसरा आश्वासन का यह पहलू है कि उनके अधिकारियों को दंड दिया जायेगा । अब यह हुआ कि 28 हजार का शासन ने दिया लेकिन जो दोषी कर्मचारी हैं, उन्हें आपने कुछ नहीं किया । बल्कि यह किया कि दोषी कर्मचारियों को, जिनको आपने मुअत्तल कर दिया था, फिर बहाल कर दिया और उनकी पदोन्नति कर दी । यह आश्वासन समिति को दिये गये आश्वासन के खिलाफ है । सरकार ने आश्वासन अपना तोड़ दिया । जो इसमें इन्वाल्वड थे-- एक इंस्पेक्टर और 4 सब इंस्पेक्टर उनको सरकार ने कोई सजा नहीं दी, बहाल कर दिया और पदोन्नति भी कर दी । यह आश्वासन ठीक विपरीत किया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं बड़ा आभारी हूं, परिहार जी ने इस घटना चक्र के बारे में उल्लेख कर दिया । मैं, वैसे रिपोर्ट के पृष्ठ 6 पर जो है उस पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

प्रतिलिपि भेजने के बारे में जो मंत्री जी ने कहा है, उस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं, जब हम वहां गये थे, उस वक्त यदि उत्तर न दिया जाता, समय मांग लिया जाता तो बात

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]
समझ में आ सकती थी । क्योंकि यह अधिकारियों की आदत हो गई है वे वही कागज लेकर आते हैं जो उनके अनुकूल हों और जो उनके विपरीत होते हैं, वे कागज और पत्रावलियां वे साथ नहीं लाते हैं । यदि वह उस वक्त उत्तर न देना चाहते, तो लिखने की आवश्यकता पड़ती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--
कोई बात नहीं मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा हूं । जो मैंने कहा है उस पर आप विचार कर लें और यों आप चाहे तो सीधे मंगा लें । आपका अधिक समय न लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा संसदीय कार्य विभाग और प्रत्येक विभाग जो है उसका बराबर यह प्रयास रहता है कि हम जो आश्वासन सदन में देते हैं उनकी यथाशीघ्र भलीभांति पूर्ति की जाये । मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि भविष्य में जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है आश्वासनों की शीघ्र पूर्ति हो ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--
आज सदन में माननीय विद्युत मंत्री जी ने सदन को इत्तिला दी थी कि अभियन्ता जो हायडिल के हैं उनकी हतड़ाल खत्म हो चुकी है और वह लोग कल परसों अपनी-अपनी जगह पंहुच कर कार्य भार ग्रहण कर लेंगे और कार्य सुचारु रूप से शुरू हो जायगा यह उन्होंने गलत इत्तिला दी है, मैं इसके लिये उनके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन देता हूं, क्योंकि सभी इंजीनियर अभी तक हड़ताल पर हैं और माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार गलत बयानी की है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--
यह मैंने नहीं कहा जो माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल--
माननीय सदस्यों ने आश्वासन समिति की रिपोर्ट पर जो विचार प्रकट किये उस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या होगी माननीय मंत्री जी ने उस पर अपने कोई विचार प्रकट नहीं किये कि आश्वासन समय से पूरा न होने पर शासन कौन-सी कार्यवाही विभागीय अधिकारी के खिलाफ करेगा ?

दूसरे मामले अधिकतर सी० आई० डी० को दे दिये जाते हैं । 35 में से 24 मामले सी० आई० डी० को दे दिये गये और वर्षों उसमें लग जाते हैं । क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सी० आई० डी० को जो मामले दिये जायं उनमें समय की अवधि बांध दी जाय ?

श्री अधिष्ठाता--
माननीय मंत्री जी ने उत्तर देते हुए यही विश्वास सदन को दिलाया है कि जो वह मुनासिब समझेंगे ऐसे मामलों में कार्यवाही वह करेंगे । अगर कोई कमी फिर भी आती है तो यह सदन मौजूद है उस पर विचार करने के लिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--
क्या किसी आश्वासन पर भी आश्वासन दिया जा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता--
पहली दफा जहां आश्वासन समिति की रिपोर्ट पर बहस हुई है । लिहाजा उस पर आश्वासन दिया जाना जरूरी था आगे को इन आश्वासनों की पूर्ति कैसे की जायगी यह अब आगे की बात है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मंत्री जी ने बहुत मधुर भाषा में मेरी बात का जवाब दे दिया । जो उदाहरण मैंने दिये उस पर वह कहते कि पूर्ति होगी । 7,8 वर्ष हो गये जिनकी पूर्ति नहीं हुई। इस कारण उनको हमने समाप्त कर दिया क्योंकि उनका मतलब ही फौत हो गया था । इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई ? सी० आई० डी० में जो मामले सुपुर्द किये जाते हैं और उनमें इतनी देरी होती है इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा । वित्त विभाग में बहुत से मामले हैं जिनको एक्सपेडाइट नहीं किया गया । अब इंस्ट्रक्शंस वह जारी करेंगे इस पर भी कुछ नहीं कहा गया । यह तरीका आगे को वह अख्तियार करेंगे जिससे आश्वासनों की पूर्ति में गड़बड़ी न हो इसके सम्बन्ध में भी कुछ नहीं कहा । इसका मतलब यह हुआ कि आश्वासनों के प्रति नेकनीयती जाहिर करने में उन्होंने संकोच प्रकट किया ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद आशा यही की जाती है कि आगे आश्वासनों की पूर्ति होगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आज दिन बहुत खराब है । वह आश्वासनों में सीरियस नहीं रहे जैसे इंजीनियर्स के मामले में हो गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

आश्वासन समिति के अध्यक्ष होने के नाते जो निर्देश उन्होंने विभागों को दिये हैं वह मेरी ओर से ही दिये गये हैं ।

वीरभद्र सहकारी समिति, देहरादून को दी गयी भूमि का भूमिहीनों में वितरण संबंधी आश्वासन पर आश्वासन समिति के छठें विशेष प्रतिवेदन पर चर्चा

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, यह वीरभद्र सहकारी समिति, देहरादून को दी गई भूमि का भूमिहीनों में वितरण सम्बन्धी आश्वासन पर आश्वासन समिति का जो प्रश्न है वह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है । मान्यवर, यह एक ऐसा उदाहरण है जिससे दो चीजों का पता चलेगा । सरकारी अधिकारी लोगों से मिलकर किस प्रकार से इस सहकारी समिति का महत्व खत्म करते हैं, कैसे ये लोग कुछ इन्टेरेस्टेड व्यक्तियों का साथ देते हैं, और कैसे ये लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं यह इससे पता चल जायेगा । यह वीरभद्र सहकारी समिति, देहरादून की स्थापना सन् 1950 में हुई थी । एक सोशल कार्यकर्त्री मीरा बहन ने इसकी स्थापना की थी और उसका उद्देश्य यह था कि भूमिहीन कृषकों को भूमि देना, हरिजनों को भूमि देना और सहकारिता के आधार पर खेती कराना, क्योंकि इन लोगों के पास अपनी जीविकोपार्जन का कोई अन्य साधन नहीं था और इस तरह से वे अपने लिये रुपया पैसा जुटा सकें । इस पर कुछ कंडीशन्स भी लगा दी गई थी कि भूमि का ट्रांसफर नहीं होना चाहिये और भी अनेकों शर्तें उसमें लगाई गई थीं । कुछ दिन बाद यह पता चला कि जो भी महत्व इस सहकारी समिति का था वह भी समाप्त हो गया ।

हरिजनों के अलावा बड़े-बड़े लोग उसमें घुस करके खेती करने लगे । उसके सम्बन्ध में माननीय शिवानन्द जी नौटियाल ने एक प्रश्न किया था कि क्या जिस उद्देश्य से यह सहकारिता समिति कायम की गई थी वह पूरा हो गया ? सरकार से इसका उत्तर आया कि भूमि का वितरण समिति के सदस्यों में ही हुआ और वह भूमि हरिजनों और भूमिहीनों को दे दी गयी । उस पर माननीय इन्द्रमणि बड़ौनी ने खड़े होकर कहा कि यह सब गलत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

है क्योंकि उनको इस बात की व्यक्तिगत जानकारी है कि बड़े-बड़े लोगों में वह जमीन बंटी है और हरिजनों के हाथ से खेत निकल गये हैं तथा सहकारिता के आधार पर वहां पर खेती नहीं हो पा रही है । इससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारी लोग आपको कितना गुमराह करते हैं । जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया । इसके कोई एग्रिकल्चर के कमिश्नर हैं उन्होंने जवाब दिया कि जिन लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज हैं, जिनके पास कहीं भूमि नहीं है भूमिहीन हैं, उनको भमि दी गई । उन लोगों की संख्या केवल 39 है और 900 रुपये से अधिक उनकी आमदनी नहीं है । यह उनका अनुत्तरदायित्वपूर्ण जवाब था । इस पर जांच शुरू हुई ।

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया कि सन् 1950 में इस सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, 17 वर्ष के बाद इस सहकारिता समिति के कार्यकलापों के बारे में जांच प्रारम्भ हुई । जांच में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह भूमि शासन द्वारा ही दी गई है । उनका यह जवाब बिलकुल गलत था । भूमि दी गई थी फारेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा और उसमें यह भी लिखा गया था कि दो सौ एकड़ भूमि पशुओं के लिये भी छोड़ी जायेगी । जब यह मामला आश्वासन समिति के सामने आया तो समिति ने साक्ष्य लिया । समिति मौके पर गई, वहां जाकर पूछने पर पता चला कि जिस वक्त शेयर हस्तांतरित हुए उस वक्त लगभग 30 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन बंटी ।

मान्यवर, वहां लोगों से पूछने से पता चला कि 30 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से यह जमीन बिक सकती है । उसमें जो बहुत विचारणीय विषय है वह यह कि इसमें दो पार्टियां संबंधित थीं । एक कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और दूसरा फारेस्ट डिपार्टमेंट । जो शासन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जवाब आया है वह गलत था । दरअसल यह जमीन दे दी फारेस्ट डिपार्टमेंट ने और कुछ शर्तों के अधीन दी और वे शर्तें यह थीं जिनके आधार पर यह बतलाया गया है कि सहकारी समिति को दिया गया । जब रिपोर्ट मांगी गई तो आप विश्वास करें, वहां जाने पर जो पता चला वह यह कि हरिजनों की संख्या जो 39 थी वह घटाकर 8 कर दी गयी यानी कुल सदस्यों की संख्या का हरिजनों की संख्या 1/5 रही । तो उद्देश्य का उल्लंघन यह हुआ है कि हरिजनों से संबंधित जो समिति बनी हुई थी वे तो उसमें रह नहीं गये और उस जमीन को ट्रांसफर करने का एक आधार बना लिया गया कि उनके ऊपर कर्जा इतना चढ़ गया था और बिना कर्जा दिये हुए वे त्याग-पत्र नहीं दे सकते थे इसलिये त्यागपत्र दे दिया है क्योंकि वे खेती करने के लिये साधन नहीं जुटा सकते हैं यह बात गलत है । बड़े-बड़े आदमियों के हक में ये हिस्से ट्रांसफर कर दिये गये । वहां के संबंधित एस० डी० ओ० ने जो रिपोर्ट दी है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं । यह अंग्रेजी में है जो इस प्रकार है:—

"The land was not to be transferred by sale but with the connivance of the Members of the Executive Committe of the Society, the land was sold in the grade of shares of the amount ranging from 10,000 to 30,000 per share. This resulted into diminition of Harijan members in the society and inclusion of big business magnates of Dehra Doon and Rishikesh like Sri Jai Narain Gupta of Commercial Motors, Dehra Doon.

इसी बात को नायब तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16 मार्च, 1971 में और अधिक स्पष्ट किया, जो उन्होंने एस०डी०ओ०, देहरादून को भेजी थी । यह इस प्रकार है :

Though the land was not transferable by sale but the provisions of the rules were circumvented with the connivance of members of the Executive Committee. The land of the shares was openly sold for amounts ranging from Rs. 10,000 to Rs. 30,000/- per share. The bargains were struck and the

amounts were paid behind the back. The members selling the land surrendered his share to the society and the Executive Committee enrolled the purchaser as its member alloting the same land to him presumably for some personal gains. The Executive Committee overlooked the qualification of being landless agricultural labourer and in 2 cases even high business magnates of Dehra Doon, who are partners of the firm Messrs Commercial Motors and who were in fact purchasers of the land were enrolled as members on the plea that they had no land in their names and were thus landless.'

जांच रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि—

The word "Sell" has been used at many places in the proceedings book for such transactions but the Co-operative staff too remained a silent spectator to such illegal activities.

मान्यवर, दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों को उन हिस्सों को हस्तांतरित किया गया जिनके बारे में पता चला कि वे लाखों रुपया प्रतिवर्ष इनकम टैक्स देते हैं और एग्रीकल्चर कमिश्नर ने कहा कि सम्भवतः उनकी आमदनी 900 रुपये से कम होगी । यानी किस हद तक बड़े से बड़े अधिकारी द्वारा इनकी रक्षा करने की कोशिश की जा रही है । जिनको हरिजनों के इंटरेस्ट को ओवरलुक करके उनका हिस्सा ट्रांसफर कर दिया गया है । दूसरी बात यह है कि कमर्शियल मोटर्स का नाम लिख दिया गया है और उस चीज को पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है और हरिजन होने का कहीं जिक्र नहीं है । कामर्शियल मोटर्स कम्पनी का नाम लिखकर कानूनी अड़चन को दूर करने की कोशिश की गयी है । दूसरी बात यह है कि मैंने देहरादून में जाकर देखा कि हरिजनों के इस्तेमाल के लिये जो जमीन थी उसमें प्राइवेट आदमियों के ट्रैक्टर्स खड़े थे । इस तरह से सारे नियमों का उल्लंघन किया गया । जब कि अपेक्षा यह थी कि हरिजनों के लिये वे जमीनें दी जायेंगी । जैसा कि बताया गया था कि दस-दस हजार रुपया शेयर्स का दिया गया तो इन्होंने खेती के यंत्र क्यों नहीं खरीदे ? लेकिन इनको इतना रुपया नहीं दिया गया बल्कि किसी तरह से थोड़ा बहुत रुपया देकर उनके नाम की जगह पर अपना नाम करा लिया गया क्योंकि उस समिति की एक्जीक्यूटिव कमेटी उन लोगों से मिल गई थी । मांगने पर प्राइमरी मेम्बरों का रजिस्टर नहीं दिया गया, आडिट रिपोर्ट नहीं दी गई और हिसाब-किताब दिखाने के लिये कहा गया तो वह नहीं दिखाया गया ।

मान्यवर, कोआपरेटिव सोसाइटी सबसे बड़ी दोषी थी और उन व्यक्तियों के डिजाइन्स को सफल होने में सहायक थी और उसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी के अधिकारी उनके सहायक हुए । 1950 में यह संस्था कायम हुई और 1971 तक इसकी कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई । जब आश्वासन समिति के वहां जाने की बात आई तो जांच-पड़ताल शुरू की गई । मैं जानना चाहता हूं कि वे अधिकारी जिनका आडिट करने का कर्त्तव्य है उन्होंने इस समिति का आडिट क्यों नहीं किया ? यदि इसका आडिट किया गया तो आडिट करने वालों ने संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट क्यों नहीं की ? मैंने उच्च अधिकारियों को बुलाया तो मुझे यह जवाब दिया गया कि वे बदल गये और जो अधिकारी उत्तर दे सकते थे वे नहीं आये और संबंधित कागजात भी नहीं लाये गये । एक भी कागज इस सहकारी समिति से संबंधित उपलब्ध नहीं हो सका जिनके आधार पर मैं यह कह सकता कि अमुक समय था यह मेम्बर था। जो हरिजनों के लिये जमीन ली गई थी उसको हरिजनों को न दे करके बड़े-बड़े सेठ, साहूकारों को दे दी गई ।

दूसरी बात यह है कि इस सहकारी समिति ने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया । किसी सरकारी अधिकारी ने भी चिन्ता नहीं की । फारेस्ट डिपार्टमेंट ने इस जमीन को दिया था इस समिति को और इस विभाग ने 17 वर्ष के डीड एक्जीक्यूट कराया । उन में जो शर्तें थीं

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

उनको कभी नहीं देखा कि उनका पालन होता है या नहीं । उनके अधिकारियों ने यदि कभी जांच की होती और अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट की होती तो इसका डीड कैंसिल कर दिया गया होगा । इसलिये कि जिस उद्देश्य से यह जमीन समिति को दी गई थी वह उद्देश्य ही खत्म हो गया और उन शर्तों का उल्लंघन हो रहा है । सरकार को आज तक पता नहीं है कि यह गड़बड़ी हुई है । सरकारी अधिकारियों ने उनकी रक्षा की जिन्होंने हरिजनों को बहला कर किसी तरह से उनसे जमीन ले ली ।

आज इस एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिस उद्देश्य के लिये यह समिति कायम की गई थी, उसके उद्देश्य को डिफीट कर दिया गया और सरकारी अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया । एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमें इन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम उठाया गया हो । रिपोर्ट बन गई लेकिन आज तक यह समिति भंग नहीं की गई । मैं यह कहना चाहता हूं कि फारेस्ट विभाग को इस जमीन को ले लेना चाहिये था । इस समिति को भंग करने के उन आदमियों को दंड दिया जाय चाहिये जिन्होंने इस समिति के उद्देश्य को खत्म कर दिया और फिर से इस जमीन को लेकर हरिजनों में वितरण किया जाय । अगर किसी कारण से यह संभव न हो तो लीज डीड कैंसिल करके सरकार इस जमीन को ले ले ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, मैं सबसे पहले सभापति आश्वासन समिति का अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने इस बड़े भारी घोटाले से पर्दा उठाया। आपकी इस रिपोर्ट के पढ़ने से जाहिर होता है कि सरकारी कर्मचारियों ने, सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने, फारेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों तथा राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने देहरादून के बड़े-बड़े सेठ, साहूकारों से मिल कर इस घोटाले को किया है। मीराबेन जो एक विदेशी महिला थीं और जो गांधी जी का अनुसरण करती थीं उन्होंने पशुलोक नाम से एक संस्था चलायी थी जिस को वह नहीं चला सकी तो उन्होंने हरिजनों और भूमिहीनों की एक सहकारी समिति बनायी और वह जमीन उन्होंने वन विभाग को वापस कर दी लेकिन यह जमीन उन्होंने सहकारी समिति को दी थी । उनका उद्देश्य यह था कि उसके जो सदस्य होंगे वे केवल हरिजन, भूमिहीन, कृषि मजदूर ही होंगे।

दूसरा उद्देश्य यह भी था कि इस भूमि पर सामूहिक रूप से सहकारिता के आधार पर खेती होगी । इस मुख्य उद्देश्य को लेकर समिति का गठन हुआ था । उसके बाद जो हरिजन थे उन को किसी तरह से बरगला कर मारपीट कर भगाया गया और उस पर हावी हो गये। देहरादून के बड़े-बड़े लोगों ने उस को हड़प लिया, आप जैसे ही चारबाग स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो सामने ही एक बड़ा बोर्ड दिखाई देता है टाटा मरसीडीज बैंक और आप हुकुम चन्द गुप्ता के नाम से भी परिचित होंगे, वह कितने बड़े लोग हैं और किस तरह से शासन पर उन का प्रभाव है और किस तरह से शासन उनकी उन पर कृपा बनी रहती है । उनके भाई हैं जय नारायण गुप्ता जो देहरादून के सबसे बड़े मालदार आदमी हैं और बहुत बड़े मोटर के व्यापारी है और उनकी मोटर वहां और यहां बहुत जगह पर चलती हैं । इन जय नारायण गुप्ता के 3 सपूत हैं । उनके नाम हैं मानक चन्त गुप्ता, हरि प्रकाश गुप्ता और कपूर चन्द गुप्ता । इन गुप्ता लोगों के पेट में यह वीरभद्र सहकारी समिति की 750 एकड़ जमीन चली गई जिन का तमाम कारबार मोटर का और बैंक का देहरादून और वहां से यहां लखनऊ तक जिनकी एजेंसीज हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इन सहकारिता विभाग के ईमानदार अफसरों और कर्मचारियों की मदद से यह सारी जमीन उनके पेट में समा गई । लगातार कोशिश की गई और श्री शिवानन्द नौटियाल ने यहा प्रश्न रखा और बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से गुप्ता जी मंत्री थे, उन के मुंह से आश्वासन फिसल गया लेकिन उस पर कभी अमल नहीं हुआ । जब वह फिसल गया तो हमारी खुशकिस्मती थी कि श्री माधव प्रसाद जी आश्वासन समिति के अध्यक्ष बन गय और उन्होंने इस मामले को कुरेदना शुरू किया और नतीजा यह हुआ कि कोई उत्तर ही सरकार के विभाग से नहीं आया । आश्वासन समिति की ओर से सहकारिता विभाग को बराबर पत्र लिखे गये, सब कुछ हुआ, लेकिन उस पत्र का एकनालेजमेंट तक नहीं दिया गया । उसके बाद मजबूर होकर सभापति, आश्वासन समिति ने उनके अधिकारियों को बुलाया और उसके वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर साहब, मालूम नहीं कितने हजार रुपया वेतन वह पाते थे आज वह नौकरी में सरकार की हैं यह नहीं, यहा हमें नहीं मालूम, वह श्री भगवंत सिंह जी हैं ।

वह आश्वासन समिति के सामने उत्तर देते हैं रिपोर्ट रजिस्ट्रार की ठीक होगी । जिन आदमियों के नाम सोसाइटी रजिस्टर्ड है उन के नाम कहीं और अलग भूमि नहीं होगी । संख्या भी शायद 49 होगी और आय भी 900 रुपये से ज्यादा नहीं होगी, यह हो सकता है कि जमीन वाकई किसी और के कब्जे में हो । इस तरीके का उत्तर इस प्रदेश के जिम्मेदार अफसर सदन की एक जिम्मेदार समिति के सामने देते हैं और हमारी सरकार की तरफ से अफसर उस के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती । रिपोर्ट में कहा गया है कि "समिति को दुख है कि शासन के एक सर्वोच्च अधिकारी द्वारा आश्वासन समिति को इस प्रकार से अनुत्तरदायित्वपूर्ण उत्तर दे कर वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया । समिति का मत है कि जिन अधिकारियों ने जानबूझकर असत्य सूचना समिति के समक्ष प्रस्तुत की वे समिति के अवमान के दोषी होने की परिधि में भी आ सकते हैं "।

यह तो माधव बाबू की शराफत है कि इन्होंने एक और सेन्टेन्स जोड़ दिया कि समिति अवमान का प्रश्न नहीं उठाना चाहती है । समिति ने तो नहीं उठाया लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस अधिकारी और ऐसे और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यह ही नहीं, माननीय माधव बाबू को इतना कष्ट करना पड़ा कि उनको मौके पर जाना पड़ा । मैं उनका आभारी हूं कि कितना बड़ा स्कन्डल का सहकारिता के नाम पर ढोंग रचने जा रहे हैं । सारी सहकारिता को ही बदनाम किया जा रहा है । मौके पर गुप्ता ऐण्ड कम्पनी पहुंची । आपने उनका साक्षात्कार किया । जो सेक्रेट्री महोदय हैं उनसे आपने पूछा कि क्या आपने समिति के बाईलाज को पढ़ा है ? उत्तर मिला नहीं पढ़ा है । देखा भी नहीं है । आपके पास मूल रिकार्ड हैं, उत्तर दिया गया, नहीं हैं । कोई मूल बाईलाज है, जी नहीं ।

सहकारिता विभाग के अधिकारी से फिर सभापति जी ने पूछा कि क्या आपने उनका इन्स-पेक्शन किया है, उत्तर मिला, किया होगा । उनसे पूछा गया कि आपका कभी आडिट हुआ है, उत्तर मिला हुआ होगा ।

फिर पूछा गया कि क्या आपके पास कोई आडिट रिपोर्ट है, उत्तर मिला नहीं है । मौके पर इस प्रकार के उत्तर समिति को मिले । रिकार्ड पर मौजूद है । इसके लिये 2 शर्तें रखी गयी थीं जब लीज दिया गया था । एक तो यह थी कि सहकारिता समिति के जो सदस्य होंगे वे भूमिहीन होंगे । जब यहां पर नौटियाल साहब ने प्रश्न किया था तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि हां, उन्होंने लिखित प्रमाण भी दिया कि वे भूमिहीन हैं । जब माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने पूछा सहकारी विभाग के अधिकारी से कि क्या आपके पास लिखा हुआ कि ये सदस्य भूमिहीन हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। जब समिति के सदस्यों से (सहकारी समिति के) पूछा कि क्या आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं तो उनकी ओर से उत्तर नहीं दिया गया । पहली शर्त का तो उल्लंघन हो गया

[श्री गोविन्द सिंह नेगी---]

जो भूमिहीन नहीं हैं, वे इस समिति के सदस्य हैं । क्यों न] इस समिति को डिजाल्व कर दिया गया ?

दूसरी शर्त कि सहकारिता के आधार पर सामूहिक रूप से आप खेती करेंगे । आपने क्या किया, आपने बाईलाज के खिलाफ जब लीज दी है, उसकी शर्तों के खिलाफ जानबूझकर जमीन बांट दी है ।

श्री अधिष्ठाता---

इस विषय पर बहुत माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं आप और कितना समय लेंगे । ?

श्री गोबिन्द सिंह नेगी---

मैं 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा । आपने लगातार 10 एकड़ के हिसाब से जमीन बांट दी और इस समय उसकी कीमत आसमान छू रही है । एक ओर वहां पर ऐंटी बायटिक फक्टरी है और दूसरी ओर ऋषिकेष शहर है । इस समय अगर अधिक नहीं तो कम से कम 30,000 रुपया प्रति एकड़ की कीमत है ।

दूसरा नाम ब्रह्मचारी जी का है । ये कौन हैं, ये ऋषिकेष के म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष हैं और आपके कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं । माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कि अधिक समय न खोकर, म जानता हूं कि मंत्री जी हमारे बड़े ही ईमानदार आदमी हैं और काम भी करने वाले हैं, इस मामले को देखें । वहां पर 750 एकड़ जमीन उनक पेटों में दे चुके हैं । यह आपका समाजवाद कहा जा रहा है । किसी की आस्था इसमें रह जायेगी ? सहकारिता आन्दोलन के बारे में अब तक आपने हिम्मत नहीं की अब तो हिम्मत कीजिय ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)---

मान्यवर, एक सूचना देनी है । माननीय सदस्यों ने और आश्वासन समिति के अध्यक्ष ने रोशनी डाली इसके संबंध में मेरे जो विचार हैं उनको तो मैं अन्त में प्रकट करूंगा । लकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मन्तव्य है माननीय सदस्यों का उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि एक रिट हाई कोर्ट में इस संबंध में विचाराधीन है । मैं निवेदन केवल यह करना चाहता हूं कि हमारे सदन में कही गयी बातों की सीमा वहीं तक रहे जिससे हमारा मन्तव्य लुप्त न होने पाये और किसी तरह हाई कोर्ट में उन व्यक्तियों को इससे मदद न पहुंच पाये जो मन्तव्य हमारा नहीं है ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्रतिवेदन पर बोलने का अवसर दिया है । श्रीमन्, जैसा मेरे साथी नेगी जी ने [कहा कि हम आश्वसन समिति के अध्यक्ष और माननीय सदस्यों के आभारी हैं कि उन्होंने स्थान पर जाकर वस्तुस्थिति को समझा और उसको इस विधान सभा में रखने का प्रयास किया श्रीमन्...

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या आश्वासन समिति की रिपोर्ट आ जाने क बाद हाई कोर्ट में रिट हुई या बाद में ? और उसमें कौन-कौन से प्वाइंट्स इन्वाल्व्ड हैं, हम यह जानना चाहते हैं और इस संबंध में किसने रिट दायर की है ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी जो अपना भाषण देंगे उसमें स्पष्ट कर देंगे । अगर माननीय मंत्री जी इस समय उत्तर दें तो दे दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी उत्तर अवश्य दे दें ।

श्री इन्द्रमणि—

तो मान्यवर, मैं कह रहा था । मैंने खड़े होकर कहा था कि माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया वह ठीक नहीं है । विधान सभा में वे किस तरह उत्तर देते हैं यह देखा गया । आज इस मुल्क में हरिजनों, भूमिहीनों और गरीबों के नाम पर बड़े लोग किस प्रकार लूट मचा रहे हैं, आश्वासन समिति का प्रतिवेदन इसका प्रमाण है । किस ढंग से मंत्री यहां उत्तर देते हैं और किस तरह से आफिसर्स गुमराह करते हैं और जो आज का पूंजीपति वर्ग है, यह किस ढंग से गरीबों के नाम पर लूट मचाता है । श्रीमान्, इस प्रतिवेदन में सबसे बड़ी भारी बात यह है, मैं इस बात को कहने के लिये तैयार हूं अगर आप इजाजत दें कि कानून का नाम नहीं रह गया है । दो प्रकार की हुकूमतें होती हैं । एक तो प्रजातन्त्र और एक एकतन्त्र । प्रजातन्त्र हुकूमत में यह था कि प्रजातन्त्र में कानून का राज्य होता है ।

प्रजातन्त्र की परिभाषा यह थी कि हम सदन ने कानून बनाये और सरकार उस कानून को फालों करें । लेकिन आज क्या है ? आज कुछ लोगों के लिये कोई कानून नहीं है और इसमें देखें कि जो समिति बनाई गई हरिजनों और भूमिहीनों के नाम से उसमें 39 सदस्यों में से केवल आठ ही हरिजन सदस्य रह गये । अब केवल हरिजन नाममात्र के आठ रह गये । इस प्रकार हरिजनों के नाम पर बनाई गयी लेकिन हरिजनों को उसमें अधिक रखने के बजाय कम कर दिया गया । एक बात और मैं कहना चाहता था । वैसे तो अध्यक्ष साहब ने सारी बातें कह दी थीं । जो जमीन एन्टी बाइटिक्स को दी गई उसकी कीमत एक लाख ली गयी ।जमीन तो ली लेकिन रुपया भी एन्टीबाइटिक्स से लिया और उस रुपए को हड़प कर गये और वह बात आश्वासन समिति के सामने नहीं आयी । विधान सभा में मन्त्री जी कह रहे हैं कि यह मसला हाई कोर्ट में गया । ठीक है । लेकिन यह प्रतिवेदन आपने अगस्त में पेश कर दिया था । आपने अगस्त से अब तक इस पर क्या किया ?

श्री अधिष्ठाता—

अगस्त, 1971 ।

श्री इन्द्रमणि—

अगस्त, 71 में पेश किया गया लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया । सदस्यों ने प्रश्न किया था । इसमें धनी पार्टी है । सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं । अगर सरकार को इस पर कुछ करना है तो सरकार बतला दे । जब समाज में कोई गलत काम होता है और वह सदन के सामने आये जिसके पास संविधान के मुताबिक सार्वभौम सत्ता है और यहां आने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो तो प्रजातंत्र के लिए इससे गलत कोई दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता । यहां पर प्रतिवेदन आया और उसमें तमाम अफसरों के बारे में बातें आयीं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो इससे गलत काम और क्या होगा । जब एक गलत काम होता है तो फिर उससे हजारों गलत काम होते हैं । इसलिए गलत काम पर कार्यवाही होनी चाहिए । इस तरह की कई समिति प्रान्त में बनी हैं । अगर एक समिति को ही सही रूप में देख लें और जिन्होंने गलती की है उन्हें दंडित कर दें तो आगे गलती न हो । अगर मैं भूल नहीं करता तो मैंने देखा है कि जिनके कच्चे मकान थे आश्वासन समिति के जाने के बाद उनके पक्के मकान बन गये । अगर इस तरह से काम होगा तो प्रजातंत्र नहीं चल पायेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय ...

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

क्या आपकी व्यवस्था है कि एक ही जिले के लोग बोलेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---

आपको भी समय मिलेगा। यह चार बजे तक होना है। समय कम ही ल ।

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रतिवेदन पर विचार हुआ इसमें सन्देह नहीं कि आश्वासन समिति ने अच्छा काम किया है। परन्तु मैं देखता हूं कि प्रारम्भ से ही कुछ ऐसी बातें हो गयीं कि कुछ गलत फहमी पैदा हो गयी ।

मैंने बड़े गौर से इस समिति की जो नियमावली है उसको पढ़ा है। इसके बाईलाज को देखने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हम लोग अन्धेरे में लट्ठ चला रहे हैं। बाईलाज में यह संकेत नहीं है कि यह समिति हरिजनों के लिये और भूमिहीनों के लिये बनाई गई है। इसमें चार कन्डीशन्स रखी गई हैं :—

A person shall be eligible for membership who

(1) is over 18 years of age except in the case of minor heir of a deceased member ;

(2) is of good character ;

(3) is a permanent resident in the locality or gives an undertaking permanently to reside in the locality after becoming a member ; and

(4) Agrees to abide by the terms and conditions on which Pashu lok Sewa Mandal grants land to the Samiti onlease.

तो इसका सदस्य वही हो सकता है जो हरिजन या लैन्डलेस होगा, ऐसा नहीं है। पृष्ठ 20 में आप देखेंगे कि जिन लोगों के नाम जमीन ट्रांसफर की गई है वह कौन-कौन लोग हैं। दो-तीन मिसालें म दे रहा हूं। श्री गोविन्द सिंह नेगी ने कहा कि मानिक चन्द गुप्ता, हुकुम चन्द गुप्ता आदि हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मेरा आशय देख लें, उनको ही जमीनें मिली हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

रूस में कोई किसी की सुनता नहीं है। जो डिक्टेटर कहता है वही मानना पड़ता है लेकिन आप हिन्दुस्तान में गलती से पैदा हो गये हैं, तो मेरी बात सुन लें। यह जो गुप्ता जी के परिवार को आपने कहा है उनकी ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और इस कारण उनकी गढ़वाल में बसें चलती हैं, इस कारण आपत्ति की गई है। आप इसका अन्तिम परिशिष्ट (ट) देखें तो उनको तो इसमें से निकाल दिया गया है और इसके ऊपर इस सदन में आधे घंटे से चर्चा हो रही है। तो वह लोग तो निकाल दिये गये हैं। श्री देवेन्द्र स्वरूप ब्रह्मचारी का जिक्र आया जो सत्ता कांग्रेस के हैं और वहां पर नगरपालिका के चेयरमैन हैं। अगर हमें निष्पक्ष बात कहना है तो आप बतलाइए। नं० 14 पर सुरेन्द्र सिंह के नाम ट्रांसफर है। यह कितने रईस हैं, प्यारे लाल कितने रईस हैं। इन लोगों को समिति से नहीं निकाला गया है। जो उस लोकेलिटी के नहीं है, नहीं ले सकते हैं। गढ़वाल के कितने हैं जो गढ़वाल में रहते हैं और यहां पर जमीन पर काबिज हैं। पृष्ठ 20 पर नं० 4 और 5 पर दिये हैं। मैं कहता हूं कि क्या यह नियमों में हुए हैं? सहकारी समिति की सारे प्रदेश में जो हालत है वही यहां पर भी है। आप न्याय की बात कहे जाइये। हाई कोर्ट में रिट है तो अलग बात है लेकिन जो जमीनें लोगों ने ले ली और समिति के सदस्य बन गये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तो इस बाईलाज में कोई प्रतिबन्ध नहीं था कि जिसके आधार पर कहा जाय कि वह मेम्बर नहीं बन सकते थे। आप 900 रुपए की आय की बात कहते हैं। अव्वल तो इस समिति में कुछ तथ्य ऐसे हैं जिनके बारे में मेरा विचार है और मैं अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उन लोगों को जिनके नाम ट्रान्सफर किये गये हैं, बुला लेते, तो वह बतला देते। हरि प्रसाद गुप्ता को जमीन लिखी है। उनकी बल्दियत बदल गई है।

यह मुझे मालूम है कि जयनारायण गुप्ता का लड़का नहीं है, लेकिन इसको जय नारायण गुप्ता का लड़का लिख दिया गया क्योंकि जितने गुप्ता हैं, वे जयनारायण गुप्ता के लड़के हैं। न्याय की बात यह है कि इन 16 आदमियों को बुला दें और इनसे जरूर मालूम कर लें। मान लीजिये आपके दिमाग में एक योजना है। उसमें आप हरिजन को जमीन बांट देते हैं। मैं ब्राह्मण हूं---सौभाग्य नहीं हुआ हरिजन होने का। मुझे क्या मालूम आपके दिमाग में क्या योजना है। मैं जमीन खरीद लेता, आप कहते कि यह हरिजन के लिये है। बाईलाज में प्रतिबन्ध नहीं किया। आपने लिख दिया कोई भी मेम्बर हो सकता है। वह हरिजन को मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को मिली है, जिनका हक नहीं है। लेकिन आप उनको दोष मत दें और कुछ न कहें। शोषण कर लें इन्हीं सब लोगों के पेट में उसे समा लें। अब तक उनके नाम निकाल दिये गये हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उन लोगों के नाम भी निकाल दिये जायं। ....श्रीमन्, अभी लाल बत्ती न दें .. तो श्रीमन, यह जो सारी बातें हैं इनको देखा जाय। दूसरे में यह कहना चाहता हूं कि ये जो इतने लोगों ने जमीन जोत ली है ...रिट पड़ी है, यह गलत बात है। इसके अन्दर जरूर व्यवस्था की जाय कि जितने आउट साइडर हैं, वे वहां से हटाये जायं। मैं, मान्यवर, आपसे प्रार्थना करूंगा, माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस समिति के बारे में पुनर्विचार करें और किसी तरह से अन्याय न हो।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, पृष्ठ 34 पर कहा गया है कि 'ए पर्सनल शैल बी एलीजिबुल फार मेम्बरशिप।'

श्री अधिष्ठाता---

जो आपसे कहा जाय, तब कहें। आप नित्यानन्द स्वामी जी को दिखा लें।

श्री त्रिवेणी सहाय---

इसके बाद जो बन्दिश होगी, उन्हीं को दिया जायगा। उसके बाईलाज नहीं हैं। गांधी जी के नाम पर यह समिति बनी थी।

श्री अधिष्ठता---

आप अब तशरीफ रखें, जब आपसे कहा जाये, तभी कहें।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि सहकारी समिति के विषय में जो चर्चा चल रही है, उसके विषय में माननीय अध्यक्ष महोदय की जो रिपोर्ट है और जो माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और संक्षेप में इतना ही बता देना चाहता हूं कि 9 जून, 1970 को मैंने प्रश्न किया था। 25 जून, 1971 को जिलाधिकारी, देहरादून की रिपोर्ट आयी। मान्यवर, यह कहा गया था कि समिति को भंग कर दिया जाय और उसके विषय में जो आश्वासन मन्त्री महोदय ने सदन में दिया है उसको पूर्ण कर दिया जाय, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। 14 मई, 1971 को समिति ने विचार किया। प्रश्न होने के बाद जब कोई भी निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं हुआ तो आश्वासन समिति ने समझा कि इसमें गड़बड़ घुटाला है और इसलिए इस मामले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

की पूरी-पूरी जांच करा दी जाय। मान्यवर, मन्त्री महोदय ने सदन के पटल पर गलत बयानी दी है। उसका जिलाधिकारी, देहरादून के द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया गया कि जो जमीन दी गयी थी वह सरकार की ओर से दी गयी थी। यह सब रिपोर्ट में दे दिया गया है। माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने अपने विचार व्यक्त किये कि हरिजनों या गरीब किसानों के लिये यह सहकारी समिति नहीं थी। आप आइटम नं0 4, पृष्ठ 34 को देखें। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति सेवा मंडल के नियमों को मानते हैं और जिनकी आमदनी 900 रु0 से कम है वही व्यक्ति इस समिति के सदस्य हो सकते हैं। यह साजिश प्रारम्भ से ही चलती गयी। सन् 1950 में जब यह भूमि दी गयी थी तो उस समय यह भूमि 720 एकड़ थी। उसके बाद पशुलोक को भी जमीन दी गयी जो 50 एकड़ के करीब थी। बाकी जो जमीन रहती है वह अब इस समिति के पास है इनके पास करीब 594·90 एकड़ है।

मान्यवर, जहां गुप्ता जी का प्रश्न यहां पर आया उसके सम्बन्ध में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एन्टीबायटिक्स फैक्टरी, ऋषिकेश में खुली थी। उसके लिए भी जमीन की आवश्यकता पड़ी थी और, मान्यवर, बड़ौनी जी ने जो कहा, मैं उसको पुनः दुहराना चाहता हूं। इसी कृषि भूमि, इसी सहकारी भूमि में से कुछ जमीन के लिए एन्टी बायटिक्स वालों ने कहा कि उन्हें आवश्यकता है। तो मान्यवर, उस भूमि में से 309·10 एकड़ भूमि एन्टीबायटिक्स को दे दी गयी थी। जो भूमि इनको दे दी गयी थी वह पूरी की पूरी भूमि नहीं थी बल्कि कुछ भूमि थी—184·90 एकड़ थी। यह वन विभाग की ओर से इस सहकारी समिति को दे दी गयी थी और मुआवजे के रूप में 1,07,000 रु0 गुप्ता जी को जिनकी कि यहां पर चर्चा है, दे दिये गये थे कि किसानों में बांट दें। उन्होंने इस धन का कोई हिसाब नहीं रखा। यह बड़ा ही गम्भीर मामला था। जितने भी मोटर मालिक थे या पैसे वाले थे उन्होंने अनेक प्रकार से जमीन को बेचने का षड़यन्त्र किया। 1 हजार रु0 नहीं,

(इस समय 3 बजकर 48 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

2 हजार रु0 नहीं, 30,000 रु0 तक की बोली लगा दी गयी। आज स्थिति ऐसी है कि वास्तव में जिनके नाम पर जमीन आई थी उनको वहां से बेदखल कर दिया गया है। परसों मैं स्वय ऋषिकेश में था। समिति से निकाल देने की बात कही गयी। मैं आपके समक्ष और माननीय सदस्यों के समक्ष बड़ी गम्भीरता के साथ और बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि आज भी गुप्ता जी का नाजायज कब्जा है। यह कब्जा सहकारिता विभाग की ओर से है और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की ओर से नियमित रूप से न हो कर अनियमित रूप से किया जा रहा है।

आज भी कब्जा बरकरार है। वन विभाग की एक बात और बताना चाहता हूं कि 184. 90 एकड़ भूमि वन विभाग की ओर से इस सहकारी समिति को दी गयी थी। उसका लीज डीड अभी तक तैयार नहीं हुआ है। अगर समिति उसको यूटिलाइज नहीं करती तो वन विभाग ने क्यों नहीं ले लिया? जब वन विभाग ने देखा कि हमारी तराई के क्षेत्रों में जहां वन विभाग की जमीन पर लोगों का कब्जा था फिर भी उनके हाथों से लोन दिया गया, आज भी रामपुर जिले में हंसासिंह, सरदार हैं जिनका 500 से 3,000 एकड़ भूमि पर कब्जा है उनको बेदखल नहीं किया गया। समिति के जितने भी कार्य करने वाले सदस्य हैं वे वही लोग हैं जिनकी 900 तो क्या लाखों में सम्पत्ति है और लगातार उसका शोषण कर रहे हैं और यह जीता जागता-उदाहरण है सहकारिता का जो सहकारिता पर कलंक है। इसको अविलम्ब बन्द करने की आवश्यकता है और उन लोगों से भूमि लेकर टेहरी विस्थापित जितने लोग हैं उनको वहां विस्थापित कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ

मैं आपके माध्यम से सहकारिता और वन मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल वहां पर इस प्रकार की कार्यवाही कर दी जाय ताकि वास्तव में जो इसके अधिकारी हैं उनको यह जमीन दी जाय। जो इसके अधिकारी बनते हैं उनकी जांच की जाय और 1 लाख 7 हजार रुपए का गबन जो मानतीय गुप्ता जी के द्वारा किया गया है उसकी भी अवश्य जांच की जाय। आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने गरीबों और शोषित हरिजनों की भावनाओं को सरकार तक पुनः पहुंचाने का अवसर दिया।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो समय नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मन्त्री जी के बोलने से पहले मुझे दो मिनट का अवसर अवश्य दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

और भी सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री मैनेजर सिंह--

मुझे आश्वासन दिया था अधिष्ठाता महोदय ने कि इसके बारे में मुझे अवसर मिलेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। सारा विवाद तो हो रहा है और माननीय शिवानन्द नौटियाल ने जो सवाल किया उसके तहत रिपोर्ट आ गयी, लेकिन इस रिपोर्ट में एक वैधानिक आपत्ति माननीय नित्यानन्द ने उठायी कि बाईलाज में यह दिया नहीं हुआ है कि यह जमीन केवल हरिजनों को दी जायगी। तो मेरा कहना यह है कि जो पशु सेवा लोक है ···दो मिनट सुन लें। समिति के क्या बाईलाज हैं, उनमें क्या प्राविधान हैं ?···इसमें कहीं भी नहीं है···इसके कारण यह परेशानी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था नहीं है इसमें। मैं इजाजत नहीं देता। इतना समय नहीं है कि मैं तर्क जो असंगत हों उनको सुनूं···

श्री त्रिवेणी सहाय--

इसमें आश्वासन समिति कुछ नहीं कर सकी····व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप स्वयं अव्यवस्थित हैं। आपको जानना चाहिये कि यह आश्वासन समिति का प्रतिवेदन है जो आपके समक्ष है। आप कह रहे हैं कि समिति ने गलती की है। अगर त्रिवेणी सहाय जी समझें कि जो वह बोलते हैं सभी तर्क संगत है तो मैं उनसे असहमत हूं।

अब प्रश्न यह है कि बैठने के लिये अगर तैयार हैं, क्योंकि जितना कार्यक्रम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 यह बतायें कि कैसे हो। कल कार्य-मन्त्रणा में बात आई और उन्होंने बढ़ा दिया यह। यह सब समय के अन्दर पूरा करना है। आप बैठने के लिए तैयार हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

हम बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री बेनी सिंह—

हम लोग तो बैठ नहीं पायेंगे 5 बजे के बाद। आज हमारे एलेक्शन्स हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जितने सदस्य उधर बैठे हैं सब पी०सी०सी० के सदस्य तो हैं नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जायसवाल जी इससे सहमत होंगे कि जब कभी किसी दल का कोई ऐसा सम्मेलन होता है.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह सम्मेलन नहीं है, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर दो-दो मिनट में सब अपनी बात कह दें तो हम आगे चलें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

दी-दो मिनट सब का जोड़कर हमको दे दिया जाय। मैं सबकी बात कह दूंगा।

श्री त्रिलोक चन्द—

हमारे दल का तो कोई बोला ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं बोला तो हम क्या करें। अभी तो हम आये हैं। पहले तो अधिष्ठाता बैठे थे। हम उसके अन्दर नहीं जायेंगे। लेकिन हर दल को दो-दो मिनट का मौका दें नहीं तो पूरा नहीं होगा। इसलिए दो-दो मिनट में आप अपनी बात कह दें।

*श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत आभारी हूं कि इस रिपोर्ट पर बोलने के लिये दो मिनट का मौका मिला। दो मिनट में ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा और न इसके डिटेल में जा सकता हूं। माधव बाबू जो आश्वासन समिति के सभापति हैं, इनका भी मैं बहुत आभारी हूं और शिवानन्द नौटियाल भाई का भी जिन्होंने इस प्रश्न को उठाकर एक ऐसा पर्दा उठाया जो भ्रम बना हुआ है जिसको हम देख रहे हैं कि जो 25 साल से गड़-बड़ी हो रही है जिसकी वकालत करने वाले आज भी हाउस में बैठे हैं। यह कहना कि हरिजनों के लिये यह कोई समिति नहीं थी, कोई भी इसका सदस्य हो सकता था, चाहे वह प्यारे लाल गुप्ता हों या हरि प्रकाश गुप्ता हों या ब्रह्मचारी जी हों, वह भी लैन्डलेस थे, उनका भी हक था। मैं नित्यानन्द जी को बताना चाहता हूं कि इसमें एक प्रस्ताव हुआ 5 जुलाई, 1953 को। प्रस्ताव संख्या 3 में यह स्पष्ट कहा गया है कि यह समिति केवल हरिजनों को स्थापित करने के लिये गठित की गयी है जबकि उसके परिशिष्ट 'च' में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं किया गया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने यह नहीं कहा।

(व्यवधान)

मुझे गलत कोट कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं। बाईलाज में उसका प्राविधान नहीं है इतना मैंने कहा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिलोक चन्द—

गोरिजनल मंशा जो मीरा बहन की थी, क्योंकि वह गांधी जी की शिष्या थीं और गांधी जी की परम्परा को लेकर चली थीं, दो हजार एकड़ से ऊपर उनकी जमीन थी। जब उनसे संचालन नहीं हुआ तो फिर यह बाकी जमीन सरकार को वापस कर दी गयी। यह निश्चय हुआ कि इस 750 एकड़ जमीन पर लैंडलेस लोगों को बसाया जाय। जो बाइलाज बनाये गये वह उन्ही लोगों के द्वारा बनाये गये जो उसके हिस्सेदार थे। जो ओरीजनल मंशा था वह छिपा दिया गया। किसी भी हरिजन को भूमि नहीं मिल सकी। जिन बड़े-बड़े आदमियों का इन्टरेस्ट था वे यह बरदाश्त ही नहीं कर सकते थे कि किसी हरिजन को भूमि मिले इस रिपोर्ट के पृष्ठ 17 पर लिखा है :—

"This Co-operative Society was organised under the patronage of Mira Ben on 4th April.1950. and the main purpose of the society was to provide the land to the landless Agricultural labourers and members of Harijan.

इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी जांच करें और देखें कि भूमिहीन हरिजनों और श्रमिकों को जो भूमि देने की बात थी वह पूरी क्यों नहीं हुई। यह जो सुहावना सपना हरिजनों को भुलावे में डालने के लिये दिखाया जाता है इससे उन हरिजनों का बड़ा नुकसान होता है। यह उन लोगों को गुमराह करने के लिये किया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि मंत्री जी इन सब की जांच करें।

*श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल वही बात कहना चाहूंगा जो सदन में नहीं कही गयी हैं। मान्यवर,इसमें लिखा है, समिति की प्रबल धारणा है कि इतने लम्बे अरसे तक नियमों और उद्देश्यों का इस प्रकार खुल कर उल्लंघन, अनियमिततायें तथा 10,000 से 2,00,000 रुपये तक के हिस्सों का हस्तान्तरण,अभिलेखों का ठीक प्रकार से न रखा जाना बिना सहकारिता विभाग की साठगांठ के सम्भव नहीं है। मान्यवर, माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने जो कहा है वह बिलकुल ठीक ही कहा है। इस सोसाइटी की स्थापना केवल इसलिये की गयी थी कि हरिजनों को भूमि मिले। उनके लिये सामूहिक खेती हो। 750 एकड़ भूमि इसमें से बीरभद्र सहकारी समिति को दी गयी थी। इसमें से 200 एकड़ एन्टीबायटिक्स फैक्ट्री को चली गयी। उसके एवज में उनको जमीन मिली। लगभग 1 लाख 7 हजार रुपया मुआवजा का मिला समिति को। लेकिन जो आश्वासन समिति ने रिपोर्ट दी है उससे ऐसा लगता है कि सही आडिट ही नहीं हुआ। मूल रजिस्टर तक गायब था। जो आडिट हुआ उसके सामने तथ्य आये ही नहीं। जो एक लाख 7 हजार रुपया दिया गया उसका यहां कहीं कोई हवाला ही नहीं है। वह रुपया कहां गया, उसका कोई अंदाज नहीं है। तो पुराना रजिस्टर आपसे छिपाया गया, आडिट भी जो हुआ उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई और उसके तथ्य आपके सामने नहीं लाये गये।

इसलिये मंत्री जी से कहूंगा कि इस सारी अनियमितता का कारण, जो मूल भावना थी उसका उल्लंघन करने वाला और उसको इम्प्लीमेंट न करने का कारण वन विभाग और सहकारिता विभाग की सांठगांठ का पूरा-पूरा परिणाम है और यह इतने दिनों तक दबी की दबी रही। आपने यह भी देखा कि जब यह प्रश्न विधान सभा में उठा तो उस हिसाब से तीन महीने में आश्वासन पूरा हो जाना चाहिये था, लेकिन तीन महीने तो क्या तीन महीने तक तो जो खत भेजा गया था आश्वासन समिति की ओर से उसका एक्नालेजमेंट तक नहीं आया। उससे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी]

प्रतीत होता है कि जानबूझकर तथ्य छिपाने की कोशिश की गई । तथ्य सामने नहीं आये, इस बात की कोशिश की गई । म मंत्री जी से निवदन करूंगा कि इस को एक नमूना मान कर सख्त से सख्त कार्यवाही उन्हें करनी चाहिये । यहां पर जितने भी प्रश्नों के उत्तर दिय जाते हैं, ये तथ्यों से परे होते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले में नरमी न बरती जाये और सख्त से सख्त सजा दी जाये । उनको जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया ।

*श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा इस समय सम्भव नहीं है । कुछ सामान्य बातों की तरफ में सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं । मैं निवेदन करूंगा जब कभी कोई विषय किसी अनियमितता के सम्बन्ध में, सरकारी धन के दुरुपयोग या किसी सरकार के अपने-अपने अधिकार के अतिक्रमण की कोई जानकारी पर आ जाये, प्रश्न या चर्चा के रूप में तो प्रभारी मंत्री और सचिवालय के विभाग का यह कतव्य हो जाता है कि कर्तव्य ही नहीं धर्म हो जाता है कि वह यों ही न चला जाये, उस पर तत्परता से कार्यवाही होनी चाहिय । यहां देखने में यह आता है कि उस पर कोई कार्यवाही होती नहीं है । खाली यही नहीं कि मंत्री इतने सतर्क रहे, बल्कि जब आश्वासन दें तब उनको परस्यू भी करें और आश्वासन देने के बाद यह देखें कि एक समय के बाद उस आश्वासन की पूर्ति कर दी जाये । इस चीज को मंत्री को नोट करके करना चाहिये, लेकिन ऐसा होता नहीं है । जहां तक सचिवालय का प्रश्न है वह भी आश्वासनों पर सो जाते हैं और विभागाध्यक्ष का कहना ही क्या । लगता यह है कि जो शासन तंत्र है, उसको इस बात की परवाह नहीं रह गई है इस सदन में कार्यवाही क्या होती है या इसकी समितियां क्या कार्यवाही करती हैं । सरकार को इस बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए और उसे महत्व देना चाहिए । सरकार की दृष्टि में मालूम पड़ता है आश्वासन समिति बिलकुल शक्तिहीन जमात है ।

त्रिपाठी जी ने गुस्से के साथ नहीं, बल्कि क्षोभ के साथ अपनी बात कही है, उन्होंने क्षोभ प्रकट किया है । 64 से 69 तक 81 मामले जिनके बारे में आश्वासन दिया गया था वह अब तक पूरा नहीं हुआ और उनको हार मानकर खारिज कर देना पड़ा है । यह स्थिति है । कुछ विभागों का उन्होंने नाम भी लिखा है । वित्त विभाग से सम्बन्धित जो मामले हैं, सदन में अनदान मंजूर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी सचिवालय में वित्त विभाग जो उसकी जांच करता है उसका परिणाम यह होता है कि जितनी अवधि में काम पूरा होना है, उसमें भी अड़ंगा लगता है । जिस वक्त अनुदान का प्रस्ताव आता है उस वक्त उसकी छानबीन नहीं करते हैं अनुदान जब वपास हो जाता है तो वह उसमें अड़ंगा लगाते हैं । ऐसे 1966 तक के मामले हैं जांच के जिन पर अभी तक इन्वेस्टीगेशन नहीं हो पाया है । ऐसे भी मामले सामने आये हैं जो सी० आई० डी० को सुपुर्द हो चुके हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जायसवाल जी आप पहले वाले के बारे में कह रहे हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं इस समय तो सामान्य बात ही कह सकता हूं । यह जो वीरभद्र सहकारी कृषि समिति का मामला है उसमें आप देखेंगे कि इन आफिसरों ने किस तरह से विहैव किया है । जो इस समिति का उद्देश्य था वही फ्रस्ट्रेट हो गया जिसके लिये समिति बनायी गयी थी। जब उसका उद्देश्य ही लुप्त हो गया तब इस समिति का एक्जिस्टेंस रहने के लिये कोई अवसर बाकी नहीं रह गया । आपके आफिसरान को चाहिये था कि उसे भंग कर देते और इसीलिए हमारे सदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि वह भंग नहीं की गयी और जब जानकारी में मामला आ गया है तब उस पर कार्यवाही करना ही चाहिए।

दूसरा मामला है जो नेगी ने कहा 1 लाख 7 हजार रुपये का जो उसके एवज में मिला है जो ऐंटी बायोटिक्स, ऋषिकेश के खाते में दिखाया गया है। लेकिन जहां तक समिति का मामला है उसके कागजात में यह रकम नहीं है। यह रकम कहां चली गयी इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए।

एक निवेदन मैं और कर दूं। इसी सत्र में मैंने सवाल किया था कि गन्ना सहकारी संघ, जुग्गौर के अध्यक्ष ने करीब 3 लाख रुपये का गबन किया है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। उसमें उत्तर मिला कि पुलिस जांच कर रही है। सौभाग्य से सहकारिता मंत्री जी यहां मौजूद ह, म यह कहना चाहता हूं कि आज तक उस अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है न गिरफ्तारी की है और न अटैचमेंट किया है, कुछ भी नहीं किया है। नतीजा यह है कि समय बराबर बीता जा रहा है और सब इवीडेंस नष्ट होते जा रहे हैं, बाद में कुछ मिलेगा नहीं और सारे का सारा पैसा सहकारी समिति का डूब जायगा। अगर इस जुग्गौर वाले मामले की जांच हो जाय तो सारा मामला पकड़ में आ जायगा। अब मामला डूबने को आ गया है जब तक सदन वगैरह चल रहा है तब तक बिना देर किये कुछ कर डालिये नहीं तो मामला घपले में पड़ जायगा।

श्री मैनेजर सिंह—

उपाध्यक्ष जी, आश्वासन समिति के अध्यक्ष, माननीय त्रिपाठी जी को में बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वीरभद्र सहकारी समिति के गड़बड़ घोटाले को सदन के समक्ष रख कर प्रदेश के हरिजनों, भूमिहीनों और गरीब जनता की जो लूट पूंजीपतियों द्वारा हो रही है उसकी ओर सदन का ध्यान दिलाया है। श्रीमन्, मुझे खेद है कि हमारे सदन के प्रमुख वक्ता, माननीय स्वामी जी ने पूंजीपतियों की वकालत करने की कोशिश की। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योगपति, श्री हुकुमचन्द गुप्ता के भाई और देहरादून के प्रमुख उद्योगपति, श्री जयनारायण गुप्ता की वे वकालत और हिमायत कर रहे थे और उस सिलसिले में बाईलाज की धारा का हवाला दे रहे थे कि उसमें हरिजनों का कोई जिक्र नहीं है। मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उसी बाईलाज की चौथी धारा में लिखा है:—

(4) agrees to abide by the terms and conditions on which Pashu Lok Seva Mandal grants land to the Samiti on lease.

मीराबेन का पशुसेवा लोक जिन शर्तों के साथ भूमि दी थी उसमें हरिजनों और भूमिहीनों के लिए यह बात लिखी गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं इस मामले में श्रीमन्, जरा एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। आप सही कह रहे हैं कि पूंजीपतियों को नहीं मिलनी चाहिये तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। आप तीन पूंजीपतियों को सिंगल आउट कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि 18 उद्योगपति जो उसमें हैं, उन सबको निकालिये। बिल के अन्दर ऐसा प्रतिबन्ध होना चाहिए था जो नहीं है और जो होना ही चाहिए था कि केवल हरिजनों और भूमिहीनों को ही दी जाय, लेकिन यह बाईलाज में खामी है।

श्री मैनेजर सिंह—

यही मैं निवेदन कर रहा हूं कि बाईलाज की खामी को दिखाते हुए उन्होंने अच्छे वकील होने के नाते जयनारायण गुप्त के परिवार की वकालत की। बाईलाज में लिखा हुआ है

[श्री मैनेजर सिंह]—
उसका उल्लंघन हुआ है। हरिजनों और भूमिहीनों के लिये समिति को जमीन दी गयी थी लेकिन गड़बड़ी की गयी कि जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को नहीं मिलनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष—
इसमें भी लिखा हुआ है कि जो स्थाई तौर पर उस लोकेलिटी में रहते हैं उन्हीं को दी जा सकती है।

श्री मैनेजर सिंह—
मैं शासन से अनुरोध करूंगा कि आज इस बात का यह सबूत है कि शासन के अधिकारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि समिति के सामने साक्ष्य देते हुए इस शासन के भूतपूर्व आला अफसर, भगवन्त सिंह जी ने किस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना उत्तर दिया है और जब पूछा जाता ह तो वे मंत्री जी के यहां जाकर कहते हैं कि समिति में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—
समय से कायवाही नहीं होती तो रिटायर हो कर चले जाते हैं।

श्री मैनेजर सिंह—
भगवन्त सिंह रिटायर हो गये। माननीय मंत्री जी आश्वासन दें कि जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है समें और इस गड़बड़ घोटले में सहयोग दिया है उनके खिलाफ वह कार्यवाही करेंगे और हरिजनों को जमीन दिलायेंगे। हरिजनों को जो जमीन भी दी गयी है उसमें मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोगों को दी गयी है जिन्होंने रिश्वत दी है अथवा ऐसे लोगों को दी गयी है जिनको नहीं मिलना चाहिए थी।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
मान्यवर, मैंने अध्यक्ष होनों की हैसियत से इस रिपोर्ट पर चर्चा की। इस दृष्टि से नहीं कि मैं विरोधी पक्ष का था और एक विरोधी दल का नेता हूं। मुझे एक चीज से बड़ा कष्ट हुआ और आश्चर्य हुआ जब कहीं से यह आवाज आयी कि इसका कानूनी पहलू यह है और प्रारम्भ में ही मंत्री जी ने यह कह दिया कि यह मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है और ऐसे विचार व्यक्त न किये जायें। मैं उस पर अपने विचार व्यक्त नहीं करना चाहता लेकिन मैं इस निश्चित मत का हूं कि सारा साहित्य तथा अधिनियम पढ़ने के बाद यह ज्ञात होता ह कि नान हरिजन अथवा जो खेतिहर मजदूर नहीं थे उनका प्रवेश इसमें किसी तरह से नहीं हो सकता था। इस समिति का गठन करने का जो उद्देश्य था उसका परिपालन करने के लिये यह बाईलाज बने थे वे फौत कर गये क्योंकि सरकार ने जो आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति नहीं हुई। आश्वासन के सम्बन्ध में जो सरकार को मशीनरी चालू हुई वह इतनी भ्रष्ट और ढीली थी तथा इंट्रेस्टेड व्यक्तियों से मिली हुई थी जिसके कारण सरकार को सही सूचना नहीं मिल पाई और उसने उस उद्देश्य की पूर्ति को विफल कर दिया। मैं समझता हू कि इस दृष्टि से इस पर विचार होना चाहिए था कि इसका उद्देश्य पवित्र था लेकिन हाई कोर्ट, में जो मुकदमा गया तो यह स्थिति किसने पैदा की?

श्री उपाध्यक्ष—
मान लीजिए हाई कोर्ट में रिट की गई हो लेकिन इस सदन में स्पेशल ऐक्ट भी बन सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं कहता हूं कि 17 वर्ष का समय बीत जाने के कारण इन अधिकारियों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि उन लोगों को आज हाई कोर्ट में जाने का अवसर प्राप्त हो गया। यदि इस मामले में बड़े-बड़े लोग न होते तो वे हाईकोर्ट में कैसे जाते? यदि उनका उद्देश्य पवित्र था तो यह सरकार इस आश्वासन की पूर्ति अवश्य करती। यदि सरकार की नीयत सच्ची हो तो उसे कानून की आड़ नहीं लेनी चाहिए थी उसके उद्देश्य का पालन करती।

दूसरी बात यह है कि बाइलाज मैंने भी पढ़े हैं। मैं उसके डिफेन्स में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसके लीगल मैरिट्स पर इस स्थिति में हमें नहीं जाना चाहिए। फिर भी जो उसका पहलू है वह सही है। इस पर बहस दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से हो गई।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपाध्यक्ष जी, मैं व्यवधान के लिये आप से माफी मांगता हूं लेकिन मंत्रीजी से इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि जब वे बोले तो इतना अवश्य बता दें कि इस समिति की रिपोर्ट, उनको कब प्राप्त हुई और हाई कोर्ट में यह मामला कब गया?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आश्वासन समिति उस स्थान पर गई थी तो बहुत से लोगों ने वहां उसके सामने आने में आनाकानी की और जो रिकार्ड समिति में मांगे उन्हें भी प्रस्तुत नहीं किया गया। आडिट रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई। उस वक्त, यद्यपि, हर सम्बन्धित पार्टी के व्यक्ति मौजूद थे। किसी ने हमसे यह नहीं कहा कि हाई कोर्ट, में रिट दाखिल हो गई है जो स्थिति आज वहां की पैदा हो गई है जो गोलमाल हुआ है उसे रोकने के लिये इन बड़े लोगों को समय मिल गया और उसका दुरुपयोग करने के लिये रिट दाखिल कर दी गई। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यदि उन्होंने आश्वासन को सही माना है तो उसकी पूर्ति के सम्बन्ध में चाहे कुछ भी करना पड़, नियम बनाने पड़े, उसे सरकार को करना चाहिए।

एक बात यह कह दूं कि आज सारे प्रदेश में कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की चर्चा फैली हुई है अनेकों पहलुओं से ठोकर लग रहे हैं जिसका कि एक उदाहरण आपके सामने हैं। मैं चाहूंगा कि जो व्यक्ति उस समिति के अन्दर एक साल भी रहा हो, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट का हो उसे न छोड़ा जाय, उसे अवश्य सजा दी जाय ताकि वह किसी भी विभाग में जाकर ऐसी गल्ती न कर पाये।

बहुत सी बातें थी और कुछ बातें अन्य माननीय सदस्यों ने कहीं हैं उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि केस का छिपाने के लिये कानून की शरण ली गई। करोड़ों के जो मालिक थे उनको इसमें शामिल किया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डिजर्विंग व्यक्ति थे उनको इसमें शामिल न करके अनडिजर्विंग व्यक्तियों को शामिल किया गया। इस पर भी मंत्री जी अपने बयान के वक्त प्रकाश डाल दें। मथुरा में भी इसी प्रकार की एक समिति है जिसमें कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा बंगलिंग की गई है। वहां पर 3/4 ट्यूबवेल बने हुए हैं। दलील की जाती है कि गेहूं के पत्तों से फौडर भी पैदा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि वह तो अन्य फसलों के पत्तों से भी फौडर बनता है। इस कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने प्रदेश को भ्रष्ट कर दिया है।

आशा है इस भावना को रखकर ही माननीय मंत्री जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह नहीं कि हम विरोधी पक्ष होने के नात इस चीज को यहां लाये हैं बल्कि आपकी मर्यादा रखने के लिये और आश्वासनों की पूर्ति के जिस उद्देश्य को सामने रखकर इस समिति का गठन किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, मैं एक चतावनी इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि जो उदाहरण आपके सामने रखे गये हैं कि अधिकारी वग जो उत्तर तयार करके भेज देते हैं उसी को मंत्री लोग पढ़ दिया करते हैं, तो आगे से मंत्रि-परिषद् के सदस्यगण उस उत्तर को तोता-मैना की तरह से दोहराया न करें बल्कि उसकी अच्छी तरह से पहले छानबीन कर लिया करें ताकि इस तरह के उत्तर देने की उनकी हिम्मत न पड़े ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता । इसलिये कि माननीय सभापति, आश्वासन समिति अपना अंतिम उत्तर दे चुके हैं और माननीय मंत्री जी बोलने के लिये खड़े हो गये हैं । क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री जी को बोलने का अधिकार नहीं है ?

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

जी नहीं । मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप पिछड़ गये ।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

मान्यवर, मैं सबसे पहले माननीय शिवानन्द नौटियाल का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने इस विधान सभा में एक प्रश्न उठाया और उस प्रश्न के द्वारा ही आश्वासन समिति के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में आज इस सदन के सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला और एक ऐसे तथ्य पर इस समिति ने प्रकाश डाला जो परम आवश्यक था । मैं आश्वासन समिति के अध्यक्ष और माननीय सदस्यों के प्रति भी बहुत ही अनुग्रहीत हूं जिन्होंने कृषि सहकारी समिति के सम्बन्ध में एक दिशा दर्शन दिया है । इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैं उनका भी मैं बहुत आदर करता हूं और उन्होंने जो सामयिक सुझाव यहां दिये हैं उनका सदैव ध्यान रखा जायगा और उनका पालन करने की चेष्टा करूंगा ।

मान्यवर, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा है कि इस कृषि सहकारी समिति के कुछ सदस्यों ने हाई कोर्ट में रिट कर रखी है इसलिये उन पहलुओं में जाने में संकोच अवश्य है । उनकी रिट कब हुई है उस सम्बन्ध में भी आगे कहूंगा । मान्यवर, यह कृषि सहकारी समिति जिसके बारे में प्रतिवेदन इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कृषि सहकारी समितियों की दशा बहुत संतोषजनक नहीं है । जिस उद्देश्य को लेकर यह कृषि सहकारी समिति गठित हुई थी उस समिति की मूल मंशा की पूर्ति इसमें नहीं है । यह जानकर और समझ कर मुझे दुख है । यह बात जरूर है कि वधानिक दृष्टि से 'बाईलाज' जिनका उल्लेख हुआ है मीरा बहन का मन्तव्य यह अवश्य रहा है कि यह भूमि साधनहीन और भूमिहीन हरिजन भाइयों को दी जाय जो वास्तव में उसके सबसे बड़े हकदार हैं । लेकिन मान्यवर, बाईलाज बनाते समय चाहे इस ओर ध्यान न रखा गया हो, चाहे किसी निहित स्वार्थ के कारण इस बात की प्रारम्भ में चेष्टा की गई हो कि बाईलाज से इस बात को हटा दिया जाय, परन्तु प्रारम्भ में जब कि यह कृषि सहकारी समिति बनी तो उसमें इस बात की व्यवस्था निस्संदेह नहीं है कि केवल हरिजन भाइयों को ही यह जमीन दी जायेगी । मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह प्रारम्भ में समिति गठित हुई तो उसमें हरिजन भाइयों के साथ साथ जो 30 सदस्य थे उनमें गूजर, राजपूत, ब्राह्मण आदि सभी वर्ग के लोग थे । इसी से साफ है ..... ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को सारी जमीन मिलेगी, यह तो उसमें है।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

तो मान्यवर, प्रारम्भ में इस समिति का गठन हुआ और सभी वर्गों के लोगों को लेकर समिति में सदस्य रखे गये। उस समय केवल हरिजन भाइयों को ही समिति में रखने की बात नहीं थी यद्यपि यह होना चाहिए था, यह मैं मानता हूं।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं और इस प्रतिवेदन में जो उल्लेख किया गया है, उस पर मुझे बहुत दुख है। आरम्भ में त्रिपाठी जी ने कहा कि 9 जून, 1970 को इस विधान सभा में जो प्रश्नों के उत्तर दिये गये वे तीन माह में पूरे नहीं हुए। इसलिये यह मामला आश्वासन समिति के समक्ष और उसके दायरे में आ गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों के कारण यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ और जिलाधिकारी को विलम्ब से सूचना भेजी गई थी उनको लिखित चेतावनी दी गई और उनकी चरित्र पंजिका में एंट्री दी गई। इसके बाद हम माननीय अध्यक्ष, आश्वासन समिति के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे विभाग के अधिकारियों को साक्ष्य के लिये आमंत्रित किया और उनको सुना गया और उनके उत्तर में न मैं संतुष्ट हूं और न कोई माननीय सदस्य होंगे। जिस तरह का आश्वासन था वह अच्छा नहीं था, अच्छी भाषा में नहीं था यद्यपि वरिष्ट अधिकारियों में से एक रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा कि इस प्रकार के अधिकारियों को चेतावनी दी जाय जिससे भविष्य में इस प्रकार की भाषा की पुनरावृत्ति न हो। सहकारिता विभाग के अधिकारियों को इस विषय में कहा जा चुका है और मैं सभापति जी और सदस्यों को आश्वासन देता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार की भाषा का उनको सुनने का दुबारा अवसर नहीं आयेगा।

मान्यवर, जो चर्चा प्रतिवेदन के विषय में इस सदन में हुई है, एक दूसरे पक्ष से माननीय स्वामी जी ने उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया। मैं प्रतिवेदन की मूल भावना से शत प्रतिशत सहमत हूं। इसलिये कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस कृषि सहकारी समिति का गठन हुआ था, वह पूरा नहीं हुआ और इस सदन की एक महत्वपूर्ण समिति ने अपने विचार रख दिये हैं। अब इस पर विचार करने की या इंतजार करने की गुंजाइश नहीं है, केवल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि सहकारिता विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई, यह बात पूर्णतया सही नहीं है। मैं निवेदन करूंगा पर, यद्यपि आपने प्रारम्भ में ही कहा है कि समय बहुत कम है, इसलिये केवल तारीख ही बता देना चाहता हूं। प्रतिवेदन आने से बहुत पहले 27 जून, 1966 को सहायक निबंधक ने इस समिति को चेतावनी दी और उसकी त्रुटियों की ओर इंगित किया। 24 फरवरी, 1967 को सर्किल इंस्पेक्टर पर्यवेक्षक कृषि ने वहां जाकर उनकी त्रुटियों के लिये समिति को आगाह किया और कहा कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे और इस प्रकार की जमीन बड़े लोगों को हस्तांतरित न करें। 22-2-68 को उप-निबंधक कृषि, ने, 23-11-68 को क्षेत्रीय कृषि निरीक्षक ने 3-1-69 को उपनिबंधक, मेरठ ने और 11-3-69 को उपनिबंधक ने। इस प्रकार इन तमाम अधिकारियों ने समय समय पर सहकारी समिति के अधिकारियों को लिखा और इस सहकारी समिति का निरीक्षण भी किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यदि यह सब चीजें संदिग्ध नहीं थीं तो यह सब हमारे सामने उसी समय क्यों नहीं रखी गयीं जब कि हमने उनको बुलाकर पूछा था ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

यह कार्यवाही सहकारिता विभाग की ओर से हुई। एक बात यह कही गई कि इस समिति का कभी आडिट भी नहीं हुआ है। इसका सन् 70-71 का आडिट हो गया। यह बात सही है कि...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

20 साल के बाद यह आडिट रिपोर्ट आई है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

समिति के अध्यक्ष की ओर से विभाग को कहा गया और मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि अधिकारियों ने अवहेलना की है तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वह उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे कि जिन्होंने बावजूद समिति के मांग करने पर उन दस्तावेजों को समिति के पास नहीं भेजा ? उत्तर आप दिलायें ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

अध्यक्ष,आश्वासन समिति के मांगने पर निश्चित ही जिन अधिकारियों ने दस्तावेज नहीं दी होगी उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी ।

मैं कह रहा था कि आडिट रिपोर्ट जो सन् 70–71 की आई है और समिति को दी गई है उसकी अभी कम्पलायेंस नहीं हुई है, यह बात सही है। मैं जो थोड़ा सा समय है उसी में निवेदन करूंगा कि इस समय हाई कोर्ट में 2 रिट हैं । एक तो आश्वासन समिति के प्रतिवेदन से पहले का है, वह 6 अगस्त सन् 71 का है और दूसरा रिट 4–11–71 का है जबकि प्रतिवेदन आ चुका था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यह रुख मालूम हो गया ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

एक निवेदन में यह करूंगा कि इस समिति के बारे में शासन की ओर से कार्यवाही हो रही है । जिन 3 सदस्यों के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि बाईलाज के नियम है कि यदि कोई पूंजीपति या बड़ा आदमी है तो मैंने निवेदन किया कि यह मूल भावना के खिलाफ है और जो वहां के निवासी नहीं हैं उनको हटाया जा सकता है यह तीनों हट सकते हैं लेकिन हाई कोर्ट में अभी रिट कि ा हुआ है । शासन और विभाग इस से आगे बढ़ा है और शासन ने इस समिति के समापन का भी निर्णय कर लिया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

और भी है कि जो बाहर के रहने वाले हैं वह नहीं पा सकते ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

इस समिति के समापन के आदेश प्रसारित हो चुके हैं । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य सहकारिता विभाग द्वारा की जाने वाली त्वरित कार्यवाही की ओर ध्यान देंगे और ऐसे सुझाव देते रहेंगे ताकि हम उनकी मंशा की पूर्ति कर सकें और हरिजन भाइयों की सेवा करने में सक्षम हो सकें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

इसके अलावा जुग्गौर सहकारी समिति के गबन का मामला भी पुराना आश्वासन का है, वह भी अभी अपूर्ण चला आता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह उपनियम मैंने देखे उसमें एक तो यह है कि "कोई सदस्य अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकेगा जब तक वह उपनियम 4 के अनुसार कार्य नहीं करेगा, उसके अन्तर्गत न हो ।" कि परमानेन्टली वह व्यक्ति वहां रहता हो ।

"Ceasing to cultivate the land allotted to him for two consecutive seasons."

इसलिए सरकार का बड़ा स्कोप है ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973†

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह जो बिल सदन के सामने विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है । इसके खंड 2 "ख" में जो प्राविधान है वह इस प्रकार है :

"प्रतिबंध यह है कि यदि इस बीच में उत्तर प्रदेश में शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा आरोपित करने की कोई विधि प्रवृत्त न हो जाय तो राज्य सरकार, समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा उक्त अवधि को बढ़ा सकती है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जब हम खंडों पर विचार करें तब आप आपत्ति उठा सकते हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

यही तो मुमकिन है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो खंड पर चले गये ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

आप हमारी पूरी बात तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब खंड के ऊपर विचार आये तो तब आप कह लें । अभी तो आप यह कह सकते हैं कि आये या न आये ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यही तो कह रहा हूं कि आ नहीं सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह विधान परिषद् से पास होकर आया है । यह स्टेज नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, यही स्टेज है । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर यह कौंसिल में पास होकर आया है तो यहां पर विचार न किया जाय । श्रीमन्, यह विधेयक पास हो ही नहीं सकता है क्योंकि इस विधान सभा की जो विधायनी शक्ति है, वह केवल विधान सभा और विधान परिषद् के न होने की दशा में केवल राज्यपाल को ही यह अधिकार है कि वे आर्डिनेंस के जरिये, संविधान के अनुसार, हमारी विधायनी शक्ति ले सकते हैं । उसमें यह भी प्राविधान है कि अगर वे इस

† 22 जनवरी, 1973 की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री कल्पनाथ सिंह]
विधायनी शक्ति का प्रयोग उठायेंगे, तो इस सदन के सामने वह आर्डिनेंस आवेगा। जब यह सदन उसका अनुमोदन कर देगा तब माना जायगा। इस विधेयक में यह व्यवस्था की जा रही है कि जो हमारे सदन की विधायिनी शक्ति है, वह सरकार को ट्रान्सफर कर दी जाय। मेरा इस पर एतराज है, संवैधानिक।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका तर्क आपके ही विपरीत जा रहा है। जब यह विधान परिषद् से यहां पर आया तो इस पर आपको कहना है कि आप इसको स्वीकार करते हैं कि विचार हो या न हो। बाकी जो आपत्ति आप उठा रहे हैं जब हम खंडों के ऊपर विचार करें तब आप अपनी बात कहें? यह आर्डिनेंस नहीं है। एक विधेयक है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, यह आर्डिनेंस नहीं है, एक विधेयक है और जो विधेयक ये पास कर रहे हैं, उसमें यह प्राविधान किया जा रहा है कि सरकार को इस प्रकार की शक्ति दे दी जाय। जैसा कि इस विधेयक में कहा गया है कि सरकार उस गजट में अपनी शक्ति को प्रकाशित करे।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपत्ति निर्मूल है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, संख्या के बल का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपका बल नहीं है। खंडों वाले हिस्से पर आप कह सकते हैं। आपको अधिकार है। आपको कोई चुनौती नहीं देता हूं। लेकिन आप बतायें कि यह विधेयक कैसे नहीं आ सकता है?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इस विधेयक के विचार किये जाने पर मुझे दूसरी आपत्ति है।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

श्रीमन्, यह सदन दिसम्बर के महीने में यह संशोधन पारित कर चुका है कि 31 दिसम्बर तक हस्तान्तरण रोक दिये जायं। अब चूंकि 31 जनवरी तक यह विधेयक पास नहीं होगा इसलिये आवश्यकता इस बात की पड़ी कि इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी जाय। हमारे माननीय सदस्यों ने जो ऐतराज किया उस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि यह केवल टैक्नीकल है। सम्भवतः यह विधेयक इस सदन से पारित हो जाने के बाद भी 30 अप्रैल तक प्रेसीडेंट की अनुमति नहीं मिल सकेगी। प्रेसीडेंट के लिए और समय बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए रख दिया गया है और कोई खास बात नहीं है। हम माननीय सदन से निवेदन करते हैं कि इस विधेयक पर विचार करें।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, 30 दिसम्बर को राजस्व मंत्री ने कहा था कि 31 जनवरी, 1973 तक बिल ला देंगे और इसका समय बढ़ा दिया जाय। इन लोगों ने बिल का स्वागत किया और पारित हो गया। मान्यवर, इनकी नीयत में शुबह हो रहा है। शहरी सम्पत्ति सीमा विधेयक को वे पास नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि यह बिल हट जाय और केन्द्र से पांच लाख का पास हो जाय। यह इनका मतलब है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर उसमें मतलब क्या है। समय क्यों बढ़ाया जा रहा है। पचास हजार से एक लाख तक की सीमा बांध दें तो यह एक घंटे में पास हो जायेगा। मान्यवर, इनकी नीयत मालूम होती है साफ नहीं है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बचाने के लिये ये सब किया जा रहा है।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मार्च तक के लिये हम तीन महीने और बढ़ाना चाहते हैं। यह कह रहे थे कि कल कार्य मन्त्रणा समिति में सब लोग तैयार हुए थे तीन महीने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष—

हमको स्मरण नहीं है।

श्री वंशीधर पांडेय—

मान्यवर, उसमें मार्च ही वर्ड कहा है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मार्च तक के लिये रख दिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, ये 74 तक यानी इलैक्शन तक बिल नहीं लायेंगे।

श्री वंशीधर पांडेय—

मान्यवर, अगर कार्यवाही वाले प्रोसीडिंग्स लिखे होंगे तो उसमें होगा। उस कार्यवाही को निकाल लीजिए।

*श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपको स्मरण होगा कि पिछली बार श्रीमन्, यह विधेयक आया। उस समय भी स्पष्ट कल्पना दी गई थी कि जितनी जल्दी होगा पारित कर दिया जायेगा और आपको ध्यान होगा इस सदन में बार-बार मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि शहरी और गांव की सम्पत्ति के बारे में साथ-साथ विधेयक लाये जायेंगे। उस आश्वासन से सरकार पीछे हट ही गई। शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण तो नहीं कर रही है। इसमें निर्बन्धन के ऊपर एक दोष है जिसकी सरकार ने रोक लगा दी है। जो प्रदेश के अन्दर छोटे-छोटे आदमी किसान, अध्यापक हैं वे मामूली सम्पत्ति का स्थानान्तरण नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मामूली लोगों को नुकसान हो रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार रेट्रास्पैक्टिव एफैक्ट से लगायेगी तो जो सलूक उन लोगों के साथ होगा जो लोग आज से छः महीने पहले या एक साल पहले खरीद चुके हैं वह सलूक इनके साथ कर सकते हैं। मामूली आदमी को नुकसान हो रहा है। जैसे कि भाई कल्पनाथ सिंह ने कहा कि "खंड" के लिये कह दिया। उन्होंने मूल बात कहीं। उन्होंने आगे प्रतिबंध लगा दिया कि यह समय 31 अक्तूबर तक बढ़ाया जा सकता है।

31 अक्तूबर तक बढ़ाने की व्यवस्था इसके अन्दर कर दी है। इसको 30 अप्रैल तक न समझें, 31 अक्तूबर तक समझें, यह सरकार का इरादा है जसा माधव बाबू ने कहा कि 74 के पहले यह नहीं करना चाहते। हमारी यह आपत्ति है कि सरकार विधेयक नहीं लाना चाहती।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपत्ति आपकी हो सकती है लेकिन विधेयक ही न लिया जाय ऐसा नहीं है।

श्री नित्यानन्द गोस्वामी—

माननीय कल्पनाथ जी ने जो बात कही वह संवैधानिक है। क्या इस विधेयक के अन्दर इस सरकार को ऐसी शक्ति दी जा सकती है कि बिना सदन की आज्ञा के 31अक्तूबर तक बढ़ाते जायं?

श्री उपाध्यक्ष—

जो शक्ति दी जाती है वह सदन द्वारा दी जाती है। सदन सर्वोपरि है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, कल अधिकतम सम्पत्ति सीमा विधेयक वापस करने के लिये माननीय राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव पेश किया था। उस वक्त उन्होंने यह बात कही थी कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये इस सदन में समय नहीं है और वह चाहते हैं कि इसमें देर न होने पाये इसलिये विधान परिषद् में जो समय है वहां विचार हो जाय। दिसम्बर में उनका इरादा था कि जनवरी 31 के अन्दर ही यह विधेयक पास हो जायेगा। इसी आश्वासन के आधार पर अंतरण पर अस्थायी निर्बन्धन विधेयक की मियाद 31 जनवरी तक बढ़ायी गयी थी। उन्होंने उस आश्वासन का उल्लंघन किया जो दिसम्बर में उन्होंने दिया था कि 31 जनवरी तक यह शहरी संपत्ति सीमा विधेयक पास हो जायेगा। कल भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करना चाहते हैं इसलिए इसको कौंसिल में ले जाना चाहते हैं और इसी आश्वासन पर उनको इजाजत दी गयी। उन्होंने यह भी कहा था कि मार्च के महीने में इस विधेयक को ले आयेंगे। लेकिन आज जो लाया गया है इसमें कहा गया है कि 30 अप्रैल तक समय बढ़ा दिया जाय लेकिन प्रतिबन्धात्मक खंड लगा कर कह दिया गया है कि सरकार समय समय पर अधिसूचना द्वारा उक्त अवधि को बढ़ा सकती है 31 अक्तूबर तक। कल के आश्वासन के यह खिलाफ है। इसमें आप हस्तक्षेप करें।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर मैं आपसे सहमत भी हूं तो अध्यक्ष क्या करे जब बहुमत पास करना चाहे। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही थी। अध्यक्ष जी ने कहा कि चौधरी साहब का जो सवाल है नीति सम्बन्धी खाद्य व्यापार करने का उसके बारे में समय तय हो। लेकिन गये रहे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कार्य मंत्रणा समिति ने इसको भी पास कर दिया कि यह बिल भी ले लिया जाय।

श्री बंशीधर पांडेय--

जब अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा तब।

श्री उपाध्यक्ष--

सभी सहमत थे।

श्री बंशीधर पांडेय--

कार्य-मंत्रणा समिति में केवल एक विषय के लिये कहा। आपके भाषण से मालूम हो जायेगा कि एक चीज के लिये हम लोगों ने एग्री किया था।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या यह सही नहीं कि जिस काम के लिये कार्य-मंत्रणा समिति का ऐलान किया गया, उसको अलग करके दूसरा काम ले लिया। इसमें दोषी कौन है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

यह तो अध्यक्ष और आपको कहना चाहिये। बिजनेस आफ दि हाउस है 24 तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अध्यक्ष जी के इनसिस्टेंस पर चूंकि एक महीने का समय जनवरी 31 को खतम हो जायेगा, इसलिये मार्च तक और बढ़ा दिया जाय, यह बात हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम क्या करें ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

आपकी अध्यक्षता में, आपके अध्यक्ष की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। ये अगर इस सदन के विपरीत कार्य करते हैं तो मेरे अधिकारों की रक्षा के लिये आप इनको रोक सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---
कोई बात विपरीत नहीं हो रही है। स्वयं आपने किया है।

श्री बंशीधर पाण्डेय---
इसको इन्होंने अक्तूबर तक बढ़ाया है..

श्री उपाध्यक्ष---
विधेयक से आशा की जाती है कि आप उसे पढ़े होंगे....

श्री बंशीधर पाण्डेय---
मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था तीन महीने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष---
मंत्रीजी ने क्या कहा और आपने क्या कहा, इससे मेरा मतलब नहीं।

श्री बंशीधर पाण्डेय---
पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 'दि प्रिसाइडिंग आफिसर मस्ट बी कान्सस ..

श्री उपाध्यक्ष---
अगर यह आप कहते हैं, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं विरोधी दल में होता तो हरगिज नहीं मानता।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---
मान्यवर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इन्होंने सरकार की बात को कैसे मान लिया।

श्री उपाध्यक्ष---
आपने चाहे सद्भावना में मान लिया या धोखे से मान लिया मान तो लिया।

श्री बंशीधर पाण्डेय---
कल आपने देखा था। हम सभी लोगों ने कहा था कि 24 तक के प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष---
मैं बहस में नहीं जाता, परिणाम क्या हुआ? एग्री किया कि नहीं?

श्री बंशीधर पाण्डेय---
सरकार धोखा दे रही है। पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर बिल्कुल जाल-बट्टे का काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---
यह तो आप कहें, आपको अधिकार है। इसमें आपत्ति नहीं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---
खण्ड 2-क(ख) निकाल दें तो मसला हल हो जाय। (ग) तक एग्री करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---
अभी खण्ड पर कैसे जा रहे हैं?

आप जो करते हैं उत्तरदायी ढंग से करते हैं। जो आप लोगों ने तय किया, वह रखा दिया। वह आपके सामने है।

श्री बंशीधर पाण्डेय—
आप इनको रोक दीजिये और फिर से मीटिंग बुलाइयें तो देखिये ···

श्री उपाध्यक्ष—
यह हो सकता है कि आपको भ्रम हुआ हो, जो एक नहीं अनेकों बार हो सकता है ।

श्री बंशीधर पांडेय—
आप सेक्रेटरी जो बुलवाकर प्रोसीडिंग देख लें, क्या तय हुआ था ।

श्री उपाध्यक्ष—
वह अब नहीं ···

श्री बंशीधर पांडेय—
जबान की कोई कीमत होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—
यह सब आप अपने भाषण में कह सकते हैं । इस विधेयक के हटाने संबंधी कोई आधार नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय—
यह विधेयक अपने आप खत्म हो गया क्योंकि 5 बजे गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—
वह तो रख दिया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—
अभी नहीं रखा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष—
आप तथ्य से हट गये ।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—
यह सरकार वचन भंगी है । ये तो छोटे मन्त्री हैं । इनके बड़े मन्त्री श्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि इंजीनियरों की हड़ताल खत्म हो गयी लेकिन यहां हजारों की तादाद में इंजीनियर पड़े हुए हैं क्योंकि आई० ए० एस० आफिसरों ने धमकी दी है कि अगर विद्युत् परिषद् के चेयरमैन को हटाया गया तो वे भी स्ट्राइक करेंगे । ऐसे ही हम लोगों को धोखा दिया गया है ।

श्री जयराम वर्मा—
कल जब राजस्व मंन्त्री ने आश्वासन दिया था तब हम लोग इस बात के लिये सहमत हुए थे यद्यपि विधेयक का वापस लिया जाना टेक्निकली करेक्ट नहीं है तब भी वापस ले लिया जाए । नियम 171 में जो शर्तें दी गयी हैं उनका पूरा होना जरूरी था तब 172 में जो प्रोसीड्योर दिया हुआ है, उस पर कार्य होता । लेकिन आज देख रहे हैं कि बात कुछ और है । कार्य मंत्रणा समिति में आश्वासन दे दिया गया और यहां पर भी दिया गया—दोनों का उल्लंघन किया जा रहा है । यह किसी तरह से उचित नहीं है । इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए । इसलिये हम इसका विरोध करते हैं और हरगिज इसको यहां किसी तरह से न लिया जाए ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद—
यह विधेयक आज विधान परिषद् में पेश हुआ है और उसके ऊपर विचार हो रहा है वहां पर । जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि राजस्व मन्त्री ने जो कल आश्वास दिया था वह पूरा नहीं हुआ, वह गलत है । आज विधेयक के ऊपर विचार हो रहा है और वह पारित हो जायगा । 3 महीने की मियाद के बारे में पाण्डे जी ने कहा तो 30 अप्रैल तक 3 ही महीने तो होते हैं—फरवरी, मार्च, अप्रैल ।

श्री बंशीधर पांडेय--
मार्च में 3 महीने कहा था ।

श्री राम बिलास पाण्डेय--
वे कमीशन की रिपोर्ट को भी एक-एक व दो-दो दिन करके टाल रहे हैं ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--
इस अक्तूबर की बात को निकाल दें ।

श्री उपाध्यक्ष--
इसमें तो हम नहीं जाते कि कार्यवाही में क्या लिखा है । अधिनियम की जानकारी तो सब को होनी चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह--
यह अधिनियम तो आज इस सदन में आया है । आप जरा दे खिये यह बिल किस तारीख को पेश हुआ था ?

श्री उपाध्यक्ष--
हम बताते हैं तारीख-18 तारीख को वितरित हुआ था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
क्या इसका रूप वही है जो कि 18 तारीख को था जबकि वह वितरित हुआ था? अगर बदला हुआ है तब तो यह नही माना जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--
काउंसिल से जब पास होकर आया तो सदन के पटल पर रखा गया । जब परिषद् से आता है तब तो रखा ही जायेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
कल कहां रखा गया ? आज रखा गया । इसके पहले जो रखा गया वह भिन्न था या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--
यह कल 22 जनवरी का कार्यवृत्त है । उसमें है--"सचिव, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन के पटल पर रखा है ।"

तो कल के एजेंडे पर है, देख लीजिये ।

श्री बंशीधर पांडेय--
यह कर दीजिये कि इसकी एक बार फिर मीटिंग बुलाइये और जो आश्वासन दिये हैं उनके अनुसार पेश करना होगा । मन्त्री जी अपना आश्वासन बतावें कि 3 महीने से ज्यादा हम कहां जा रहे हैं .....

श्री उपाध्यक्ष--
यह अधिकार हमको कैसे है?

श्री बंशीधर पांडेय--
समय भी इसके लिये नहीं है निर्धारित कार्य-मन्त्रणा में ।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन की समिति है। इसमें देखें कोई ऐसा कारण नहीं है.....

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

आप नियम 116 पढ़ें---"कोई विधेयक, जो सदन में किसी अन्य लम्बित विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है उस विधेयक के पारित हो जाने की प्रत्याशा में, जिस पर कि वह निर्भर है, सदन में पुरःस्थापित किया जा सकेगा, परन्तु ऐसा विधेयक सदन में विचार किये जाने तथा पारित किये जाने के लिये तभी लिया जायेगा जबकि लम्बित विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और, यथास्थिति, राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।"

मेरा यह कहना है कि यह जो विधेयक आया है यह शहरी संपत्ति सीमा विधेयक पर ही एक प्रकार से आधारित है। जब तक कि शहरी संपत्ति जो विधेयक है वह दोनों सदनों से पारित न हो जाय तब तक यह आ ही नहीं सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कैसे ? यह आपत्ति निर्मूल है।

श्री बंशीधर पांडेय---

मेरा तो आपसे निवेदन है कि अगर यह कार्य मन्त्रणा समिति की बात और उसकी प्रोसीडिंग्स और कार्यक्रम है तो मेरा ऐसी कार्य-मन्त्रणा समिति से इस्तीफा ले लीजिये और मैं ऐसी समिति में राय नहीं दे सकता जिसमें मन्त्री इस प्रकार से झूठ का प्रयोग करता है। मेरा इस्तीफा ले लीजिय, मैं नहीं बैठूंगा। मैं डिस्एसोशिएट करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अगर ऐसी बात है तो हमारे सदस्य भी जो उससे संबंधित हैं वह इस्तीफा देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह आपके देखने की चीज है कि..

श्री बंशीधर पांडेय---

जो मन्त्री बयान देकर निकल जाता है, झूठ बोलता है तो मैं क्या फालतू आदमी हूं कि ऐसी कार्य मन्त्रणा समिति में बैठ कर अपनी इज्जत गंवाऊंगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं स्वीकार नहीं करता। वह स्वयं उत्तरदायी सदस्य हैं, मैं समझता हूं कि उन्होंने नियमों को पढ़ा है और जो यह विधेयक आया उसको पढ़ा है।

श्री बंशीधर पांडेय---

आपकी अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई है, आप भी हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिये एक अधिकारी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

समय से कोई चीज आयी.....

श्री बंशीधर पांडेय---

मुझे समिति से आप अलगा क्यों रहे हैं ? मन्त्री जी ने क्या कहा था ? 3 महीने उन्होंने कहा था---जनवरी, फरवरी और मार्च....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं विरोधी पक्ष और सरकारी पक्ष के नुक्ताएनजर की तफसीलों में नहीं फंसूंगा। मैं परिणाम से निर्देशित हूंगा। एक विधेयक कल रखा गया है, अब क्या हो सकता है आप धोखा खा गये होंगे.....

धोखा देने वालों को सजा भी दी जाय, जिन्होंने 3 महीने के लिये कहा था। पार्लियामेंटरी मामले के मन्त्री बैठे तो हैं।

अगर आप उनके कहने पर ऐसे ही धोखे में आ जायेंगे तो विरोधी पक्ष के लिये तो पचासों बातें कह देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

आप अध्यक्ष हैं और जो भाषण कर रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

पांडेय जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप भी सदस्य हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो अधिनियम है वह पढ़ा होगा जिस पर आग्रह कर रहे हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

यह बिल मेरे सामने आया ही नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष---

इग्नोरेन्स आफ ला इज नो एक्सक्यूज। इटर्नल विजिलेन्स ही स्वाधीनता का एक गुण है। यह नियमानुसार टेबिल पर रखा गया था और आपने कहा कि उसको ले लीजिये।

श्री कल्पनाथ सिंह---

सरकार ने कहा था कि 31 मार्च तक के लिये यह विधेयक है, इसको ले लिया जाय

श्री उपाध्यक्ष---

यह मेरी जानकारी है कि 6 महीना और बढ़ा दिया जाय यह भी चर्चा आयी थी।

श्री बंशीधर पांडेय---

इस बात को पहले आपने नहीं कहा। 6 महीने का इसमें क्लियर नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से बहस करने से क्या फायदा ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

बहुत अच्छा किया, श्री बंशीधर पांडेय जी ने कि ऐसी कार्य मन्त्रणा समिति से, जिसमें सरकारी पक्ष द्वारा दिया गया वचन तोड़ा जाता है, अगर अपने को डिसएसोशियेट कर लिया तो बहुत ही अच्छा काम किया।

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो आपके सोचने की बात है। इसमें मैं क्या करूं?

श्री कल्पनाथ सिंह---

इस झूठ का पर्दा फाश करने के लिये इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। जिस तरह की घटना कल हुई है और आज हो रही है इसको देखते हुए मजबूरी है कि आप कार्य-मन्त्रणा समिति में कोई सदस्य जो विरोधी पक्ष का है, जैसा कि आपने भी कहा कि अगर मैं विरोध पक्ष में होता, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सरकारी पक्ष में हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---

इसका मतलब यह है कि मैं बीच में हूं । अगर ऐसे ही मतलब आप निकालते हैं तो आप धोखा खायेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

धोखा तो आपने खिला दिया ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह बात गलत है । आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं । मैंने किसी को धोखा नहीं दिया । आप स्वयं धोखा खाये हैं । एक प्रश्न है । अगर उस पर आप सहमत हो जाते हैं तो मैं क्या करूं ? (व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

जब तक यह बिल पास न हो जाय तब तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मौजूदा कार्य मन्त्रणा समिति इस बात पर राजी हो गयी थी कि आज यह विधेयक इस हाउस में लाया जायगा । इनका निवेदन तो खाली इतना ही है कि जब हमने आज के लिये रजामन्दी दी थी तब सरकार के पक्ष से हमको यह आश्वासन दिया गया था कि 31 मार्च तक मूल विधेयक यहां पर ले आयेंगे और उसको पास करा देंगे । अब यह देख लें कि कितने स्टन्ट वाली और नुमायश वाली सरकार है । 21 दिसम्बर को इन्होंने निश्चित आश्वासन दिया और अब इन्होंने उस मूल विधेयक को ही वापस ले लिया और नया विधेयक लाने के लिये यह चाहते हैं कि वह अवधि और बढ़ जाय । इसलिये यह नौबत आयी है । यह आश्वासन दिया था कि 31 मार्च के अन्दर पास करा देंगे । मैं यह माने लेता हूं कि विरोध पक्ष की तरफ से यह गलती हुई कि उन्होंने विधेयक को पढ़ा नहीं । इसमें इन्होंने लिख दिया है कि 30 अप्रैल तक तो सदन बढ़ा दें उस अवधि को और उसके बाद सरकार को अख्तियार दे दे कि नोटिफिकेशन के जरिये से 6 महीने का विस्तारण और कर दे उस अवधि का । तो इसमें विरोध पक्ष को धोखा दिया गया। माननीय नेता विरोधी दल ने ठीक ही कहा कि अगर इसको 30 अप्रैल तक पास करा देने के लिये कहते तो इसकी अनुमति सदन दे देता । यह इसके लिये तैयार नहीं हैं । अब सदन जो कुछ उचित समझेगा कार्यवाही करेगा ।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, मुझे बड़ा सौभाग्य मिलता रहा है कार्य मन्त्रणा समिति में और सम्मानित बंशीधर पांडेय जी, माननीय हरिनाथ तिवारी जी व अपने बुजुर्ग साथी, चाचा जी का पूरा सहयोग मिलता रहा है . . . .

श्री बंशीधर पांडेय---

आप ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिये । आपकी तरफ से अब विश्वास हट गया है । मैंने कह दिया है कि मैं इस कमेटी में नहीं जाऊंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

आप इस समय क्रोधित हैं (व्यवधान) जब आप अपनी मधुरवंशी फिर धारण करेंगे तो फिर आप शांत हो जायेंगे और आपका सहयोग मिलेगा . . . . .

श्री बंशीधर पांडेय---

आप कमलापति जी को भी धोखा दे रहे हैं । हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप अकारण क्रोधित हो रहे हैं। कार्य मन्त्रणा समिति में कभी भी विधेयक के सब्स-टेंस पर बहस नहीं होती, यह चर्चा होती है कि विधेयक कब लिया जायेगा....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमने पहले ही कह दिया कि हमने रजामन्दी दे दी होती यदि आपने अपना आश्वासन पूरा किया होता और 31 मार्च तक आप इस विधेयक को ला कर पास करा देते। आपने आश्वासन दिया था ..... (व्यवधान) आपके राजस्व मंत्री जी ने आश्वासन दिया था.....

श्री बंशीधर पांडेय—

आपने आश्वासन दिया था। कमेटी में आपके कहने पर ही हम लोग राजी हुए थे..

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप कार्यवाही कल की देख लें कोई अगर आश्वासन दिया गया होगा तो हम मान लेंगे, मगर ऐसी बात नहीं थी.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आज हाऊस को स्थगित कर दीजिये, कार्यवाही कल की देखकर कल इसको ले लीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कल संसदीय कार्याधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस विधेयक में 3 महीने का अधिकार लिया गया है और फिर नोटिफिकेशन के जरिये 3 माह का अधिकार ले रहे हैं। यह चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी थी। आप तो वहां मौजूद थे, सचिव विधान सभा भी मौजूद थे। (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

ठीक है सचिव विधान सभा पर टाल दिया जाए। कल फेस टू फेस बैठ जाइये और देख लीजिये कि किसने क्या कहा है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

उसमें उन्होंने कहा, हमने प्रस्ताव दिया है और अध्यक्ष महोदय ने कहा इसी सत्र में वह होगा। चौधरी साहब ने यह कहा यह सरकार के लिये और प्रदेश के लिये भी हितकर होगा, इन तीन दिनों में हो जाये। कार्य-मन्त्रणा समिति की जो बैठक हुई थी, वह एक विषय में हुई थी कि थोक-व्यापार पर चर्चा आज या कल में कब चलाई जाए। मुझे आश्चर्य हुआ यह देखकर कि विधेयक पर कब चर्चा हुई। आपने कहा थोक-व्यापार पर कब चर्चा चलाई जाए और कार्य-मन्त्रणा समिति में चलने लगी चर्चा विधेयक पर। अब आप आंख मूंदकर कहते हैं कि विधेयक कल ले लिया जाए और जिस बात पर बात हुई कार्य-मन्त्रणा समिति में उस पर कोई चर्चा हुई नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सचमुच, मुझे इस विषय पर जो चर्चा हुई, उसे सुनकर बड़ा दुःख हुआ। कल मैं संयोग से उस मीटिंग में उपस्थित नहीं था। कार्य-मन्त्रणा समिति का मुझे पता भी है, जिस वक्त प्रश्न सामने आता है कि अमुक विधेयक अमुक दिन ले लिया जाए—तो ठीक है वह ले लिया जाए, कल ही इसको ले लिया जाये, किन्तु उस वक्त विधेयक सामने नहीं रहता है। वहां भी वह राजनीति का प्रयोग करते हैं, हमें विधेयक का पूरा ज्ञान नहीं रहता है। वह हमसे कभी

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कभी कमिट करा लेते हैं। हमें खेद है, यह एक बार नहीं, कई बार हुआ है। ऐसा पहले भी एक बार हुआ था और यहां यह कहकर विधेयक लाया गया और वह एक-एक करके पास होता चला गया। वैसी ही स्थिति मान्यवर, कल पैदा हुई मुझे लगती है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं बंशीधर पांडेय जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक है। 31 मार्च तक पूर्ण विधेयक ला रहे हैं तो वह ले आएं, यह भावना रही होगी। आप उपाध्यक्ष जी स्वयं विचार कर लीजिये क्या विरोध पक्ष कभी इस बात पर राजी हो सकता है कि 31 अक्तूबर तक उसकी लाइफ बढ़ाने की अनुमति दे दी जाए ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह अधिनियम भी कल संयोग से वहां था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जब तक मैं रहा, तब तक तो मैंने नहीं देखा, कल रही होगी। मैंने यह अनुभव किया है कि जब तक विधेयक सामने न हो तब तक उस पर हम लोग कोई निर्णय न लिया करें। कोई भी व्यक्ति इसके पक्ष में नहीं हो सकता है कि 31 अक्तूबर तक इसकी अवधि बढ़ाई जाए। इस वक्त तो इस तरह से आप अपना संकट टाल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह उस वक्त भी नहीं लायेंगे इसे। सब लोगों के लिये अपनी सम्पत्ति का ट्रांसफर रुका हुआ है, लोगों के आवश्यक काम रुके हुए हैं। आवश्यक और अनावश्यक काम दोनों को रोककर आप राजनैतिक लाभ उठा रहे हैं और लोगों को तबाह कर रहे हैं। मैं समझता हूं आज इसे नहीं प्रस्तुत करना चाहिये, इस पर आज विचार नहीं होना चाहिये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य मन्त्रणा समिति में आप भी मौजूद थे और हम भी मौजूद थे, बल्कि मन्त्री महोदय तो घंटे पौन घंटे बाद आये और आपने हमें कैद कर रखा था। उनके आने के पहले वहां पर चाय आ गयी, काफी आ गयी। तब मन्त्री जी आये। मन्त्री जी ने हम से कहा कि 30 अप्रैल तक का ही मसला है, अगर यह नहीं होगा तो हम मर जायेंगे। भाई मान जाओ, मान जाओ। इसको कल आने दो। जब हमने कहा कि नहीं होना चहिए तब फिर उन्होंने कहा कि मान जाओ। फिर हमने यह सोच कर कि 30 अप्रैल तक का ही मामला है हम तैयार हो गये। ट्रेजरी बैंच भी तैयार हो गयी। लेकिन हमारे जनसंघ और कांग्रेस (ओ) के भाई किसी तरह से तैयार नहीं हुए। हमने तो यह चाहा था कि इसे पहले दिन रख दिया जाय क्योंकि चौधरी चरण सिंह का प्रस्ताव भी कल होगा। उस समय आपने भी कहा था कि उनका प्रस्ताव ले लिया जाय और उसी पर हमने इस विधेयक के लिये सहमति दी थी।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह तो आपने अपने स्वार्थ में सरकारी पक्ष को सपोर्ट किया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

यह बात गलत है। इन्होंने तीस अप्रैल तक की ही बात कही थी। 31 अक्तूबर की तो कोई बात ही नहीं आयी थी। यह 31 अक्तूबर अब कहां से आ गया ?

श्री बंशीधर पांडेय---

उपाध्यक्ष जी, इस तरह से धोखा दिया जायगा तो मैं कहता हूं कि कार्य-मन्त्रणा समिति में बैठा नहीं जायगा और अधिनियम यहां पढ़ कर होगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

किस खूबसूरती से और मिठास का वातावरण पैदा करके तिवारी जी ने धोखा देकर रजामन्दी ले ली है। जब धोखा देकर रजामन्दी ले ली जाती है तो वह मान्य नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष--
यह कोई कोर्ट आफ ला नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--
यानी आप यह कहते हैं कि पालिटिक्स में फ्राड जस्टीफाइड है।

श्री जयराम वर्मा--
उपाध्यक्ष महोदय, यहां किसी भी पार्टी की तरफ से चाहे विरोधी दलों की तरफ से हो या उधर से कोई बात कही जाय तो दोनों तरफ से उस बात की पाबन्दी होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि किसी को आउटविट करने के लिये कह दिया था। आउटविट की बात यहां नहीं होती। जो कुछ हम कह रहे हैं, उसके पाबन्द हम हैं। सरकार जो कुछ कहे उसके लिये उसको भी पाबन्द होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि सही बात न रखी जाय और किसी तरह से कोई बात तय करा ली जाय और उसको फिर सदन में रखवाया जाय। यह बात मुनासिब नहीं है। जो बात कही गयी थी वह साफ-साफ तीन महीने की बात थी। इससे ज्यादा की बात नहीं थी और अब यह जो नया खंड जोड़कर विधेयक लाया गया है वह किसी तरह से भी उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--
ठीक है। बैठिये आप। मैं पूछे लेता हूं।

श्री जयराम वर्मा--
आपको भी याद होगा कि राजस्व मन्त्री जी को कार्य-मन्त्रणा समिति में विधेयक की वापसी के बारे में जो बात हुई थी वह उनको मालूम नहीं थी। उसको अलग से वित्त मन्त्री जी ने तय करा लिया था और यहां से सरकार ने वापस ले लिया कि पहले उसको काउंसिल में पेश कर देंगे। तो जो बात हमने कही थी वह तीन महीने की बात थी।

श्री बंशीधर पाण्डेय--
आप उपाध्यक्ष जी, विरोधी पक्ष की बात को सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष--
विरोधी दल के नेता ने एक सवाल उठाया था।

श्री कल्पनाथ सिंह--
जरा सुन लीजिये। फिर सुझाव पर विचार कीजियेगा। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--
पहले एक सवाल उठा है उसका जवाब दे लेने दें। व्यवस्था का सवाल बाद में उठाइयेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--
नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं एवं सदस्यों ने जो सुझाव दिया है उस सम्बन्ध में कल कार्य-मन्त्रणा समिति में स्पष्ट कर दिया गया था.....

श्री जयराम वर्मा--
सचमुच आपका पास करने का इरादा है तो 30 अप्रैल तक कैसे संभव नहीं है यह बात समझ में नहीं आती।

श्री नारायणदत्त तिवारी--
कल का एजेंडा निश्चित है। परसों विधान परिषद् के सामने जा नहीं सकता। इसलिये यह सम्भव नहीं है.....

श्री कल्पनाथ सिंह--

प्रक्रिया नियमावली का नियम 15 का जरा अवलोकन करें जो इस प्रकार है "उपवेशन का समय (1) सभा का उपवेशन 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक होगा :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में सदन संकल्प द्वारा उपवेशन के समय को बढ़ा सकेगा। अध्यक्ष स्वयं भी उपवेशन का समय 15 मिनट के लिये बढ़ा सकेंगे।"

इस समय सदन ने कोई संकल्प नहीं लिया। आपका 15 मिनट का समय समाप्त हो गया। इसलिये मेहरबानी करके इस विवाद को अब समाप्त कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

17 तथा 18 आइटम अभी और हैं और हमेशा जैसा होता था वैसा किया जा रहा है . . .

श्री कल्पनाथ सिंह--

नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का फैसला है। नियम के विरुद्ध नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह प्रस्ताव कब पास हुआ है? 5 बजे के बाद? नियम 15 आप किस नियम के अन्तर्गत काट रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

यह अनियमित इसलिये नहीं है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में यह व्यवस्था थी. . . . . .

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह नियम सदन की कार्य-प्रणाली के बारे में है। विधेयक तो बहुत छोटी बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

जितना कार्य एजेंडे पर होगा वह यथासम्भव सम्पादित होगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह धींगामश्ती नहीं चलेगी। इस तरह से सदन नहीं चलेगा। नियमों के अनुसार ही सदन चलेगा।

श्री रामविलास पांडेय--

कार्य-मन्त्रणा समिति में यह तय हो चुका है . . . . (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

कार्य-मन्त्रणा समिति में तय हो चुका है कि 5 बजे के उपरान्त कोई कार्य नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नियम 49 देख लें जो इस प्रकार है--

"(1) अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर जो सदन में हाल में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिये आधे घंटे का समय नियत कर सकेंगे।

(2) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें यह नियतन साधारणतया सदन के उपवेशन के दौरान में किसी मंगलवार या बृहस्पतिवार के लिये सामान्य कार्य की समाप्ति के उपरान्त किया जायगा।"

श्री बंशीधर पांडेय—

सामान्य कार्य के बाद यानी 5 बजे के बाद अब आप नियम 49 के प्रश्नों का समय ले रहे हैं। 17 और 18 में जो हैं वह सामान्य कार्य के उपरान्त है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपसे पूछता हूं कि 5 बज गये हैं और वह शुरू नहीं हुआ तो समाप्त कैसे हो गया...

(घोर व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

यह किसी दूसरे दिन लिया जाय। आप नियम 49 और 51 समय पर नहीं लेते।

(विरोध पक्ष के बहुत से माननीय सदस्य खड़े हो गये और सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी जितनी बातें आपने उठाई हैं क्या उसमें समय नहीं लगा?

श्री बंशीधर पांडेय—

आप अध्यक्ष की कुर्सी पर होते हुए भी कहें कि मैं विरोधी दल में होता तो 5 बजे के बाद सरकारी काम को काटकर नियम 49 का आइटम ले आता.... (व्यवधान)। आप अध्यक्ष की हैसियत से यह कहते हैं। यह अनियमित हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

अनियमित नहीं है। नियमित है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

कार्य-मन्त्रणा समिति में यह निश्चय हुआ था कि 5 बजे के बाद विधान सभा की बैठक नहीं होगी सिवाय उस दिन के जिस दिन वह किसी विशेष परिस्थिति में किसी कार्य के लिये समय निर्धारित कर दे। लिहाजा यह कार्य-मन्त्रणा समिति में नहीं गया है इसलिये अनियमित है।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह कार्य अगले दिन के लिये रखिये। अन्यथा यह अवैधानिक होगा। आप 49 का समय ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपकी सभी आपत्तियों को निर्मूल करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय

तब काम कैसे चलेगा? कार्यवाही नहीं होगी।

(सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और एक साथ विरोध पक्ष के माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यवाही चलेगी और विधिवत् रूप से चलेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आपने समय-समय पर यह निर्णय दिये हैं कि यदि सदन में अव्यवस्था पैदा हो जाय तो आप 10/15 मिनट के लिये सदन स्थगित कर देते हैं। यह मेरा सुझाव है आपकी पहली व्यवस्था के आधार पर।

(माननीय उपाध्यक्ष द्वारा राजस्व मन्त्री का नाम पुकारने पर)

श्री बंशीधर पांडेय—

आप कार्यवाही को अनियमित न होने दीजिये · · · (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) (संशोधन) विधेयक, 1973 जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और विरोध पक्ष द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं आपसे कहता हूं कि आप नियमों के विपरीत काम कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही अनियमित कर रहे हैं। आप अनियमित चल रहे हैं..... (घोर व्यवधान)

श्री रामविलास पांडेय—

आप कुर्सी की गरिमा को गिरा रहे हैं। यह नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने विभाजन की मांग की ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह अनियमित हो रहा है। नियमों के विरुद्ध काम हो रहा है.....

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

आप उस आसन की पवित्र गरिमा को न गिरावें। आप अनियमितता का काम कर रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इस तरह से सदन का काम नहीं चल सकता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, यदि विरोधी दल आज इसको नहीं चाहते हैं तो कल ले लीजियेगा।

(कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे)

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस सदन में कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये मैं सदन को स्थगित करता हूं। अब हम कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
23 जनवरी, 1973।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 909 पर)

विवरण

जिला परिषद्, बस्ती द्वारा निम्नलिखित कार्यों को आरम्भ करके सितम्बर, 1972 तक पूरा किया गया है :

वर्ष				धनराशि	कार्यों की संख्या
				रु०	
1962–63	..	..	..	42,122	10
1963–64	..	..	..	1,69,697	27
1964–65	..	..	..	4,27,802	61
1965–66	..	..	..	5,60,462	19
1966–67	..	..	..	4,45,500	73
1967–68	..	..	..	4,42,367	40
1968–69	..	..	..	3,92,619	50
1969–70	..	..	..	4,69,072	81
1970–71	..	..	..	65,473	10
1971–72	..	..	..	2,50,462	29

(अपूर्ण कार्यों की स्थिति निम्न प्रकार है)

क्रम	वर्ष	कार्य का नाम		धनराशि	विलम्ब का कारण
				रु०	
1	1966–67	भवन, जू०हा० स्कूल, बेलहर		14,571	सामान पहुंचने में कठिनाई ।
2	1967–68	जू०हा० स्कूल, बेलवा	..	17,920	ठेकेदार ने कार्य करना रोक दिया । उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।
3	1968–69	जू०हा० स्कूल, कटहना	..	22,484	ठेकेदार ने स्वास्थ्य की खराबी के कारण कार्य बन्द कर दिया ।
4	1969–70	प्रा० पा०, मथौली	..	3,800	ठेकेदार कार्य छोड़कर बाहर चला गया ।
5	1970–71	पुलिया, झकहिया–कठला सड़क		7,513	आवंटित धन सीमा तक कार्य पूण किया गया ।

क्रम-संख्या	वर्ष	कार्य का नाम	धनराशि	विलम्ब का कारण
			रु०	
6	1970-71	पुलिया सेमरी-खानकोट सड़क ..	6,419	शेष इस वर्ष के आवंटित से पूरा किया जायगा ।
7	,,	कमेटी हाल निर्माण ..	42,206	गार्डर मिलने में कठिनाई भूमि व ईंट मिलने में कठिनाई ।
8	,,	जू०हा० स्कूल, श्यामपुर ..	25,982	
9	,,	,, ,, सीतारामपुर ..	25,845	
10	1971-72	पुलिया, सोहास-मोहान ..	6,545	आवंटित धन सीमा तक कार्य पूर्ण किया गया, शेष इस वर्ष के धन से पूरा किया जायेगा ।
11	,,	पुलिया, बड़ेपुर-बजहा ..	6,490	
12	,,	पुलिया, इटावा-खडसरीनी	6,311	
13	,,	पुलिया, सिहारी ..	6,325	
14	1971-72	मरम्मत, प्रा०पा० शोहरतगढ़ ..	23,500	कार्य प्रगति में है ।
15	,,	निर्माण, जू०हा० स्कूल, महरीपुर	26,211	कमरे की छत डालना है ।
16	,,	,, तेनुहारी	32,000	,,
17	,,	,, लगया	26,279	भूमि नहीं है
18	,,	,, मुसलिसपुर	25,937	
19	,,	,, एकमा	25,892	
20	,,	,, महसों	27,033	
21	,,	,, बुड़ा	25,937	
22	,,	,, धनसा	26,782	
23	,,	,, डकरा	26,850	
24	,,	,, करथरी	26,165	
25	,,	,, पुंसिया	26,379	कार्य प्रगति में है
26	,,	,, ऊंचडीह	26,850	भूमि नहीं है ।
27	,,	,, चोरखरी	26,256	
28	,,	,, सिकन्दरपुर	26,074	
29	,,	,, शाहपुर	26,028	
30	,,	,, कप्तानगंज	26,078	
31	,,	,, जेतापुर	26,302	
32	,,	,, तुर्शा	26,165	
33	,,	,, सेमरी	26,782	
34	,,	,, कनेला	26,078	
35	,,	,, बहादुरपुर	25,982	
36	,,	,, दूरोलिया	26,165	
37	,,	,, परसा पांडय	32,000	ईंट नहीं मिली ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 911 पर)

प्रति वर्ष मरने वाली मछली तथा धन की क्षति के आंकड़े

वर्ष			मरी मछली की मात्रा (कि० ग्रा० में)	क्षति (रुपयों में)
1964–65	..	..	41,039.515	73,941.86
1965–66	..	..	7,413.215	17,623.00
1966–67	..	..	7,050.300	16,369.79
1967–68	..	..	4,487.760	14,060.65
1968–69	..	..	5,869.150	20,563.24
1969–70	..	..	4,309.300	18,174.79
1970–71	..	..	1,624.060	6,282.29
1971–72	..	..	1,612.150	4,509.76
1972–73 (अगस्त 72, तक)	..	..	980.650	2,878.08
		योग ..	74,386.100	1,74,403.46

उदय प्रदेश पत्रिका

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 912 पर)

त्वरित योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ़ जिले में बनाई जा रही सड़कों का विवरण

क्रम सं०	सड़क परियोजना का नाम	लम्बाई कि० मी०	1-17-71 से 30-11-72 तक का व्यय	मानव दिवस कार्य	मिटटी का कार्य कि० मी०	सोलिंग कार्य पुलिया निर्माण	पूर्ण का कि० मी०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	किमतोली पुल, हिडौला मोटर मार्ग ..	5-0	1,59,300-00	50552	5-0	—	5-0
2	एप्रोच मोटर मार्ग जी० आई० सी०, कनालीछीना	0-4	24,600-00	8306	0-3	—	0-3
3	देवलथल, एप्रोच मोटर मार्ग ..	1-40	24,400-00	7850	0-5	—	0-5
4	एप्रोच मोटर मार्ग, विकास खण्ड मुख्यालय, चम्पावत।	2-0	16,665-80	2121	2-0	—	2-0
5	गुरना पन्चेश्वर, अश्व मार्ग ..	8-0	33,500-00	8017	1-35	—	1-35
6	गढ़तिर रतोली, अश्व मार्ग ..	15-0	51,800-00	17561	2-8	—	2-8
7	डीडीहाट-दूनाकोट, अश्व मार्ग ..	15-0	46,700-00	8545	5-5	—	5-5
8	पलेटा-मानले, अश्व मार्ग ..	8-0	55,400-00	15532	3-4	—	3-4
9	गनाई-जनकोट, अश्व मार्ग ..	3-0	26,300-00	6545	2-0	—	2-0
10	कनालीछीना-छड़नदेव-पीपली, अश्व मार्ग	16-0	28,900-00	7458	3-5	—	3-5
11	दरकोट, अश्व मार्ग ..	1-0	10,000-00	2114	1-0	—	1-0
12	सुरिगंत्लीलम, अश्व मार्ग ..	14-0	73,722-00	24733	14-0	—	14-0
13	मदकोट-बुइपातों, अश्वमार्ग ..	16-0	84,153-00	38497	16-0	—	16-0
14	सेरा-बोना, अश्व मार्ग ..	12-0	1,05,424-00	25680	4-0	—	4-0
15	मदकोट-आलम दारमा, अश्व मार्ग ..	16-0	1,10,213-00	23650	12-0	—	12-0
16	बांस-जगड़ बजेटा, अश्व मार्ग ..	3-5	38,627-00	9118	2-5	—	2-5
17	तेजम होकरा-नामिक, अश्व मार्ग ..	6-0	66,120-00	14025	4-5	—	4-5
	कुल योग ..	142-30	9,55,824-80	270259	80-35	—	80-35

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 915 पर)

दिनांक 20 जून, 1972 को परामर्शदात्री समिति द्वारा चयन की गयी सड़कों की सूची

1—चौबेपुर से बंदीमाता	7 की० मी०
2—रमईपुर से मझावन	7 ,,
3—देरापुर से रतनियापुर	2 ,,
4—बिलहा से अजनपुर	6 ,,
	22 ,,

जिलाधिकारी द्वारा शासन को भेजी गई सड़कों की सूची

नहरी सड़कें

1—गांव गुजैनी के पुल से मर्दनपुर पुल तक	1 ,,
2—ग्राम पूरा के डाक बंगले से ग्राम पूरा जी० टी० रोड तक ..	2 ,,
3—ग्राम सतरौली के पुल से ग्राम धरमपुर में कानपुर-हमीरपुर रोड तक	5 ,,

अन्य सड़कें —

1—राजपुर से माल	4 ,,
2—मलासा से कालपी रोड (देवीपुरवा)	5 ,,
3—सिठमरा से बनीपारा	3 ,,
	20 ,,

संसद पुस्तकालय

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 917 पर)

परिशिष्ट (क)

रामपुर के उन हरिजन ग्रामों की सूची जहां कूप निर्माण हो चुके हैं —

1—सेफनी
2—बरनपुर
3—मजनपुर
4—सागरपुर
5—रबेड़ी कला
6—महवां
7—जडौली
8—मिनपुरा हरौला
9—मिनपुरा हरौला
10—खरसोल
11—खेड़ा
12—नवीगंज
13—रजोड़ा
14—बहतिया
15—जैती
16—ठुकरिया
17—चकासी
18—शाहपुर देव
19—महुनागर
20—घवनी हसनपुर
21—पईपुरा
22—अफसर नगर
23—कौथाजागीर
24—सन्कूरा
25—कुथिया
26—हामिदाबाद
27—खटाखड़ा
28—देवकी
29—शमशाबाद
30—महुनागढ़
31—मयसियाजवाला पुर
32—पजइया
33—पिपलिया मिश्र
34—बुगनूपुर
35—गुथिया
36—राम नगर
37—क्यारेरार
38—मुहम्मदपुर
39—बरागजेश
40—पिपला शिवनगर
41—खटिया
42—पुरनापुर
43—एवारा
44—आगापुर
45—बेगमाबाद
46—पिपला शिवनगर मजाला
47—करीमगंज
48—लखनाखेड़ा
49—रठौंड़ा
50—जननांगर
51—सुहागनगला
52—बिजार खाता
53—मणिपुर
54—बाहली
55—काचिमा कुण्डा
56—रामलतीफपुर
57—भवरा
58—चाऊपुरा
59—मिलक बाजखां
60—रुस्तमनगर (रामपुर)
61—मजराचौकी
62—जठपुरा
63—रतुवानगला
64—बमनपुरी चप्टा
65—चिकटी
66—पट्टी कल्याणपुर
67—नसेरत नगर
68—हाजी नगर
69—मडियाने उदयराज
70—बनियापुर
71—फत्तेपुर
72—मौमिनपुर
73—बकैनिया
74—जठिया
75—ककरऊआ
76—लालनगला

उत्तर प्रदेश विधान सभा

77—पैनपुर
78—पट्टी अशोकपुर
79—अशोकपुर
80—सईदनगर
81—नमीम गंज
82—दलेल नगर
83—विचपुरी
84—दिलपुरा
85—किशनपुर
86—अजयपुर
87—सीगनखड़ा
88— कुकड़ी
89—वजनी
90—अटरिया
91—हरौला
92—हरेटा
93—पाइन्दानगर
94—वैंदू खेड़ा।

मुरादाबाद उन हरिजन ग्रामों की सूची जहां कूप निर्माण हो चुके हैं—

1—सहजना
2—खदानामिलक
3—मजरा खुशहांलपुर
4—थापडामिलक
5—मनोहरपुर
6—धीमरी
7—गतोरा
8—बढ़नपुर
9—बादशाहपुर
10—नवगामातगा
11—फतेईखालसा
12— बूढ़नपुर
13—रायपुर सहजादपुर
14—सहजादपुर
15—मटपुरामाफी
16—पीपलीकलां
17—बडेड़ना
18—मंजरा अकबरपुर
19—मंगरोली
20—मचरई
21—मुबारकपुर
22—मझौला
23—वारसावाद
24—हाईखेड़ा
25—टिगरी
26—आहरौली
27—वासीपुर
28—ताजपुर कल्लू
29—मलकपुर
30—पालनपुर
31—फीरोजपुर
32—मुन्डापाखेड़ा
33—सेईलपुर
34—पुरारा
35—फतेहपुर खादा
36—शेरपुर
37—नुरयासराय
38—खग्गोपुरा
39—तुरतीपुर
40—मोहरा लक्खूपुरा
41—फिरोजपुर
42—इसापुर
43—रसूलपुर
44—निकोरा
45—पैतिया
46—असमौली
47—राहटौल
48—मुहावली
49—सैदपुर जयराम
50—बेला
51—आलमपुर
52—मचखेड़ा
53—मिर्जापुर
54—मुल्हेटा
55—कूरीराम
56—वालमपुर विठुवाठरैत
57—नवादा
58—राजथल
59—मुड़िया चमारान
60—जहांगीरपुर
61—इमरतपुर सिरसी
62—पन्डिया
63—चौधरपुर
64—द्वार खेड़ा
65—रुश्तमपुर
66—पतरऊआ
67—पथरा

68—नूरूद्दीनपुर गंज
69—पचाक
70—वाकरपुर
71—पहाड़पुर
72—कैथल
73—गुमथल
74—चमरपुरा
75—शाहजहांनपुर
76—वराई।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर पीछे पृष्ठ 924 पर)

दिनांक 1–7–72 के पूर्व छटनीशुदा तकावी लिपिकों की सूची

क्रमांक	छटनीशुदा तकावी लिपिकों का नाम		विभाग में सेवा आरम्भ करने की तिथि	शैक्षिक योग्यता
	सर्वश्री			
1	विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव	..	6–6–63	हाई स्कूल
2	सुधाकर मिश्र	..	15–10–63	,,
3	प्रभुनाथ लाल	..	7–6–63	,,
4	पुरुषोत्तम यादव	..	25–1–64	माध्यमिक परीक्षा
5	कृष्ण मोहन मल्ल	..	26–6–64	हाई स्कूल
6	लाल चन्द्र लाल	..	26–12–64	,,
7	कुमार यादव	..	15–2–65	बी० काम०
8	अनिरुद्ध राय	..	13–2–65	,,
9	पराग राम वर्मा	..	22–2–65 से 23–6–70 18–3–71 से 31–12–71	बी० ए०
10	श्री राम गुप्त	..	31–7–70	बी० काम०
11	मुंशी यादव	..	31–7–70	इन्टरमीडिएट
12	श्रीपति राम	..	6–10–70	,, (अनुसूचित)
13	ब्रजराज राम	..	15–5–71	,,
14	राधेश्याम श्रीवास्तव	..	20–3–71	बी० ए०

नोट :—उपर्युक्त सूची के क्रमांक 1 तथा 2 पर सर्वश्री विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव एवं सुधाकर मिश्र पूर्वतर खपाये जा चुके हैं ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 925 पर)

संलग्नक

(क) दिनांक 15-11-72 तक गत 3 वर्षों से विस्तार जिला कृषि अधिकारी के पदों पर प्रोन्नति किये गए जिला कृषि अधिकारी के नाम :—

1—श्री राजेन्द्र नाथ पाण्डे

(ख) दिनांक 15-11-72 तक गत 3 वर्षों से जिला कृषि अधिकारी के पद सीधे लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए व्यक्तियों के नाम :—

1—श्री सुरेश सिंह
2—श्री ओ० पी० अग्निहोत्री
3—श्री शिवकुमार सिंह
4—श्री मदन पाण्डे
5—श्री हरिनाथ पाण्डे
6—श्री सी० पी० यादव
7—श्री आर० एन० मिश्रा
8—श्री वी० एन० यादव
9—श्री ए० के० मिश्रा
10—श्री राम बचन राम
11—श्री जवाहर लाल उपाध्याय
12—श्री अभय नन्दन सिंह
13—श्री वी० वी० सिंह
14—श्री वी० एन० शाही
15—श्री अतर सिंह
16—श्री जी० एस० तिवारी
17—श्री वीर पाल सिंह
18—श्री आत्मा राम
19—श्री गंगा राम
20—श्री मुनेश्वर प्रसाद
21—श्री दिगम्बर सिंह
22—श्री सभा जीत तिवारी
23—श्री महेश पाण्डे
24—श्री उदय दत्त मिश्रा
25—श्री श्रीकान्त उपाध्याय
26—श्री ज्ञानेन्द्र शर्मा
27—श्री बैजनाथ सहायक वर्मा
28—श्री शशि भूषण त्रिपाठी
29—श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव
30—श्री वृज भूषन राय
31—श्री उदय प्रताप मिश्रा
32—श्री हर्ष पति नौटियाल
33—श्री सोरन सिंह
34—श्री गोपाल शरन सिंह
35—श्री ए०सी० श्रीवास्तव
36—श्री सोवरन सिंह
37—श्री हरि सिंह सागर
38—श्री संकटा राम
39—श्री गुलजारी लाल
40—श्री एम० एन० राय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 927 पर)

वर्ष 1970–71 में क्रय की गई वस्तुयें

क्रम सं०	नाम वस्तु	दर	संख्या	मूल्य (रुपया)	फर्म का नाम
1	बाल्टियां	7.14	1492	10,652.88	मेसर्स शिक्षा उत्थान संस्थान, मुरादाबाद।
2	लोटे ..	8.25	1145	9,446 25	,, ,, ,,
3	कुर्सियां	16.10	1689	29,268.33	डाइरेक्टर आफ इण्डस्ट्रीज स्टोर एण्ड पर्चेज विभाग कानपुर द्वारा गजेट दिनांक 17–10–70 में प्रकाशित स्वीकृत फर्म मेसर्स काश्मीर फर्नीचर हाउस, बरेली से कुर्सियां तथा मेजें मेसर्स जी० एस० गोयल एण्ड संस बरेली से क्रय की गई।
4	मेजें..	52.00	889	49,463.96	

वर्ष 1971–72 में 31–1–72 तक क्रय की गई निम्न वस्तुयें :

		रु०		रु०	
1	बाल्टियां ..	6.50	14	91.00	मेसर्स जैन आदर्श मानचित्र, भंडार, मुरादाबाद।
2	लोटे ..	6.70	14	93.80	11 जैन ट्रेडर्स, मुरादाबाद।

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 930 पर)

सलग्नक

वर्ष 1968–69

प्राप्त धन का विषय		प्राप्त धनराशि	व्यय करने की विधि	उपभोग की गई धनराशि	31–12–72 तक उपभोग न होने के कारण कालातीत धनराशि	31–12–72 तक उपभोग न होने के कारण अवशेष धनराशि	विशेष
शिक्षायोजनेतर (नान प्लान)							
आवर्तक	..	54,03,972	वेतन महंगाई	54,03,972	नहीं		नहीं
अनावर्तक	..	25,200	स्कूल सामान	10,885	,,		14,315
शिक्षा योजनागत (प्लान)							
आवर्तक	..	4,09,434	वेतन महंगाई	4,09,434	,,		नहीं
अनावर्तक	..	32,000	सामान व भवन	—	,,		32,000
चिकित्सा	..	5,595	चिकित्सा	5,595	,,		नहीं
सार्वजनिक निर्माण	..	25,000	सार्वजनिक निर्माण	25,000	,,		,,
स्थानीय कर	..	4,41,822	सामान्य विभाग	4,41,822	,,		,,
घाट	..	40,953	,, ,,	40,953	,,		,,
मंहगाई सहायता	..	62,107	महंगाई	62,107	,,		,,
योग	..	64,46,083		63,99,768			46,315

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1970–71

प्राप्त धन का विषय		प्राप्त धनराशि	व्यय करने की विधि	उपभोग की गई धनराशि	31 दिसम्बर 1972 तक उपभोग न होने के कारण कालातीत धनराशि	31 दिसम्बर, 1972 तक उपभोग न होने के कारण अवशेष धनराशि	विशेष
शिक्षा योजनेत्तर (नान प्लान)							
आवर्तक	..	74,39,500	वेतन महंगाई	74,39,500	नहीं	—	
अनावर्तक	..	71,000	भवन व सामान	14,400	,,	56,600	
शिक्षा योजनागत (प्लान)							
आवर्तक	..	5,09,680	वेतन महंगाई	5,09,680	,,	—	
अनावर्तक	..	1,64,432	भवन व सामान	—	नहीं	1,64,432	
चिकित्सा	..	6,839	चिकित्सा	6,839	,,	—	
सार्वजनिक निर्माण	..	50,400	सार्वजनिक निर्माण	15,087	,,	35,313	
स्थानीय कर	..	4,41,822	सामान्य	4,41,822	,,	—	
महंगाई	..	91,496	महंगाई	91,496	,,	—	
योग	..	87,75,169		85,18,824		2,56,345	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 1971–72

प्राप्त धन का विषय		प्राप्त धनराशि	व्यय करने की विधि	उपभोग की धनराशि	31 दिसम्बर, 1972 तक उपयोग न होने के कारण कालातीत धनराशि	31 दिसम्बर, 1972 तक उपयोग न होने के कारण अवशेष धनराशि	विशेष
शिक्षा योजनेत्तर (नान प्लान)							
आवर्तक	..	74,85,653	वेतन महंगाई	74,85,653	—	—	
अनावर्तक	..	15,036	भवन तथा सामान	—	—	15,036	
शिक्षा योजनागत (प्लान)							
आवर्तक	..	23,68,053	वेतन तथा महंगाई	23,68,053	—	—	
अनावर्तक	..	12,89,050	सामान व भवन	2,53,646	—	10,35,404	
सार्वजनिक निर्माण सड़क	..	25,200	सड़क निर्माण	5,32,500	—	9,74,181	
		14,81,481					
हरिजन बस्ती में कूप निर्माण	..	3,70,370	कूप निर्माण	3,70,370	—	—	
स्थानीय कर	..	441,822	सामान्य	4,41,822	—	—	
घाट	..	1,28,066	सामान्य	1,28,066	—	—	
महंगाई	..	89,632	सामान्य	89,632	—	—	
गौसगंज जल सम्पूर्ति योजना	..	50,000	हस्तांतरित स्वायत्त शासन विभाग।	50,000	—	—	
घाटमपुर जल सम्पूर्ति योजना	..	50,000	—	50,000	—	—	
पशु चिकित्सालय भवन निर्माण	..	1,25,000	पशु चिकित्सालय भवन नि०	—	—	1,25,000	
योग	..	1,39,19,363		1,17,69,742	—	21,49,621	

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 312 एल० ए०—1973–835 (मैग०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा